खण्ड-174, अंक-7
शुक्रवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1878
(27 जुलाई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

0 SEP 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णचन्द्रगुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धनतिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री

जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह,श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुबरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनार्थसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिबराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

—:o:—

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बीकापुर कैम्पिग ग्राउण्ड, जिला फैजाबाद की खरीद में विलम्ब

१—श्री व्रजवासीलाल** (जिला फैजाबाद)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीकापुर Encamping Ground, जिला फैजाबाद को Government of India, Defence Departmentसे खरीद लेने में क्यों देर हो रही है जब कि उसका दाम तय हो चुका है और बजट में रुपया भी मंजूर हो चुका है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—बीकापुर कैम्पिग ग्राउन्ड श्री राम हर्ष सिंह के पास पट्टे पर है जब तक उनका कब्जा ग्राउन्ड से न हटा दिया जाय तब तक वह राज्य सरकार को नहीं मिल सकता है। Military Estales Officer लखनऊ इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं। खरीद तब ही पूरी हो सकती है जब कब्जा मिल जाय और Sale deed पर हस्ताक्षर होकर उसकी रजिस्ट्री हो जाय।

श्री व्रजवासीलाल--क्या सरकार को मालूम है कि पट्टे की मियाद खत्म हो चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उस भूमि का कुछ हिस्सा रामहर्ष सिंह के कब्जे से लिया जा चुका है और बाकी के लिये कार्यवाही हो रही है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पट्टा कितने दिन के लिये दिया गया था। ७ साल के लिये या किसी अनिश्चित अवधि के लिये दिया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास विवरण नहीं है।

सचिवालय में १० वर्ष से अधिक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये लोक सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार

२--श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार २४ अगस्त, १९५५ को श्री जोरावर वर्मा के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में जो राजकीय सचिवालय में १० वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध से थे कोई निर्णय किया है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

३--श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह निर्णय हेड आफ दी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर भी लागू होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो निर्णय होगा वह केवल सचिवालय के कर्मचारियों पर ही लागू होगा।

४--श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इनके स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से कोई पत्र-व्यवहार किया है और उनका क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लोक सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार हो रहा है परन्तु निर्णयात्मक रूप से अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रश्न कब से उनके विचाराधीन है और कब तक उसका निर्णय हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विचाराधीन तो साल दो साल से है । कब तक होगा, नहीं जानता। यही बतला सकता हूं कि हमारा आखरी पत्र लोक सेवा आयोग के पास जून के महीने में गया था। अभी तक उसका उत्तर नहीं आया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि इस प्रकार के कर्मचारी सचिवालय में किसी विभाग में स्थायी कर दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--स्थायी तो होते रहते हैं। क्या जाने किस विभाग की ओर माननीय सदस्य का संकेत है, मैं नहीं कह सकता इस वक्त।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २--४ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग को जो अंतिम पत्र भेजा गया है उसमें मुख्य-मुख्य क्या सुझाव दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब तक कोई चीज निश्चित न हो जाय तब तक पत्र-व्यवहार के विषय को खोलना लोकहित में उचित नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो निर्णय होगा वह केवल सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों पर ही लागू होगा तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों पर लागू न होने का कोई कारण बतायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो स्पष्ट बात है क्योंकि प्रश्न सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों के लिये ही था और जो नियम इनके लिये बने हैं वह हेड आफ दी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों के लिये लागू नहीं हो सकते हैं। अलग-अलग विभागों में अलग-अलग शर्तों पर लोग रखे गये होंगे। इसलिये इन लोगों का तो प्रश्न अलग-अलग ही लिया जा सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हेड आफ दी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के स्थायी किये जाने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि माननीय सदस्य ने बजट को ध्यान देकर देखा होगा तो मालूम हुआ होगा कि हर बजट में काफी संख्या में अस्थायी लोगों को स्थायी किया जाता है और जहां तक सम्भव होता है स्थायी बनाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय में कितने ऐसे आदमी हैं जो दस वर्ष से काम कर रहे हैं और अभी अस्थायी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को किस आधार पर स्थायी कर दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो एक ब्योरे का प्रश्न है, जब तक अलग सवाल न हो जवाब नहीं दिया जा सकता है । लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है कि कई महीने पहले यह सवाल हुआ था और उसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न आता है जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग है उसके अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये वह परमानेन्ट न किये जायं तो उनको एक महीने का टर्मिनेशन नोटिस दे दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य देखेंगे कि नोटिस के बाद भी पृथक् नहीं किये जाते हैं। वह तो जाब्ते की कार्यवाही है उसको करना ही पड़ता है ।

साधारण तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--- [स्थगित किये गये ।]

संग्रहालयों के विकास के लिए प्रयास

*३---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि विभिन्न संग्रहालयों के विकास की कोई सूची सरकार द्वारा बनायी गयी है ?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)---जी हां।

*४—**श्री रामदुलारे मिश्र**—प्रदेश के किन-किन संग्रहालयों में कितनी धनराशि विकास के लिये निश्चित रकम में से खर्च की जायेगी ?

डाक्टर सीताराम—एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है, जिसमें संपूर्ण सूचना दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६० पर)

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर प्रान्त के संग्रहालयों के विकास की प्रगति पर प्रकाश डालेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह जो सूची में आपके यहां लिस्ट दी हुयी है इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना पर कितना रुपया रखा गया है इसमें कितना रुपया बिल्डिंग के लिये है यह आपने देखा ही होगा यही विकास की योजना है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह था कि जो संग्रहालय हैं उनमें अभी तक क्या तरक्की हुयी है ? उनमें किस-किस किस्म की चीजें आयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उनमें चीजें बहुत आयी हैं और इस दृष्टि से कोई संग्रहालय प्रान्त में ऐसा नहीं है जिसमें विकास न हुआ हो और चीजें बहुत अधिक वहां न आयी हों, लेकिन अब यहां पर उनकी सूची बताना बड़ा मुश्किल है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार सदन की जानकारी के लिये बतलाने की कृपा करेगी कि अच्छे किस्म के मुख्य संग्रहालय प्रान्त में कौन-कौन से हैं और उनमें क्या-क्या विशेष चीजें हैं ?

डाक्टर सीताराम—मुख्य संग्रहालय जिनका नाम यहां लिस्ट में दिया हुआ है उनमें राजकीय संग्रहालय, लखनऊ, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा; म्युनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद; भारत कला भवन, बनारस; हिन्दी कला भवन, कालपी; गुरुकुल संग्रहालय, हरद्वार । इसके अलावा इटावा, देवरिया, मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर में शैक्षिक संग्रहालय हैं ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार संग्रहालयों की विशेष स्थिति को देखते हुये यह मुनासिब समझती है कि लखनऊ में ही इन सब संग्रहालयों को इकट्ठा करके रख दिया जाय और उन्नत किया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन उसका यह अर्थ नहीं होगा कि और जगह प्रान्त में संग्रहालय न रहें ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा में ताजमहल के साथ जो संग्रहालय था वह क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ताजमहल गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्तर्गत है इसलिये हम उसका कारण नहीं बता सकते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष नैनीताल में भी एक संग्रहालय खोलने की योजना बनी थी, क्या उस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । दो किस्म के संग्रहालय की बात थी । आप स्कूलों के संग्रहालय की बाबत पूछ रहे हैं या विभागीय संग्रहालय की बाबत ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक सर्वांगीण संग्रहालय की बात पूछ रहा हूं ।

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा संग्रहालय है, जिसको सबसे ज्यादा रकम दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—राजकीय संग्रहालय, लखनऊ ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो संग्रहालय है उसको सरकार ग्राण्ट देती है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, देती है ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन संग्रहालयों में जो चीजें रक्खी जाती हैं उनमें उन्हीं चीजों का डुप्लीकेशन होता है जो दूसरे संग्रहालयों में हैं अथवा अन्य प्रकार की चीजें रक्खी जाती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—दोनों ही बातें हैं ।

कानपुर की एच० बेविस कम्पनी को फिर से चालू करने की मांग

*५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित एच० बेविस कम्पनी कितने दिन से बन्द पड़ी है और उसका क्या कारण है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अप्रैल, १९४८ से । बन्द होने के मुख्य कारण हैं धनाभाव, कुप्रबन्ध तथा साझीदारों के आपसी झगड़े ।

*६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह सही है कि सरकार ने इसे चलाने का प्रयत्न किया था और वह असफल रही ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार ने मिल चलाने के टेन्डर मांगे थे किन्तु किसी व्यक्ति ने टेन्डर नहीं दिया ।

*७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या श्रम मंत्री इस मिल को सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने का प्रबन्ध करने को सोच रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मिल को चलाये जाने की कोई आशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं और जो परिस्थिति आज है उसमें यह संभावना बहुत कम मालूम होती है कि इस मिल को चलाया जा सके ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह सही है कि इस मिल की तमाम मशीनें और सामान हटा दिया गया है अथवा बेच दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*८-१०—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[३१ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला बोर्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के ९ अध्यापकों का बकाया वेतन

*११—श्री विश्रामराय (जिला आजममगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं के कितने अध्यापकों के जुलाई और अगस्त, १९४९ के वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा रोक लिये गये ?

डाक्टर सीताराम—नौ अध्यापकों के ।

*१२—श्री विश्रामराय—क्या यह सही है कि बार-बार उच्च शिक्षाधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भेजे गये, परन्तु अब तक इन अध्यापकों का बकाया वेतन नहीं चुकाया गया ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। १९४९ के एतत्संबन्धी पुराने कागजात नहीं मिल रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

*१३—श्री विश्रामराय—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड आजमगढ़ ने अध्यापकों के १९४८ के बकाया वेतन को आज तक नहीं चुकाया यद्यपि सरकार ने एक लाख की रकम इस मद में अनुदान के रूप में दी थी ?

डाक्टर सीताराम—१९४८ का कोई वेतन बकाया नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन ९ अध्यापकों का वेतन बाक़ी है वह कितनी रक़म है ?

डाक्टर सीताराम—जहां तक मुझे सूचना है वह ४५७ रुपया ९ आने की रक़म है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक उन कागजात के ढूंढ़ने में कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उनसे पूछ-तांछ हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे केसेस थे जिनका चार्जशीट नहीं मिलता दूसरे यह भी रिकार्ड नहीं मिलता कि वह लोग उस समय नौकर भी थे या नहीं, इसलिये उनकी तरफ से भी देर हो रही है, चार्जशीट के मिलने में और प्रमाण देने में कि वह सचमुच उस समय उस स्थान पर थे जहां के लिये वह कहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सरकार की ओर से सारे अध्यापकों के लिये रुपया प्रदान कर दिया गया था लेकिन, जिला निरीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों ने उसको गोलमाल कर दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, रुपया तो वहां है लेकिन वह छानबीन के बाद ही दिया जा सकता है। जिस रुपये का आप जिक्र करते हैं वह एक लाख रुपया जिस काम के लिये दिया गया था यानी बकाया वेतन के लिये वह दे दिया गया और कोई गबन वगैरा नहीं हुआ है, गलतफ़हमी यह हुई कि अध्यापक समझते हैं कि वह विशेष वेतन सन् ४८ से मिलना चाहिये, लेकिन सरकार का आर्डर था कि वह सन् ५० से दिया जाय, वह ५० से भी पहले का मांगते हैं, उनको गलतफहमी है कि वह रुपया दूसरी जगह लगाया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह रुपया इन ९ अध्यापकों को, जिनका वेतन बाकी है, कब तक दिया जा सकेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जब तक पूरा सबूत नहीं मिल जायगा कि सचमुच जिस समय का वेतन बाक़ी कहा जाता है उस समय वह वहां काम करते थे तब तक नहीं दिया जा सकता।

इलाहाबाद नगरपालिका को स्कूलों की इमारतों के लिए धन की आवश्यकता

*१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका के स्कूलों की इमारत की दशा शोचनीय होते हुये सरकार उन स्कूलों को बनाने के लिये कितना रुपया इस मद में इस वर्ष व्यय करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—कुछ भी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले साल उन स्कूलों के लिये कितना रुपया दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९४८ से ५१ के बीच में लड़कों के स्कूलों के लिये १ लाख ९ हज़ार ४९२ रुपया और लड़कियों के स्कूलों के लिये ४५,००० रुपया दिया गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह रुपया जो दिया गया था पिछले साल वह खर्च हो गया या बाक़ी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि चूंकि वह म्युनिसिपैलिटीज़ को इमारतें बनवाने के लिये दिया गया था, इसलिये जरूर खर्च हो गया होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन स्कूलों की मरम्मत के लिये या बनवाने के लिये कितना रुपया रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार से रुपया नहीं रखा जाता है जैसे आप समझते हैं।

*१५-१६—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२४ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

शाप्स ऐण्ड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत इन्स्पेक्टरों की नियुक्तियां

*१७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में शाप ऐक्ट के अन्तर्गत कितने इन्स्पेक्टर नियुक्त हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय ५३ इन्स्पेक्टर नियुक्त हैं।

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने जिलों में शाप ऐक्ट (Shops and Commercial Estt. Act.) लागू है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह ऐक्ट इस समय ३७ जिलों के ४९ शहरों में लागू है ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह नियुक्तियां किस योग्यता के अनुसार हुई हैं और उनके एप्वाइंटमेंट्स किसने किये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस ऐक्ट को और अधिक जिलों में लागू करने के लिये इन्स्पेक्टरों की संख्या को बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, २१ नये इंस्पेक्टर नियुक्त किये जायं, इसका विचार है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इन्स्पेक्टरों के जिम्मे सिवा इस काम के कि दूकानें नियमानुसार खुलती हैं या नहीं और कोई भी काम सुपुर्द किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, जब जो इन्स्पेक्टर्स हैं उनके जिम्मे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट, शाप्स ऐण्ड कार्मशियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट, मिनिमम वेजेज ऐक्ट इनके अन्तर्गत जो काम आते हैं वे उन्हीं के सुपुर्द हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश के किन नगरों में अभी तक यह ऐक्ट नहीं लागू है और क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इंस्पेक्टरों की संख्या कम थी और योजना पूरी नहीं थी। इसलिये नहीं लागू किया गया और सम्भवतः इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं की गई।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से जिले हैं जहां पर शाप्स ऐण्ड कार्मशियल ऐक्ट लागू नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह जहां-जहां लागू है उसकी लिस्ट तो मेरे पास है। जहां लागू है उसकी सूची वे चाहें तो मैं बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—आप वही बतला दें तो उससे उत्तर हो जायगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ये हैं आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, देहरादून, फतेहगढ़, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मसूरी, मथुरा, नैनीताल, रामपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कायमगंज, गाजियाबाद, उन्नाव, सीतापुर, बदायूं, मिर्जापुर, बुलन्दशहर, बाराबंकी।

इसके अतिरिक्त बलिया, बांदा, बिजनौर, चन्दौसी, हरदोई, हरद्वार, जौनपुर, खुर्जा, लखीमपुर, खीरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रुड़की और शाहजहांपुर।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिन नगरों में अथवा जिन जिलों में यह ऐक्ट लागू नहीं है उनमें किन कारणों से इस ऐक्ट को भविष्य में लागू करना यह सरकार उचित नहीं समझती ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, यों तो हर जिले में, हर बाजार में लागू करना चाहिये, लेकिन रुपये की कमी की वजह से एक साथ हर जगह इसको हम लागू नहीं कर सके। फिर सवाल यह जरूर है कि जो बड़े-बड़े बाजार हैं उनमें तो कम से कम इसको लागू करना ही चाहिये। यह एक सिद्धान्त सामने रक्खा जाता है कि क्रमशः पहले बड़े बाजार लिये जायं, लेकिन ज्यों-ज्यों रुपया बजट में आप बढ़ाते जायंगे त्यों-त्यों और बाजारों में इसको लागू कर दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि सब बड़े बाजारों में यह ऐक्ट कब तक लागू कर दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज्यों ही रुपया का प्रबन्ध हो जायगा। बहुत कुछ तो इस सदन के हाथ में है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय मंत्री जी क्या कृपा करके बतलायेंगे कि जिन जिलों में यह कानून लागू है वहां की म्युनिसिपैलिटी में ही लागू है या टाउन एरियाज में भी लागू है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह ३७ जिलों के ४९ शहरों में लागू है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिन छोटे शहरों में जहां की आबादी ३० हजार की है और यह ऐक्ट लागू किया गया है इस ऐक्ट को उठाने के लिये वहां से सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन आया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी को मालूम है कि जहां जहां यह शाप ऐक्ट लागू है वहां वहां हलवाइयों को इससे बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं और क्या वे उनकी कठिनाइयों पर विचार करने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है हलवाइयों को नहीं बल्कि जिनके ऊपर शाप ऐक्ट लागू होता है उन सबको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो खास-खास मौके होते हैं जैसे शादी विवाह के उन पर हलवाइयों को खास तौर से रियायत कर दी जाती है। लेकिन बिलकुल बरी उनको नहीं किया जा सकता।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि कोई ऐसा आधार रखा गया है जिस पर विचार कर के पहले पहल किन जिलों में या किन नगरों में यह ऐक्ट लागू किया जाय, उस पर विचार किया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां है। उस पर विचार कर के शाप ऐक्ट जारी किया गया। जैसे २ आवश्यकता पड़ती जाती है और धन उपलब्ध होता जाता है और जिलों में भी लागू किया जायगा।

*१९–२१—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

*२२–२३—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[२४ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक पीड़ितों से संबंधित विद्यार्थियों की गणना के लिये परिपत्र

*२४—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजनैतिक पीड़ितों की संतानों और आश्रितों की, जो शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा पा रहे हैं, गणना के लिये शिक्षा विभाग द्वारा कोई सरक्यूलर भेजा गया है ? अगर हां, तो अभी तक इस ओर कितनी प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम—राजनैतिक पीड़ितों की संतानों तथा उनके आश्रितों की, जो शिक्षा पा रहे हैं निःशुल्क अथवा अर्धशुल्क] शिक्षा की व्यवस्था करने में शासन को कितना व्यय पड़ेगा, यह सूचना एकत्रित करने के लिये एक सरकुलर भेजा गया है।

अभी २० जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा ४ मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं एवं ४ विश्वविद्यालयों से सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के सम्पूर्ण राजनीतिक-पीड़ितों और उनके आश्रितों को निःशुल्क और अर्धशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था पर सरकार कब से विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जैसा उत्तर में कहा गया आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र—जिन-जिन स्थानों से अभी तक एकत्रित नहीं हो सके वह कब तक एकत्रित हो जाने की आशा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसमें जल्दी की जा रही है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने यह कुछ निश्चय किया है कि कितने रुपये तक इस मद में खर्च करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पोलिटिकल सफरर्स के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिये बजट में एक खास रकम रखी जाती है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि पोलिटिकल सफ़रर्स के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाय तो इतने ही रुपये में हो जायगी। आपको मालूम होगा कि इस साल माननीय मुख्य मंत्री ने उस रकम को दुगना कर दिया है। तो इसलिये यह आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं यह देखने के लिये कि आया अगर निःशुल्क शिक्षा कर दिया जाय तो इतने ही रुपये में काम चल जायगा या नहीं। इसीलिये यह आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। अभी सरकार का इस दिशा में कोई निश्चय नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो आदेश जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास भेजा गया है वह कब भेजा गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—सितम्बर, सन् १९५५ में भेजा गया।

श्री गेंदासिंह—सरकार इस पर विचार करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों की, जिनकी आमदनी २०० रु० से नीचे है उनके सभी बच्चों की फ़ीस माफ़ करा दी जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने अर्ज किया कि यह आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद ही यह जान लेने पर कि क्या अवस्था है और क्या स्थिति है तभी सरकार इस पर कोई निश्चित उत्तर दे सकती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का कोई आर्डर भेजा गया है कि उन्हीं राजनीतिक पीड़ित छात्रों की फ़ीस माफ़ की जाय जिनकी सिफ़ारिश जिला कांग्रेस कमेटियों के सेक्रेटरी या प्रेसीडेंट करें?

श्री हरगोविन्द सिंह—बिल्कुल ही नितान्त ग़लत है, इसलिये कि किसी को यह आदेश भेजा ही नहीं गया है कि आप इनकी फीस माफ़ कर दीजिये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)—क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि एक कमीशन इस प्रकार का नियुक्त किया जाय जो एक निश्चित अवधि के अन्दर इस प्रदेश के समस्त राजनीतिक पीड़ितों (पोलिटिकल सफरर्स) की लिस्ट अन्तिम रूप से प्रमाणित कर दे और उसको रखा जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सवाल कई बार उठ चुका है और उसके रास्ते में कई कठिनाइयां हैं। पोलिटिकल सफरर्स केवल वही लोग नहीं होते जो जेल गये हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेल नहीं गये हैं, लेकिन अगर "सफ़रिंग" शब्द का कोई अर्थ होता है तो उनकी सफरिंग किसी से कम नहीं है। और कई वजह से अगर लिस्ट बनायी जाय तो बहुत समय लगेगा और काफी रुपया खर्च होगा, इसलिए काफी गौर करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, इसलिये कोशिश करना बेकार मालूम होता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सरकुलर जारी किया है इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो गणना की जाय उसमें उन आश्रितों की या उन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, यह तो नहीं है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति क्या है उसका भी पता लगाया जाय। ऐसा इस सरकुलर में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जो सरकुलर भेजा गया है इसमें राजनीतिक पीड़ित शब्द की क्या परिभाषा रखी गयी है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, ७ नवम्बर, १९४९ को आखिरी सरकुलर राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में निकला है। उसी के अनुसार परिभाषा है, उसको देख लें।

कुमायूं में भौमिक अभिलेख और सर्वेक्षण क्रियाओं की असंगतता तथा अव्यावहारिकता के सम्बन्ध में विवाद की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैंने कल मुख्य मंत्री जी और माल मंत्री जी से काम रोको प्रस्ताव कुमायूं के अधूरे नियमों के सम्बन्ध में विवाद के लिये समय चाहा था और आपने भी कहा था कि यह महत्व का प्रश्न है, विवाद हो सकता है।

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, सेटिलमेंट और रिकार्ड्स आपरेशन्स कुमायूं में कुछ नियमों के मातहत हो रहे हैं। उनके मुताल्लिक मेरे लायक दोस्त का खयाल है कि वे पहिले तो अधूरे हैं और दूसरे वे लेजिस्लेचर के सामने आने चाहिये थे लिहाजा उनके मातहत काम इनवैलिड हुआ है, उनके मुताबिक काम हो ही नहीं सकता है, उनका यह खयाल है, ऐसा मैंने सुना है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का सेक्शन २३४ है जिसके मातहत सेटिलमेंट और रेकार्ड आपरेशन्स वगैरा के रूल्स पहले से ही फोर्स में हैं। इसलिये शुरू में जो कार्यवाही कुमायूं में की गयी वह उन रूल्स के मातहत की गयी और उसके बाद उन रूल्स का अमेंडमेंट किया गया। जो रूल्स के अमेंडमेन्ट्स प्रोपोज किये गये थे उनके लिये यह जरूरी नहीं था कि हम आब्जेक्शन्स इनवाइट करते और प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन करते और उसके बाद फिर फ़ाइनल पब्लिकेशन करते। यह कानूनन जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ताकि हमें अपने माननीय दोस्तों की राय मालूम हो जाय और पब्लिक के मेम्बर हमको कोई सजेशन्स दे सकें, जिससे हमारे नियमों में इम्प्रूवमेंट हो सके, हमने उनका प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन किया और सजेशन्स इनवाइट किये और अध्यक्ष महोदय, जो कुमायूं से हमारे मित्र आते हैं उनमें से तीन साहबान को, जिनमें माननीय नारायणदत्त तिवारी एक हैं, खासतौर से वे रूल्स मैंने भिजवाये, ताकि शिकायत की कोई गुंजायश न रहे और हमें मालूम हो जाय कि उनका क्या क्रिटिसिज्म है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट उनकी राय से मुस्तफीद नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने कोई राय दी ही नहीं। फिर उन रूल्स का फ़ाइनल पब्लिकेशन कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा करना कानूनन जरूरी नहीं था, लेकिन वह किया गया और खासतौर से इंडिविजुअल तरीक़े से उनके तथा दो और दोस्तों के पास वे रूल्स भेजे गये यह तो कानूनी शकल की बात हुई।

अब रहा यह कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कितनी उत्सुक थी कि लोगों की राय मालूम हो जाय। क्योंकि अखबारों में मैं अक्सर देखता रहता हूं, एक आध साहबान के बयान भी मैंने पढ़े हैं, कुछ चिट्ठियां भी आती हैं, जिनसे मालूम होता है कि काफी ग़लतफ़हमी है, मैंने कुछ पर्सनल इनविटेशन्स भेजे और कहा कि परसों असेम्बली के बाद सवा ५ बजे, कल सुबह साढ़े ९ बजे और फिर कल असेम्बली की बैठक के बाद सवा ५ बजे लैंड रिफार्म्स कमिश्नर, सेटिलमेंट कमिश्नर और रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये तीनों लोग एक जगह एक साथ होंगे और कोई मेम्बर साहबान अगर उनसे मिल कर कोई सुझाव देना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। परसों शाम को उनके पास कोई नहीं पहुंचा, वे लोग बैठे रहे। कल सवेरे कोई नहीं पहुंचा और कल शाम उनके पास कोई गया या नहीं इस बारे में मैंने अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात नहीं की है।

अब रही डिबेट की बात। मैं समझता हूं कि जो मैंने बयान किया उसके बाद डिबेट की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा वे रूल्स इतने टेक्निकल हैं कि बहुत से लोगों को तो उनमें दिलचस्पी भी नहीं होगी। मैं खुद भी उन रूल्स के ऊपर पूरे तरीके से हावी हूं एक ले मैन के तौर पर मैं क्लेम नहीं करता। इसलिये मुझे भी कदम-कदम पर जवाब देने के लिये अपने अफसरान से मशविरा करना होगा, क्रिटिसिज्म भी बहुत कुछ आफ़ दि प्वाइन्ट होगा। इसके अवाला जो मेरे मित्र कुमायूं से आते हैं उनको मैंने ये भेज ही दिये थे। इसलिये मेरी अपनी राय में डिबेट की कोई जरूरत महसूस नहीं करता हूं। फिर भी अगर माननीय मित्र जरूरी समझते हैं कि सबके सामने बहस हो तो मुझे कोई इन्कार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी ने जो अपना स्पष्टीकरण थोड़ा सा दिया उसके लिये मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बतलाया कि नियम हम लोगों की राय के लिये भेजे गये थे। उनको यह स्वयं मालूम होगा कि जिस समय रूल्स मेरे पास भेजे गये थे उस समय मैं सेल्स टैक्स आन्दोलन के सिलसिले में जेल में था। एक महीने की तारीख दी गयी थी। जब मैं जेल से वापस आया तब वे मिले। उसके बाद मैंने माल मंत्री जी से कहा कि मुझे समय दीजिये। तो उन्होंने १२ घंटे का समय दिया। अब १२ घंटे का समय इतना कम था कि मैं अपने लिखित सुझाव इस सम्बन्ध में नहीं भेज सका। लेकिन उसमें जो कमियां थीं वह मैंने माल मंत्री साहब को स्वयं बतला दी थीं और रेवेन्यू सेक्रेटरी जहूरुल हसन साहब को भी बतला दिया था। उसके आधार पर एकाध संशोधन हुये लेकिन बाक़ी नहीं हुये। जहां तक कल जाने का सवाल है तो हम लोग चार आदमी कल शाम को सेटिलमेंट कमिश्नर साहब के पास गये। उनसे डेढ़ घंटे तक बातचीत होती रही। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विवाद न हो। विवाद के लिये पहले तो मैंने कहा भी नहीं था। मैंने तो एक कामरोको प्रस्ताव केवल रखा था। आपने ही सुझाव दिया कि थोड़ा सा विवाद हो जाय तो अच्छा हो। मैंने उससे लाभ उठा कर चाहा कि विवाद हो जाय तो उचित है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि हम सब लोग रूल्स के माहिर हैं। विवाद से सम्भव है कि कुछ गलतफहमी दूर हो जाय और या माननीय मंत्री जी को नये सुझाव प्रस्तुत हो जायं तो क्या दिक्क़त हो सकती है। लेकिन यह अत्यन्त महत्वपूर्ण लैंड रिकार्ड आपरेशंस हैं। अगर यह नियम ठीक नहीं होते और इस सेटिलमेंट के कामयाब होने पर ही यह नियम ठीक प्रकार से लागू हो सकते हैं तो अगर यह नियम ठीक प्रकार से लागू नहीं होते और वहां की स्थिति के अनुसार नहीं होते तब चाहे विधेयक कितने ही अच्छे पास क्यों न हों उससे किसी को ठीक प्रकार से फ़ायदा नहीं होता है। इसलिये कि ये नियम बहुत महत्व के हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो यह जानने की कोशिश की कि माल मंत्री जी इसके ऊपर कोई वादविवाद करने के लिये समय देना चाहते हैं या नहीं, और इस गलतफहमी में मैंने यह समझा कि शायद इस सम्बन्ध में नियम यहां पर सदन के सामने नहीं आये और शायद पूछताछ की कार्यवाही भी नहीं हो सकी। लेकिन आपने अभी-अभी बताया है कि बहुत कुछ पूछताछ हो चुकी है और माननीय नारायणदत्त जी से भी आप की बातचीत हो चुकी है और मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी भविष्य में और भी परामर्श करने के लिये अपने कमरे में तैयार हैं। इस परिस्थिति में चूंकि सदन के सब सदस्य उस विषय में दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं देते तो पहली कार्यवाही इस विषय में यही उचित होगी कि माननीय नारायणदत्त जी अगर नियमों में कोई परिवर्तन कराना चाहते हों तो माल मंत्री जी से मशविरा कर लें और अगर मालमंत्री जी इस बात के लिये तैयार हों और वह राजी कर सकें माल मंत्री को तो सदन में वह एलान कर दें कि इन नियमों के सम्बन्ध में वे बहस करना चाहते हैं या नहीं। वैसे यहां पर इस प्रकार की बहस नहीं होनी चाहिये कि नियमों पर बहस होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये। अब इस विषय में माननीय सदस्य मंत्री जी के कमरे में जाकर के बहस कर के जो चाहें निर्णय कर लें, लेकिन मैं इस विषय में यहां पर बहस होना आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मुझे कल शाम का तो मालूम नहीं है कि मेरे माननीय मित्र गये और बातचीत की। अगर बातचीत को और जरूरत होती फिर आज पांच बजे शाम को जितने वक्त तक जो मित्र चाहें वे बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद अगर किसी रूल्स में अमेंडमेंट अगर गवर्नमेंट करना मुनासिब समझेगी तो उसे करने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि आखिर कोई गलत बात तो नहीं करनी है और न किसी प्रकार की ज़िद ही है। लैंड रिकार्ड्स वहां नहीं हैं इसी वजह से दिक्क़त हुई और इसीलिये यह किया जा रहा है।

[श्री चरणसिंह]

एक बात और एक्सप्लेनेशन के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं। मेरे मित्र ने कहा कि वे उस वक्त जेलखाने में थे जब वह कागजात गये। तो वहां डाक तो मिलती होगी और वहां उनको ज्यादा मौका भी था। मुझसे आपने वक्त के लिये कहा था कि मुझे और वक्त दे दिया जाय। मैंने आपको वक्त भी दिया था। परसों से मैंने और दो दिन दिये और इतना मौका देने पर भी जब सुझाव नहीं आये तब फायनल पब्लिकेशन करना ही पड़ा।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) यह कोई बहुत महत्व की चीज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--नहीं पहुंचे जेलखाने में, आप मानिये तो।

याचिका समिति के मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--अब मैं आदरणीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। याचिका समिति के लिये निम्न सदस्यों को मैं फिर से मनोनीत करता हूं :--

श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष--सभापति
श्री विष्णुशरण दुब्लिश,
श्री इतिजा हुसैन,
श्री जगन्नाथ मल्ल,
श्री गंगाप्रसाद सिंह।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अप्रैल, १९५६ की बैठक में कुछ संशोधनों सहित पारित किया तथा जिन संशोधनों के सहित उक्त विधेयक को विधान परिषद् ने अपनी १८ अप्रैल, १९५६ की बैठक में पुनः पारित किया, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २४ जून, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का २४वां अधिनियम बन गया।

हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ की प्रवर समिति के लिये नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष--पिछले दिन श्री रामसुमेर जी के हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४, पर प्रवर समिति में कार्य करने के लिये १९ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में चर्चा इस सदन में चल रही थी। उसमें शिवनारायण जी का नाम आखिर में लिया गया था। तब समय पांच का होने वाला था इसलिये मैंने कहा था कि और नाम जो प्रस्ताव करना चाहते हैं और कार्यवाही जो उस विषय में होगी वह किसी दूसरे रोज होगी, जब कि भविष्य में असरकारी दिन पड़ेगा। इसलिये आज कुछ सदस्य और नाम देना चाहते हों तो वह दे सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह पांच नाम प्रस्तावित करता हूं :--

(१) श्री अब्दुल लतीफ,
(२) श्री कालीचरण टंडन,
(३) श्री बेनीसिंह,
(४) श्री देवमूर्ति शर्मा,
(५) श्री बसन्तलाल शर्मा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्न नाम पेश करता हूं :---

(१) श्री बलदेव सिंह आर्य,
(२) श्री रामसनेही भारतीय,
(३) श्री सुखीराम भारतीय,
(४) श्री वीरेन्द्रशाह (राजा),
(५) श्री केशवगुप्त,
(६) श्री नत्थूसिंह,
(७) श्री शांतिप्रपन्न शर्मा,
(८) श्री शिवप्रसाद।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह ६ नाम प्रस्तावित करता हूं :---

(१) डाक्टर सीताराम,
(२) श्री हबीबुर्रहमान अंसारी,
(३) श्री महाराजसिंह,
(४) श्री व्रजभूषण मिश्र,
(५) श्री शिवमंगल सिंह कपूर,
(६) श्री पुत्तूलाल।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो नाम मंगवाये गये हैं उसका तो आप को अधिकार था लेकिन आज तक किसी भी सेलेक्ट बिल में, मुझे चार, पाँच साल का अनुभव है, कभी भी इस प्रकार का तरीका अपने कार्य में नहीं लिया। चूंकि यह हरिजन संरक्षण विधेयक है इसलिये इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो उसमें शीघ्रता होनी चाहिये। इस बीच में रामसुमेर जी ने आप को पत्र भी लिखा था कि यदि आप नाम मंगवाना चाहते हों तो मंगवा लें। यह जो बीच की छुट्टी हुई थी उसमें यह काम हो सकता था। अगर यह काम कुछ जल्दी निपट जाता तो संभव है कि यह बिल कुछ जल्दी आ जाय, अन्यथा मुझे शक है कि यह सरकार अपनी डिलेइंग टैक्टिक्स की पालिसी अख्तियार कर के इस चीज को खत्म न कर दे.....

श्री अध्यक्ष---मैं आप को इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह जो नामजदगियां हो रही हैं इस सिलसिले में आप दूसरी प्रकार की टीका-टिप्पणी शुरू कर दें यह ठीक नहीं है। इसके विषय में अगर आप को कुछ कहना है तो कह दें या सुझाव दे दें।

श्री जोरावर वर्मा---कभी भी किसी सेलेक्ट कमेटी में इस प्रकार नाम नहीं लिये गये। मेरा सुझाव है कि आगे नाम न लिये जायं। जो नाम आ गये हैं उन्हीं में से १९ नाम चुन लिये जायं ताकि यह काम जल्दी खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष---नाम लेना जरूरी है। उस रोज समय खत्म हो जाने से मैंने कह दिया था कि अब मैं नाम नहीं लेता और दूसरे रोज नाम लूंगा। आखिर में मैंने कहा था जब शिवनारायण जी का नाम प्रस्तुत हुआ कि उस पर कार्यवाही बाद में होगी, जो भविष्य में असरकारी दिन होगा उस दिन होगी, क्योंकि ५ बज चुके थे। बाद में मेरे पास एक पत्र लिखा गया था जिसमें माननीय रामसुमेर जी ने लिखा था कि मैं और लोगों से नाम दफ्तर से ही मंगा लूंगा, लेकिन नियम में यह लिखा हुआ है कि सदन में ही नाम पेश हो सकते हैं, इसलिये पहले ही नाम मेरे दफ्तर द्वारा प्रस्ताव के रूप में मगाना संभव नहीं था। मैं समझता हूं यदि सब लोग आपस में पहले से, बातचीत कर लें और एक मत से एक फेहरिस्त पेश कर दें तब चुनाव होना बच सकता है। मुझे शंका इस बात की है कि माननीय रामसुमेर जी ने विरोधी दल

[श्री अध्यक्ष]

के सचेतक और गवर्नमेंट के सचेतक से चर्चा करके इस फेहरिस्त को नहीं बनाया है। तो उसका परिणाम यह अवश्य ही होगा कि अन्य नामों के प्रस्ताव उपस्थित हों, उनकी फेहरिस्त सर्व-सम्मति से नहीं आयी थी। यहां एक मत से जो अभी तक कार्यवाही होती रही है उसका कारण यही रहा है कि सचेतक सब से परामर्श किये होंगे, घूमें होंगे और सब लोगों से बातचीत कर के यहां एक फ़ेहरिस्त पेश की होगी। वैसे नियम के अनुसार, हर सदस्य को अधिकार है कि वह किसी सदस्य का नाम दे सकता है। अगर श्री रामसुमेर जी ने किसी से न पूछने के कारण ऐसी स्थिति हो गई है तो उसका परिणाम उनको भुगतना ही पड़ेगा। इसमें लाचारी है

श्री रामसुमेर (जिला फ़र्रुखाबाद)---चूंकि मेरा नाम बीच में ले लिया गया इस-लिये मैं चाहता हूं कि जब इस प्रकार का प्रस्ताव आया था उसी प्रकार से मुझे बात करने के लिये बुलाया था जब कि शुरू में यह बिल यहां पर लाया था। उसी तरीके से मैंने पार्टी को इन्फार्म किया था लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा या हरिजनों के प्राबलम को नहीं समझा। उसका नतीजा यह हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फार्म नहीं किया। उसका फल जो हुआ वह स्पष्ट है लेकिन जो प्रोसीजर हो सकते थे वह सब प्रिकौशन्स लिये गये और सब को इन्फार्म किया। अगर उन्होंने इन्फार्म नहीं किया तो मेरी ग़लती नहीं है और जो भी उसका फल हो मैं उसको भुगतने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष---नामों के बारे में सब लोगों की विभिन्न बातें थीं। पहले क्या बात थी वह तो मेरे सामने नहीं है। मैं अब इसके लिये यह तरीका रखता हूं कि जो नाम अब आ चुके हैं उनके अलावा और नाम न आवें। सिर्फ अब तक जिनके सुझाव आ गये हैं उन सब नामों को ले लूंगा।

नियम में यह लिखा है कि---

"In case election is necessary, it shall be held according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote."

इस अवस्था में भी मैं यह समझता हूं कि इस चुनाव को अवाइड किया जा सकता है। वह तरीका यह हो सकता है कि जो नाम आ चुके हैं उनको एकत्रित करके सदन को मैं बता दूं और परसों या तरसों समय मुकर्रर कर देता हूं कि इस बीच में जिन लोगों को नाम वापस लेना हो वह वापस ले लें। तो नियम में जो नोटिस देने का तरीका है कि प्रपोर्शनल रिप्रिजन्टेशन के द्वारा चुनाव होगा इस बारे में सेक्रेटरी नोटिस देगा उस नोटिस आदि का समय बच जायगा यानी जो कुछ भी मुझसे नियम के अनुसार शीघ्रता करने का तरीका हो सकता है वह मैं अख्तियार करूंगा लेकिन नामजदगी सदन में होना चाहिये थी यह नियम में था इसलिये इस बात की आवश्यकता पड़ी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---हमारी पार्टी के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ कहा था। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के किसी जिम्मेदार आदमी से आज तक इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मुझसे भी कोई राय नहीं ली गयी थी। आज तक जितने सेलेक्शन कमेटी के आमतौर पर जितने चुनाव होते हैं सब बिला विरोध के हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जो सजेशन आपने दिया है वह मुनासिब है, ३,४ दिन का समय दिया जाय क्योंकि कल तो शनीचर है और परसों इतवार है। बहुत से सदस्यों के नाम पेश हुये हैं तो इसके लिये ३, ४ दिन का समय देना पड़ेगा। इस बीच में हम प्रयत्न करेंगे कि एक ऐसी कमेटी बन जाय जिससे सब सहमत हों और चुनाव रुक जाय जैसी कि अब तक प्रथा रही है वैसी हो जाय तो यह मुनासिब ही होगा। मेरी राय वही है जो आपकी है केवल समय देने की बात है।

श्री अध्यक्ष––मैं मंगलवार ३१ तारीख तक समय दे देता हूं नाम वापस कर लेने का आप इसको नोट कर लें ।

और मैं माननीय रामसुमेर जी से कहना चाहता हूं कि वह भी जरा थोड़ी सी सचेतकों की सेवा लें क्योंकि वे इसीलिये हैं कि सबकी सहायता करें इस विषय में एकता लाने के बारे में ।

श्री बलवन्त सिंह जो मेरे पास अब यह दे गये हैं । अब मैं इसको नहीं लूंगा ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––अध्यक्ष महोदय, जिस समय नाम लिये जा रहे थे उस समय आपने जो कुछ कहा, बाद में हमें समय नहीं मिल सका । उससे पहले अगर आप कह देते कि इतना टाइम है जिसके अन्दर नाम दिये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष––किसी को आपत्ति नहीं हो तो मैं इसको भी लिये लेता हूं ।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी ।)

और नाम तो नहीं हैं ?

(कोई और नाम नहीं दिया गया ।)

तो आज दिये हुये नाम फेहरिस्त में शामिल हो जायेंगे और जिसको वापस करना हो वे समय के अन्दर वापस करें ।

ऐतिहासिक टूटे-फूटे, कच्चे, पक्के किलों, कोटों, पवित्र स्थानों और पुरानी बस्तियों के पुर्ननिर्माण तथा पुनर्वासन सम्बन्धी संकल्प

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)––मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, टूटे-फूटे, कच्चे, पक्के किलों, कोटों, पवित्र स्थानों और पुरानी बस्तियों के पुर्ननिर्माण तथा पुनर्वासन की अति आवश्यकता है अतः सदन सरकार से सिफारिश करता है कि इस तरफ वह शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)––अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव या संकल्प पर एक वैधानिक आपत्ति है कि यह संकल्प अवैधानिक है । इसमें किलों, कोटों और पवित्र स्थानों का जिक्र है । कोटों का अर्थ भी आमतौर से किले का ही लिया जाता है । ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में हैं । बहुत से टूटे-फूटे किले हैं जिन्हें आरक्योलाजिकल डिपार्टमेंट मेन्टेन करता है । पवित्र स्थानों में कुछ हमारी सरकार के अन्तर्गत हैं और कुछ सेंट्रल सरकार से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे जहां मंदिरों का प्रश्न है उनका सम्बन्ध हमारी प्रादेशिक सरकार से है लेकिन और भी पवित्र स्थान हैं, जैसे ताज आगरे का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है । यहां पर कोई लाइन आफ डिमारकेशन नहीं है कि कौन से स्थान से मतलब है । पुरानी बस्तियों का शब्द अस्पष्ट है, इसमें किसी चीज की व्याख्या कोई नहीं है । तो कुछ तो केन्द्रीय सरकार से संबंध रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रदेशीय सरकार से सम्बन्ध रखते हैं । यह प्रस्ताव अस्पष्ट और इनडैफिनिट है । कहा जा सकता है कि पवित्र स्थान भी हमारी प्रादेशिक सरकार के अन्तर्गत आते हैं लेकिन जब तक इस प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं होता है तो पूरा प्रस्ताव प्रादेशिक सरकार के अन्तर्गत लिया जायगा और तब तक मैं समझता हूं इस प्रस्ताव का मानना उचित सा नहीं होगा ।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव पूर्णतया वैधानिक है । नारायणदास जी ने अपने शब्दों में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

किले को गिरा दिया जाय या उसे स्टेट गवर्नमेंट अपनी सम्पत्ति बनाले । बल्कि आखरी जो आपरेटिव हिस्सा इस प्रस्ताव का है उसमें लिखा है कि "अतः सदन सरकार से सिफारिश करता है कि इस तरफ वह शीघ्रातिशीघ्र कदम उठावे ।" कदम उठाने में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार से सिफारिश कर सकती है और प्रार्थना भी कर सकती है कि फलां जगह उसका किला अरक्षित अवस्था में है उसकी मरम्मत करा दी जाय या हम करा दें, इसकी हमें इजाजत दे दी जाय । तो मैं नहीं समझता कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई प्रापर्टी अपनी बनाने की बात इस प्रस्ताव में है । नारायणदास जी केवल सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि जो प्रापर्टी उपेक्षित अवस्था में पड़ी हुयी है उसके बारे में कार्यवाही की जाय । चाहे उसे सेंट्रल सरकार करे या यह सरकार उसकी इजाजत से करे । इसलिये यह प्रस्ताव पूर्णतया वैधानिक है और आप इसे वैधानिक डिक्लेयर करें ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन में यूनियन लिस्ट की आइटम ६२ की आइटम ६७ में यह है कि---

"Ancient and historical monuments and records, and archaeological sites and remains, declared by Parliament by law to be of national importance."

मौजूदा प्रस्ताव में ऐतिहासिक, टूटे-फूटे, कच्चे, पक्के किलों, कोटों, पवित्र स्थानों और पुरानी बस्तियों के पुर्ननिर्माण के लिये कहा गया है । यह इस सरकार का विषय नहीं हो सकता क्योंकि यह ऐतिहासिक शब्द इन सब चीजों को गवर्न करता है । हिस्टारिकल पुराने मान्यूमेन्ट्स सब इस लिस्ट में आते हैं । पार्लियामेंट में ऐन्शैन्ट मान्यूमैन्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले भी लिया है । मैं समझता हूं कि यह इस सरकार के बाहर की बात है । जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा, सिफारिश तो यह सरकार केन्द्रीय सरकार से हर मामले में कर सकती है जो केन्द्रीय सरकार का विषय है । इसलिये यह सिफारिश की बात वैधानिक है । तो मैं समझता हूं कि अवैधानिकता का प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह प्रस्ताव पूर्णतया वैधानिक है । अभी माननीय मौर्य जी ने जो कांस्टीट्यूशन का हिस्सा पढ़ा उन्होंने उसके अर्थ पर ध्यान नहीं दिया । जब विधान का संशोधन हुआ तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जितने भी ऐतिहासिक मान्यूमैन्ट्स इत्यादि हैं वे उसके सब प्रादेशिक सरकार के मातहत हैं सिवाय उनके जिनको पार्लियामेंट नैशनल इम्पार्टेन्स का घोषित कर दे । इसलिये आज इस स्टेट में जितने किले इत्यादि पुरानी चीजें हैं वे सब स्टेट के अन्दर हैं जब तक कि पार्लियामेंट किसी को अपने तहत में न लेले । इस प्रस्ताव पर जो कुछ भी निर्णय हो, लेकिन अधिकांश ऐसी चीजें इसमें हैं जो हमारे तहत में हैं । उसमें हम जो कुछ भी करना उचित समझें यह देखने की बात है । बाकी उनकी सुरक्षा के लिये कदम उठाने के लिये भी हम केन्द्रीय सरकार से कह सकते हैं । इसलिये मेरी समझ में यह प्रस्ताव पूर्णतया वैधानिक है ।

श्री अध्यक्ष---अधिक बहस की अब आवश्यकता नहीं है, प्रश्न बहुत स्पष्ट हो चुका है । यह वैधानिक प्रश्न उठाया गया है कि जो किले और कोट इत्यादि हैं, जिनका जिक्र इस प्रस्ताव में किया गया है, वह संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं इसलिये यह सदन उनके सम्बन्ध में विचार नहीं कर सकता । संविधान का जो सातवां शिड्यूल है वहां केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के बारे में फेहरिस्त दी हुयी है उसके ६७ वें आइटम को द्वारका प्रसाद जी ने पढ़ कर सुनाया कि ऐंशियेंट और हिस्टोरिकल मौन्यूमेंट्स और आर्कैलाजिकल साइट्स जिनको कानून के अनुसार पार्लियामेंट नेशनल इम्पार्टेन्स (राष्ट्रीय महत्व) के घोषित कर दे वही केवल केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं बाकी यदि हम शिड्यूल ७ में, सूची २ स्टेट लिस्ट के १२ वें आइटम को देखें तो उस में करीब-करीब वही शब्द फिर हमें मिलते हैं ।

यानी जो स्थानादि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा नेशनल इम्पार्टेन्स के घोषित कर दे वही केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं। बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट की सूची में १२ वें आइटम में लिस्ट में मौजूद हैं। यानी संविधान के अनुसार कुछ केन्द्रीय सरकार के जिम्मे हैं और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट के लिये हैं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा। इस प्रस्ताव में सब स्थानों के लिये यह नहीं कहा गया है कि प्रदेशीय सरकार अपने पैसे से उनकी सुरक्षा करे। चाहे जो मौन्यूमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट उसकी रक्षा की ओर कदम उठाये ऐसा उसमें कहा गया है। उसके लिये वह केन्द्रीय सरकार को भी लिख सकती है तथा अधिकतर चीजों में स्टेट गवर्नमेंट को अपनी शक्ति के अनुसार कदम उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं इसको बैध करार देता हूं। जो आपत्ति उठायी गयी है वह अनुचित है।

श्री नारायणदास---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सदन में इस प्रस्ताव को पेश करने की आज्ञा प्रदान की। यह प्रस्ताव हमारे सदन के माननीय सदस्यों और सारी जनता का ध्यान आकर्षित करता है कि इस प्रदेश में जो प्राचीन पवित्र स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, जो किसी वजह से टूट फूट गये या तोड़े गये हैं, उनका निर्माण व पुनर्वासन पुनः किया जाय। मुझे इस तरफ ध्यान इसलिये दिलाना पड़ा कि गत वर्ष बाढ़ के समय जब फैजाबाद में भयंकर बाढ़ आयी थी तो इत्तफाक से सभा-सचिव माननीय कृपाशंकर जी वहां गये थे। चारों तरफ ऐसा पानी भरा हुआ था कि समुद्र ही समुद्र दिखायी पड़ता था। लोग पुराने टीलों के ऊंचे स्थानों पर बैठे हुये थे और ये ही पुरान टीले व किले कोट उनकी रक्षा कर रहे थे क्योंकि वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता था। उस समय मेरे मन में ऐसा खयाल पैदा हुआ कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गांवों को ऊंचा करने के लिये नियोजन विभाग में कार्य हो रहा है अगर वह इस तरफ भी ध्यान दे और इन पुरानी बस्तियों को जो हजारों और लाखों की तादाद में अपने सूबे में पायी जाती हैं उनको यदि फिर से बसाया जाय तो इससे गांवों की घनी आबादी भी कम हो जायेगी और बाढ़ से भी लोगों की सुरक्षा हो सकेगी क्योंकि यह टीले व किले ऊंचे पर हैं। वहां पर की पुरानी बस्तियां या तो उजाड़ दी गयी हैं या उजड़ गयी हैं। हमारे पूर्वज बड़े विद्वान् थे जिन्होंने यह बनाये थे उनकी दूरदर्शिता के कारण आज हमारी इस जल प्रलय से सुरक्षा हो रही है। जब मेरा ध्यान इस ओर गया तो मैंने सोचा कि इन पुराने किलों और टीलों की ओर मुझे ध्यान देना चाहिये। जब मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार विचार किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये पुराने किले और बस्तियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं जिसको हम प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, महाभारत काल, अन्धकार काल, मुगलकाल और अंग्रेजी काल की यादगार कहते हैं। इस प्रकार ये टीले और किले कभी हमारे वैभव केंद्र रहे हैं और हमें अपने पूर्व पुरुषों की याद दिलाते हैं। वह न केवल सवर्ण हिन्दुओं की ही बल्कि पिछड़े वर्गों व हरिजनों के कार्यों और उनकी पुरानी बस्तियों की भी याद दिलाते हैं।

इसी दिशा में जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारा यह उत्तर प्रदेश आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से उस संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है जिसमें कोई जाति-पांति की बुरी भावना न थी बल्कि वह ऐसा युग था जिसमें न केवल यहां की हिन्दू सभ्यता को महानता मिली बल्कि प्रगतिशीलता ऐसी थी कि दूसरी सभ्यताओं को भी हिन्दू धर्म अपने में ले लेता था, और सब को प्रेम व भाई चारे की निगाह से देखकर तरक्की का मौका मिलता था।

अब मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी सूची उन नष्ट-भ्रष्ट पुराने कच्चे पक्के किले, कोटों, टीलों तथा पवित्र स्थानों की पेश करूंगा। वह यह है---पुराना साकेत, फैजाबाद (अयोध्या) व मणि पर्वत, डीह आस्तीक, डीह सिड़हिड़, डीह सिड़हिड़ जनमेजय कुंड, कोट अहिरन, नन्दी ग्राम (भरतकुंड), फैजाबाद, मेहानगर किला (भर), आजमगढ़, घोसी किला (राजा नहुष के जमाने का है), आजमगढ़, कोट ऊंचगांव व हरवंशपुर (भर), आजमगढ़, किला आजमगढ़,

[श्री नारायणदास]

सोहवल कोट, फूलपुर, आजमगढ़, किला द्रुपद, फर्रुखाबाद, गढ़हरिद्रोही-सदरपुर (सीतापुर) (भर), दैत्यवंश हरदोई, कोट रुइया-डीहा, संडीला कोट, हरदोई, किला मानिकपुर, प्रतापगढ़-कुंडा (मानिकचन्द का बनाया), हन्डौर डीह, जिला प्रतापगढ (हिडम्ब का बसाया), किला कन्नौज, किला बिठूर कानपुर (जिस का संबंध नाना साहब पेशवा से है), किला चुनार, जिला मिर्जापुर, किला झांसी (जो रानी झांसी का है), विजयगढ़, राबर्ट्सगंज (राजा चेतसिंह द्वारा बनाया गया), किला भूरश्रवा (मुहली शेरव), किला अगोरी (जो मिर्जापुर में सोनपुर नदी के किनारे), किला मृगा रानी, दुद्धी मिर्जापुर, कंडाकोट (पहाड़ी), मिर्जापुर (भर), कोट हरिबंध (भर) मिर्जापुर, लखना टीला (लखना पासी का बनाया) लखनऊ, कोट बिजनौर (विजनी पासी का), कोट महोना, कोट मलिहाबाद, हरवारा (किला नथविन पासी का), कोट कुम्हरावां-सुल्तानपुर, अमेठी, कोट कुशभवनपुर-सुलतानपुर, कोट काकोरगढ़ लखनऊ, कोट कासमंडी-लखनऊ, कोट कठवारा (जो कुर्मियों का था और धांधूराय का बनाया था), कोट अन्तेगढ़ी (यह भी उन्हीं का है), कोट वालार्क तीर्थ, सूर्यकुंड, बहराइच कोट, सलोन, रायबरेली, कोट रोहिनिया, गोडवा उभरन (पासी का) जायस का कोट, डलमऊ का कोट (यह अहीरों का था), कोट रोंकी, कोट तारवीर (भरों के थे) और कोट नाहिन (अहीरों का था), संगरामपुर डौंडियाखेरा, उन्नाव, कोट डोमिनगढ़ जो राप्ती नदी पर है और उग्रसेन डोम का था, जिला गोरखपुर, कोट नानपारा, बहराइच (निहाई तेली का था), रमनगढ़ का कोट, गोरखपुर सादीपुर किला (परसादी गूजर का था), उन्नाव जिले में, शाहाबाद किला (अंगद चमार का था, उसने उसे बनाया और यज्ञ किया, ब्राह्मण बनकर बौद्ध हुआ), सिकन्दरपुर किला-हरजूमल धोबी का था जिसके पासी व अहीर सेनापति सरदार थे, किला संचान कोट (पासियों का था) सहेत-महेत गोंडा जिले में हैं जो साढ़े ७ मील में है (राजा प्रसेनजित का था), कोट किन्तूर बाराबंकी (राजा भी पासी था वहीं की कान्तिदेवी सती थी जो महापासी को ब्याही थी) पसगवां किला बरवारों का, डलमऊ का अहीरों का था, पाली किला (ठठेरों का था हरदोई जिले में गर्रा नदी पर) पहाड़ पुर किला था थारूओं का हरदोई जिले में, झूंसी इलाहाबाद में था भरों का, खैरागढ़ सीतापुर जिले में पासियों का था, महोरी किला (हंसा पासी का बनाया था), मितौली, धौरहरा खेरी में वह भी पासियों का था, सुरहुरपुर (सूहलदत्त), अकबरपुर बाबा वरिवंडदेव-गढ़ थम्भौर, सीतापुर में रनुवा पासी का था, थुरेडी, कोट फतेहपुर चौरासी ठठेरों का था, परियर कुम्भी, भूधरा के नागों का मूर्ति चिन्ह, लुम्बनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, किला कुशी नजर (कसया) देवरिया-पडरौना के बौद्ध खंडहर, कोट सड़वा चंद्रिका, जिला प्रतापगढ़ इत्यादि। लुम्बनी यहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और कसिया में उनकी मृत्यु हुई।

मेरे पास जो तालिका है वह बहुत बड़ी है। इसमें जितने किले, कोट हमारे यहां बने हुये हैं वह स्मारक के रूप में टूटे-फूटे हैं उत्तर प्रदेश में पड़े हुये हैं ये हमारे पुराने इतिहास और संस्कृति के स्थान हैं। ऐसी दशा में इन स्थानों को देखने से, उनका इतिहास जानने सुनने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि इसमें कोई जातपात की बात नहीं थी, कोई छुआछूत की बात नहीं थी, न ऊंच नीच की बात थी। पहले एक इतिहास था, एक संस्कृति थी जो अपने में सारे विश्व को पनपा कर रास्ता दिखा रही थी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान इस तरफ दिला रहा हूं। आपके यहां साकत है जिसे अयोध्या कहते हैं जिस पर चारों तरफ से हमले हुये और जो टूट-फूट कर भ्रष्ट हो गई। मनु महाराज ने इसको बसाया था और सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु प्रथम राजा थे। साकेत इसका नाम था। शक्ति के आधार पर बसी हुई थी। मातृ-सत्तात्मक प्रणाली चल रही थी। विन्ध्याचल क्षेत्र में यह प्रणाली चल रही थी। विध्यवासिनी काली, दुर्गा आदि की पूजा इस बात का प्रतीक है कि यहां पुराने समय में मातृ सत्तात्मक प्रणाली काफी दिनों तक रही है। आज हम नाम

लेते हैं भारत माता का, गोमाता का, अपनी माता का उससे ज्ञात होता है कि माता का स्थान हमारे इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है तथा यह इतिहास बतलाता है कि माताओं की कितनी इज्जत वे लोग करते थे। कुछ लोग कहा करते हैं कि नारी समानता यहां धर्म नहीं है और माताओं को मानते ही नहीं लेकिन इस बात का सबूत है कि हम सक्रिय रूप से किस तरह से माताओं को स्थान देते थे और जो हमारे यहां के ऋषि-मुनि थे वह इस आधार पर एक कानून बनाये हुये थे--

मातृवत् परदारेषु परद्रव्यस्त लोष्ठवत्।।
आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सः पंडितः।।

उन्होंने कहा है कि मातायें-बहनें जो दूसरों की हैं वे अपनी मातायें-बहनो के समान हैं और दूसरे का धन जिससे लोभ पैदा होता है यह कंकड़ पत्थर की तरह माना जाय। जो सब से बड़ा नियम था वह मनुष्य मात्र को ही नहीं सारे जीव मात्र को अपने समान समझा गया। यह सबसे बड़ा आधार-स्तम्भ था। अब मैं आपका ध्यान प्राचीन साकेत की ओर दिलाऊंगा। प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि:--

अयोध्या मथुरा गया काशी कांची अवन्तिका।
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्ष दायका:।।

यह जो सात पुरियां हैं यह मनुष्य को मोक्षदायिनी होती हैं।

अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूः अयोध्या।
तस्या हिरन्यमय कोषः स्वर्गोजगेति षावृत:।।

इस तरह अयोध्या सारे जगत के अन्दर सोने के स्वर्ग की तरह समझी गई। लेकिन सदियों से इस पर इतने आक्रमण हुये जिसका अंजाम यह हुआ कि वह नष्ट-भ्रष्ट हो गई। आज भी वह अपना जो नैतिक बल संसार को दे रही है रामायण के रूप में उसे आप देख ही रहे हैं। श्रीमन्, श्री रामचन्द्र जी का जो आदर्श है उसको देखते हुये भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और वह अवतार माने गये और वह रामायण जिसमें विभिन्न किस्म की चीजें हैं चाहे धर्म या समाज या राजनीति को लीजिये या किसी और को, सब रामायण के अन्दर मौजूद हैं। और वह इतनी पवित्र हो चुकी है कि गीता की तरह वह रूस देश में १९ भाषाओं में छपी है। तो ऐसी अयोध्या जहां पर ऐसे महान पुरुष हरिश्चन्द्र जैसे और श्री रामचन्द्र जैसे महान लोग हुए जिन्होंने सारे प्रदेश को नहीं बल्कि सारे विश्व को रोशनी दी। वह अयोध्या इतनी बुरी हालत में है कि उसका आज कोई सरकार से पूछने वाला नहीं रह गया। लोग श्री रामचन्द्र, रामायण और महात्मा तुलसीदास को भक्ति भाव से मानने को तैयार हैं लेकिन अयोध्या नगरी, जिसका संसार में महत्वपूर्ण स्थान था और जो सूर्य वंश की हजारों लाखों वर्षों से राजधानी रही, उसने जगत को प्रकाश दिया और ऐसा प्रकाश दिया कि उसी के आधार पर हमने अपना एक रामराज्य की कल्पना का प्रतीक बनाया हुआ है और उसी लक्ष्य पर चलने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसी अयोध्या की उपेक्षा हो रही है। पूज्य गांधी जी ने तो श्री रामचन्द्र को इतना महत्व दिया था कि वह तो कीर्तन किया करते थे "रघुपति राघव राजाराम पतितपावन सीताराम" और अन्त वक्त तक यही उनकी जबान पर हे राम ही रहा।

इसी प्रकार से भरत की तपोभूमि भरत कुंड (नन्दी ग्राम) जो है वह इतनी बुरी दशा में है जिसको देख कर दुख होता है। जिसकी स्वयं भगवान राम प्रशंसा करते थे। वहां पूज्य बापू जी का फूल हम लाये तथा स्मारक भी बना है। आप देखें कि अयोध्या, काशी और मथुरा यह हमारे प्रदेश में तीन पुरियां हैं इसमें काशी शंकर जी की मानी जाती है, अयोध्या राम जी की और मथुरा भगवान कृष्ण की मानी जाती है। हम विश्वनाथ शंकर जी को विश्व देवता के रूप में देखते हैं, यहां तक कि अरब देश की बात देखें, मक्का, मदीना को देखें, अमेरिका को देखें, यूरप को देखें। जहां देखें वहां पर, एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं

[श्री नारायणदास]

कि सर्वत्र भगवान शंकर ने दुनिया को प्रेम-समानता को ही सिखाया हमारे यहां हिन्दू और मुसलमान दो बड़े धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन वहां पर देखें कि मोहम्मद साहब जो थे, अरब के अन्दर मक्का के प्रति क्या भाव रखत रहे हैं, और वहां जो बुत परस्त लोग थे मक्का के अन्दर काबा में, उस जमाने में ३६० मूर्तियां वहां थीं। अभी भी उसका प्रतीक संगे अस्वद, जिसको शिव लिंग काला पत्थर कहते हैं, आवेजमजम पवित्र जल चन्द्रमा वहां श्रद्धा से माना जाता है जो हम शिव के शिरो स्थान पर मानते हैं।

श्री अध्यक्ष---आपने बहुत धार्मिक विषय लेना शुरू कर दिया।

श्री नारायणदास---मेरे कहने का मतलब यह था कि वहां पर जिस वक्त इन बुतों को हटाने में भी मोहम्मद साहब ने जो ईश्वर को मान करके, निराकार मान करके मूर्तियों को सादर उठाने की कोशिश की, वहां पर किसी किस्म का दमन नहीं किया गया, बल्कि प्रेम से हटा ली गई। लेकिन श्रीमन्, यहां पर कुछ लोग धर्म की बात तो नहीं मानते थे बल्कि लूट, खसोट और डाकेजनी, हत्या और बेधरम करने यहां पर आये उस स्थान को जो हमारे यहां पवित्र पुरियां थीं जैसे अयोध्या है, जन्मस्थान राम का, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा इन सबको तोड़ फोड़ करके नष्ट-भ्रष्ट करके उसको बरबाद किया। अधर्म और पाप करके यहां के लोगों के दिलों पर आघात किया। इसे हमें धोना है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इसमें आप इतिहास की बात अधिक कर रहे हैं प्रस्ताव पर ही भाषण होना उचित होगा।

श्री नारायणदास---तो मतलब यह है जो भी धर्म है वह चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो, कोई भी धर्म हो वह एक ही बात सिखलाता है। वह है प्रेम और भाई चारा। धर्म कभी भी किसी से बैर नहीं सिखलाता है, हिंसा नहीं सिखलाता है और किसी के धन, इज्जत को लेने की बात नहीं करता है। तो इस तरीके की जो हमारी पुरियां थीं वह उपदेश आज भी दे रही हैं, तो ऐसी दशा में इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये कि यहां पर जो इनमें त्रुटियां आ गई हैं, खामियां आ गई हैं उनको दूर करने के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। साथ ही इसके मैं आपका ध्यान एक तरफ और दिलाना चाहूंगा। आज यह बात सही है कि यहां पर आज जो कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे सहेट-महेट स्थान हैं, यह स्थान साढ़े सात मील के अन्दर फैला हुआ है। जैसे वहां पर बहुत बड़ा किला था, उसका एक बहुत पुराना इतिहास है। वहां पर बाबा सुहलदेव थे। उन्होंने इन लोगों का काफी मुकाबिला किया जो लोग कि हजारों लाखों आदमियों की मार-काट करते थे और उनको अपने धर्म को मनाने के लिये मजबूर करते थे, ऐसे लोगों का उन्होंने डटकर विरोध किया और अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने की कोशिश की।

लखना टीला लखनऊ आपके यहां है श्रीमन्, इसके किनारे कायस्थ रहते थे और कुछ बैकवर्ड क्लास के व पासी लोग रहते थे और वह लखना पासी जो सरदार था यह अकबरी गेट जो बना हुआ है वह उसका गढ़ था। यहीं पर बिजनौर एक मील के फासले पर है। सरदार बिजनी पासी यहां का राजा था, जयचन्द ने आल्हा और ऊदल को लेकर उसको हराने के लिये उस पर चढ़ाई की। लेकिन बिजनौर के बिजनी पासी जो थे उन्होंने उसका मुकाबला किया और जयचन्द आल्हा-ऊदल को लेकर भी उसको दबा नहीं पाये। तो यह देश भक्ति की बात थी कि अगर कोई इस तरह से दबाने की कोशिश करता था तो वहां के लोग जो हमलावर होते थे उनका मुकाबला करते थे और अपनी मर्यादा को कायम रखने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से जो यह तमाम टीले और कोट पड़े हुये हैं (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, हमें वक्त कुछ और मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपके लिये प्रस्तावक के रूप में जो २५ मिनट थे वे खत्म हो रहे हैं। बाकी लोगों के लिये तो केवल १५ मिनट ही हैं।

श्री नारायणदास—खैर, श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे यहां पुराने डीह व उजरी बस्तियां हैं, जो हमारे यहां पुराने टीले पड़े हुये थे वह सब जिस तरह से पड़े हुये हैं आसानी से उसमें खेत किये जा सकते हैं और उसमें लोग बसाये जा सकते हैं और उसमें जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं नियोजन विभाग से वह उसमें सब आ जायेंगी। उसमें दो तरह के फायदे होंगे। एक तो यह कि हमारे टीले, कोट, किले और बस्तियां जो हैं उनका निर्माण हो जायगा, वह अपनी स्थिति पर पहुंच जायंगी और हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा। उसका जो महत्व है, वह पुराने तरीके से जो पड़े थे वह जगमगा उठेंगे और उसमें जो लोग रहने वाले हैं, जो वहां से हटा दिये गये थे उनके वंशजों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह अपने घरों में वापस जायं और जाकर के उस स्थान को फिर बसायें जिस पर कि उनके पूर्वज रहते थे।

श्रीमन्, गदर के वक्त भी कई चीजें हुई थीं। चेतसिंह का नाम मैंने लिया। मिर्जापुर के अन्दर, उन्नाव के अन्दर, और सब जगहों पर लोग श्रीमन्, अंग्रेजों से लड़े थे। उनको निकाल दिया गया था। तो उनको बसाने के लिये श्रीमन्, जरूरत इस बात की है कि उनकी खोज करके उनको बसाया जाय और सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से यह संशोधन इस संकल्प में रखना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "के" तथा शब्द "ऐतिहासिक" के मध्य में शब्द "सभी महत्वपूर्ण" रख दिये जायं। और यदि श्रीमान् जी की आज्ञा हो तो दूसरा भी प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष—दोनों संशोधन आप उपस्थित कर दें।

श्री रणंजयसिंह—दूसरा यह है कि इस संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "टूटे-फूटे" तथा शब्द "कच्चे" के बीच में शब्द "नष्ट-भ्रष्ट" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, यह मैं इसके लिये श्री नारायणदास जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही आवश्यक कार्य के लिये यहां पर यह प्रस्ताव रखा है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक इतिहास प्रेमी जब देखता है कि पुराने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान अब नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं या बुरी दशा में हैं, टूट-फूट रहे हैं तो उसे बड़ा दुख होता है। किन्तु साथ ही साथ जहां यह आवश्यक है मैं इन शब्दों को इसलिये जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं यह देखता हूं, मुझे इतिहास से प्रेम है और ऐतिहासिक स्थानों और इधर उधर घूमता-घूमता जाता हूं और उनकी दशा को देखता हूं तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार से थोड़े ऐतिहासिक माने जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में निवेदन करूंगा कि जब मैं दिल्ली में केंद्र में सदस्य था तो १९३० की बात है, मैंने प्रश्न किया सरकार से कि यहां पर जो नयी दिल्ली इतनी सुन्दर बसायी जा रही है और यहां टूटे-फूटे मकबरे पड़े हुये हैं क्या सरकार इनकी मरम्मत के लिये या उनको उखाड़कर साफ करने के लिये प्रबन्ध कर रही है तो उत्तर दिया गया था कि मकबरे कोई ऐसे महत्वपूर्ण नहीं हैं जिनकी मरम्मत करायी जाय या रक्षा की जाय, ये अपने आप साफ हो जायेंगे। इसलिये मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे यहां बहुत से स्थान हैं कि जिनका थोड़ा बहुत इतिहास हो सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं और बहुत से किले हैं जो बड़े ऐतिहासिक हैं। मैं समझता हूं सरकार बहुत ध्यान भी देती है लेकिन और भी इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है और जो प्रस्ताव दिया गया उसकी बहुत आवश्यकता है।

[श्री रणंजय सिंह]

बुन्देलखंड के लिये जैसा कहा गया, वहां मैंने देखा है और अपनी जगह भी देखा, और बहुत से स्थान हैं जैसा कि श्री प्रस्तावक जी ने कहा, यद्यपि उनके संबंध में जिन ऐतिहासिक बातों का जिक्र किया गया उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता, उनसे मतभेद हो सकता है। थोड़ी बहुत सैद्धांतिक बातें ऐसी हैं जिनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन उसमें न जाकर मैं इसी मूल प्रस्ताव पर, उसके मुख्य आशय को लेकर चलना चाहता हूं। बहुत से स्थान एक प्रकार से टूटे-फूटे हैं, कच्चे-पक्के हैं जैसा कि लिखा गया है और बहुत से नष्ट-भ्रष्ट भी हैं। नष्ट भी किये गये हैं और भ्रष्ट भी किये गये हैं, उनके लिये भी विचार होना चाहिये और उनकी रक्षा आवश्यक है। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जोकि हमारे यहां जमींदारी उन्मूलन के कारण अवनति की ओर जा रहे हैं क्योंकि पहले जमींदार लोग अपने पूर्वजों के बनाये स्थानों और अपने घरों की रक्षा करते थे, उनकी मरम्मत इत्यादि करवाया करते थे, लेकिन इस समय उनकी आय बन्द हो जाने से उनका ध्यान उतना नहीं जा सकता है, इसलिये अब लोगों के लिये यह कठिनता हो गयी है कि वह उनकी मरम्मत नहीं करा सकते। उन्हीं के पूर्वजों के स्थान हैं और आज उनकी मरम्मत के लिये भी कठिनता हो रही है। आज ऐसे स्थान हैं वह देखे जायं और अगर राष्ट्रीय महत्व के समझे जायं तो उन पर विचार करके उनकी रक्षा का भी प्रबन्ध करना चाहिये। उदाहरण के रूप में अभी जैसा कि माननीय राजा वीरेंद्रशाह जी ने कहा, राजा जगम्मनशाह जी का ८०० वर्ष का बनाया हुआ किला है और २०-२२ लाख रुपया मरम्मत में लगाया लेकिन वह कहां तक चल सकेगा, यह विचारणीय है। इस प्रकार सारे का सारा इतिहास देखा जा सकता है। अमेठी का भी नाम लिया गया, वहां भी किला था। वहां सन् ९६६ में भरों से हमारे पूर्वजों का घोर युद्ध हुआ था। तो इसी प्रकार से बहुत से दुर्ग और स्थान हैं। अमेठी में बहुत से स्थान हैं। अवध में गजेटियर से मालूम होता है कि भरों का राज्य था जिनसे युद्ध हो गया था। हमारे यहां से और तभी से यहां पर अपना राज्य स्थापित हुआ। अभी हमारे यहां तालाब हैं और ऐसे स्थान हैं जहां उनके टूटे फूटे स्थान दिखाई देते हैं। ईंटा हैं, भींटा हैं। इस प्रकार से अन्य किलों के संबंध में जानने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अगर ध्यान दिया जाय और उनकी रक्षा की जाय और उनके संबंध में विचार किया जाय तो उनका सदुपयोग हो सकता है, अन्यथा मैंने यह भी देखा है कि यद्यपि मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, प्रायः टूटे-फूटे किले हैं वहां साधू वेषधारी लोग बैठ जाते हैं, न पढ़े लिखे होते हैं, न विद्वान होते हैं, वह अड्डा जमाये रहते हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं, गंगोली किले में एक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ८-८, १०-१० दिन तक भोजन नहीं करते। रात में तो कोई उनके पास पहुंचता नहीं, रात में वह खा लेता होगा और बहुधा ऐसे साधू लोग इनमें रहते हैं और इन स्थानों को बदमाशों का केंद्र बना रहे हैं। मैंने इसके लिये पुलिस का भी ध्यान दिलाया है लेकिन लोग सोचते हैं कि यह साधू महात्मा हैं। इस तरह से यह लोग मौज कर रहे हैं और ऐतिहासिक भवनों का दुरुपयोग हो रहा है। पता नहीं कहां कहां से लोग आकर वहां रहते हैं। मैं समझता हूं कि जितने ऐसे स्थान हैं उन सभी स्थानों पर ऐसे लोग आकर रहने लगते हैं। अमेठी में भी एक किला था वहां भी ऐसे लोग पड़े रहते हैं। वैसे गांजा भांग की रुकावट है लेकिन पता नहीं लोग न जाने कहां से उनके पास पहुंचा देते हैं। यह लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इनसे लोग पूछते हैं तो यह आशीर्वाद दे देते हैं और मूर्ख लोगों की इनके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है या ऐसे लोग श्रद्धा रखते हैं जो इनमें विश्वास रखते हैं। इस तरह से इन भवनों का दुरुपयोग हो रहा है, वह चिन्तनीय है।

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन स्थानों की रक्षा होनी चाहिये, अगर इधर ध्यान दिया गया तो जो आज यह बदमाशों के अड्डे बने हुये हैं वह खत्म हो जायेंगे। इतिहास में जो हमारे वीरों की बातें हैं यदि मैं उनका वर्णन करूं तो उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी चर्चा में काफी समय लग जायगा। हमारे यहां ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुये हैं कि उनके सीने

में भाला लगा हुआ है और इस पर भी वह अपने शत्रु को मार डालते हैं मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इस समय युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के नेता निकले। आज से बहुत पहले की बात है लेकिन फिर भी उनका हमारे यहां बड़ा स्थान है वह ऐसे वीर थे कि दोनों एक-एक हथियार लेकर निकले और यह निश्चित हुआ कि जो पहले मर जायगा उसी का दल हार जायगा दूसरे दल की ओर से भाला लेकर निकले और उधर से तलवार लेकर निकले। भाले वाले आदमी ने अवध के सरदार के सीने में भाला घुसेड़ दिया। लेकिन इस पर भी उन्होंने भाले वाले सरदार का सिर तलवार से काट लिया और जब उनके सीने से भाला निकाला गया तो वह भी मर गये। हमारे यहां बड़े बड़े वीर हुये हैं और जब सन् सत्तावन का सच्चा इतिहास लिखा जायगा तो पता लगेगा कि कौन-कौन वीर हुये हैं और उनका नाम हमारे यहां के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। इस प्रकार से बहुत से वीरों की बातें प्रगट होंगी और इस समय इन स्थानों की महिमा और भी बढ़ जायगी। जैसे बिठूर है, ऐतिहासिक दृष्टि से वहां सिर लगाने की इच्छा होती है। इन स्थानों के लिये जहां तक संभव हो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

यहां पर बहुत सी बातें कही गईं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में बड़ी-बड़ी घटनायें हो गई हैं जिनके लिये हमारा इतिहास साक्षी है। कितने ही पवित्र स्थान हमारे नष्ट-भ्रष्ट हुये हैं, कितने ही नहीं रहे, कितनों का नाम बदल दिया गया, कितनों का रूप बदल दिया गया। इसलिये इन पर विचार करने की जरूरत है और जो हमारे ऐसे पवित्र स्थान नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं उनको वास्तविक रूप प्राप्त होना चाहिये और उनका ऐतिहासिक महत्व समझकर काम किया जाय। यदि इधर पूरी तरह से ध्यान दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि इन स्थानों की रक्षा होगी और आगे चल कर भारतवर्ष का सिर ऊंचा होगा। जैसे यूरोप में नैपोलियन आदि वीरों का नाम लिया जाता है उसी प्रकार से हमारे यहां के वीरों का नाम लिया जायगा। इस समय कितने ही वीर और देश-भक्त हमारे यहां हुये हैं जिन्होंने देश के लिये, धर्म के लिये अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी और अपनी जान की परवाह नहीं की, यदि इधर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके स्थान मटियामेट हो जायंगे तो उनका नाम ही मिट जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इन स्थानों के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रख कर सरकार से प्रार्थना की जानी चाहिये कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा की जाय और वीर पुरुषों के जो नाम हैं वह चिरस्मरणीय रखे जायं इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदास जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये उसमें इतना संशोधन और प्रस्तुत करना चाहता हूं।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि--

श्री अध्यक्ष--संशोधन अब नहीं लिया जायगा। समय के भीतर आपने भेजा नहीं था।

श्री शिवकुमार शर्मा--तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो इसके साथ-साथ वे "अनुसंधान" और बढ़ा देते। क्योंकि जहां यह आवश्यक है कि हम अपने देश की उन पुरानी इमारतों के, उन पवित्र स्थानों के, जहां-जहां वे मिल रहे हैं, पुनर्वास और पुनर्गठन की बात करें वहां यह भी आवश्यक होना चाहिये कि जहां-जहां पर आज वे लुप्त पड़े हुये हैं उनके अनुसंधान के लिये भी हमें सरकार से प्रार्थना करना चाहिये कि उन स्थानों का पता लगाये कि वे स्थान कहां पर हैं। वस्तुतः मेरी यह बहुत ही प्राचीन सुषुष्ट भावना रही है कि हमारा देश भारतवर्ष जो कि अब दो हजार वर्ष के बाद एक नवोदित राष्ट्र के रूप में बन रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है।

[श्री शिवकुमार शर्मा]

आज कल के नवयुवक जो यूनिवर्सिटियों से पढ़कर निकलते हैं उनको प्राचीन भारत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हैं। हमारा इतना महान देश, भारत जिसके अतीत का इतिहास बहुत उज्ज्वल और उच्च रहा हो उसके बारे में हमारे नवयुवक कुछ भी न जानते हों, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं जब प्राचीन भारत की कल्पना करता हूं तो प्राचीन भारत मेरी दृष्टि में केवल बुद्ध कालीन भारत तक ही रहता है बल्कि उसके पीछे जो वैदिक कालीन भारत है जिसको कि वास्तव में भारत के नाम से विश्व जानता है, मेरी दृष्टि उस अतीत भारत पर जाकर रुकती है और उस अतीत कालीन भारत में किस प्रकार से यहां उत्थान और पतन होता रहा है, इतने काल का इतिहास आज हमारे सामने बिल्कुल मौजूद नहीं है। इसमें संदेह की बात नहीं कि हमारे बहुत से इतिहास प्रेमी सज्जनों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हुआ है, उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि अतीत और आज के भारत के बीच की कड़ियां मिला कर रखी जायं जिससे आज के नवयुवक जान सकें कि उनका प्राचीन भारत क्या था और किस प्रकार उस समय के भारत ने प्रगति की थी। कहां-कहां उन के प्राचीन स्थान थे। किस प्रकार हमारे यहां के ऋषियों ने तपस्या और साधना के बल पर एक नया संदेश संसार को दिया था। जहां पर उन ऋषियों ने बैठकर विश्व को एक भारतीय दर्शन का ज्ञान कराया था आज वे स्थान हमारे सामने बिल्कुल लुप्त हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि वे स्थान कहां पर छिपे हुये हैं। कहां पर वे ऋषि बैठते थे, कहां पर उन्होंने अध्ययन किया, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिये भारत के उस अतीत के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें वैदिक कालीन भारत, महाभारत कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और वर्तमान भारत, इन चार प्रकार से देखना पड़ेगा। तब हम कुछ भारत के अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ियां ढूंढ़ सकेंगे।

जहां तक महाभारत कालीन भारत की बात है, उसका इतिहास तो कुछ हमारे सामने है। किन्तु उन ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी आज भी हमारे सामने नहीं है। मैं जब अपने बिजनौर जिले की बात करता हूं तो महाभारत कालीन भारत के विषय में कुछ ऐसी चीजें ढूंढ़ने पर नजर आती हैं कि जिनसे यह सिद्ध होता है कि बिजनौर जिला भी एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश इतने दिनों के इस युग में हमारा कभी भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि हम उन तमाम पुराने ऐतिसाहिक और महत्वपूर्ण स्थानों की ओर ध्यान देते।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

शिवकुमार शर्मा--बिजनौर के विषय में मैं यहां पर जिक्र कर रहा था प्राचीनता की बात यदि हम जानना चाहते हैं और अतीत के गौरवों को ढूंढ़ते हैं तो ऐसा महाभारत में और पुराणों में मिलता है कि बिजनौर जहां पर आज वह बसा हुआ है यह किसी समय राजा वेणु की राजधानी थी, लेकिन इसके विषय में कोई प्रामाणिक पुष्टि, कोई अकाट्य पुष्टि नहीं मिल पाई है इसलिये एक विषय यह ऐसा रह जाता है, जिसके विषय में यह बात है कि कोई प्रामाणिक पुष्टि हमारे सामने नहीं है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जहां हम इन ऐतिहासिक पुरानी बस्तियों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन की बातें करें वहां अनुसंधान की बात को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिये जिससे हमें पुरानी नगरियों के बारे में निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि कहां यह बसी थीं और कहां ये लोग रहते थे। यदि हम बिजनौर शहर की बात को लें तो यह स्पष्ट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि राजा वेणु यहां पर रहते थे तो फिर आज के नवयुवक के लिये समझना कठिन नहीं होगा कि राजा वेणु के जमाने में कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और कितना ऋषियों पर अत्याचार हुआ होगा

किस प्रकार आस्तिकता और नास्तिकता का संघर्ष हुआ होगा और किस प्रकार का समाज वहां रहा होगा। वस्तुतः मैं समझता हूं कि आज हमारे लिये यह बड़ा आवश्यक है कि हम पुराने स्थानों का अनुसंधान करें और अगर हो सकता है तो फिर हम उनके पुनर्निर्माण की बात करें ।

इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद और एक दूसरी बात देखें। एक दूसरा और कस्बा भी बिजनौर में है जिसे आज हम दारानगरगंज के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। आप यह देखेंगे कि महाभारत के बाद जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो चुका और तमाम मनुष्य वहां हताहत हो गये और दोनों परिवारों में कोई भी शेष न रहा तो महाभारत के बाद पांडव कुल की तमाम स्त्रियां वहां आयीं । वहां विदुर जी की एक कुटी बनी हुई थी। इसके पुनर्निर्माण के लिये एक अंग्रेज ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन कोई हमारे देशवासी, हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज या हममें से जो पहली पीढ़ी के हैं उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन वहां के एक अंग्रेज कलेक्टर जो बिजनौर के थे बहुत अनुसंधान के बाद मालूम हुआ कि गंगा के तीर पर दारानगरगंज में एक विदुर की कुटी बनी हुई थी और उन्होंने उसके लिए पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया और ढाई हजार रुपये इकट्ठे किये और ढाई तीन हजार रुपये लगा कर कुटी का निर्माण किया और वह कुटी आज यहां पर बसी हुई है और बहुत से यात्री जो आते हैं या इतिहासप्रेमी जो इतिहास की खोज करने वाले हैं वे अगर बिजनौर जाते हैं तो उस विदुर की कुटी में जाते हैं और बड़े प्रेम से अपना मस्तक वहां झुकाते हैं। चूंकि यह नारियों का स्थान है जहां वह पांडव की नारियां आकर बसी थीं, इसलिये इस स्थान का नाम दारानगर है, क्योंकि यह उन तमाम स्त्रियों का शहर है जो विधवायें, संतप्त होने के बाद महाराज विदुर के पास आईं और वह सब वहीं की वहीं रहने लगीं, विदुर की कुटी के स्थान पर वहां दारानगर में रहने लगीं क्योंकि दारा का शाब्दिक अर्थ है स्त्री अर्थात् स्त्रियों का नगर और वही दारानगर के नाम से नगरी प्रसिद्ध हो गई और आगे चल कर एक बड़ी मंडी प्रसिद्ध हुई। गंगा के किनारे विदुर का स्थान तो बहुत महत्व का स्थान है। वहीं पर विदुर के पास माता कुन्ती भी रहती थीं, वहीं पर भगवान् कृष्ण उनसे एक समय पर परामर्श के लिये आये और फिर युद्ध के लिये उनकी स्वीकृति लेने के लिये आये थे कि महाभारत किया जाय या न किया जाय । भगवान् कृष्ण के चरण रज से वह स्थान इतना पवित्र हुआ कि लोग आज तक उस स्थान को पुण्य भूमि मानते हैं। यह ऐतिहासिक स्थान आज तक वर्तमान है, किन्तु इस प्रकार के स्थान आज तक अनुसंधान के बिना लुप्त से हो गये हैं। इसलिये यह बड़ा आवश्यक है कि ऐसे-ऐसे प्राचीन नगरों की रिसर्च आज के पुरातत्व विभाग के लोग या प्राचीन इतिहास के खोजने वाले या इंडोलाजी के जानने वाले लोग करें और उनको नया स्वरूप दें ।

यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस तरफ हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भी गया है। बिजनौर से कुल पांच मील के फासले पर, जहां पर कि कण्व ऋषि का आश्रम था, जहां पर शकुन्तला ने जन्म पाया, जहां राजा दुष्यंत ने आखेट खेला, वह कण्व की तपोभूमि है। आज भी लोग उस स्थान को इसी नाम से याद करते हैं, गंगा जहां अपनी सहायक नदी से मिलती है, उसी तमाम स्थान पर यह फैला हुआ है। यह एक विवाद-ग्रस्त प्रश्न है कि कण्व ऋषि का आश्रम बिजनौर जिले में है या गढ़वाल में लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बिजनौर के बायीं तरफ, उत्तर की तरफ वह आश्रम था और वह एक ऐसा स्थान है कि जो सदा ऐतिहासिक रहेगा और उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उस स्थान को बचाने के लिये, उसके इतिहास को अमर बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जहां पर राजा दुष्यंत ने शकुन्तला को पाया हो और कण्व ने जहां बैठ कर बड़े-बड़े ऋषियों मुनियों को शिक्षा दी हो, जहां से सारे भारत और विश्व को ज्ञान का उजाला फैलाया गया हो, वह स्थान आज भी वहां फैला पड़ा हुआ है। यह बिजनौर के नगर की, बिजनौर के जिले की ऐतिसाहिक स्मृतियां हैं। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है।

[श्री शिवकुमार शर्मा]

आज बहुत दिनों के बाद यह अवसर मिला है कि श्री नारायणदास जी यह प्रस्ताव लाये हैं और इसलिये मैं सदन के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में गंभीरता से विचार करें। यदि वह प्राचीन भारत को जीवित करना चाहते हैं तो वह इन टूटी कड़ियों को जोड़ें। जब हम अमरीका के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि जब एडीसन मरा जो विश्व के लिये एक विभूति था। वह केवल अमरीका की ही विभूति नहीं था, लेकिन जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई तो वहां के एक धनी फोर्ड ने उसके कच्चे मकान को, जहां वह अखबार बेचा करता था और उससे संबंधित तमाम चीजों को जिन्हें वह इस्तेमाल करता था खरीद कर म्यूजियम में रखवा दिया। उसमें उसने छप्परों और मकानों के टुकड़े रखे और उसकी मृत्यु के बाद भी एडीसन को उसने उस म्यूजियम में अमर बना दिया। तो वह लोग तमाम चीजों को अमर बना देना जानते हैं। भारतीय संस्कृति के अन्दर यह खास चीज रही है कि उसने भौतिक स्मृतियों को अमर बनाने का प्रयत्न नहीं किया, उसने विचारों को अमर बनाने का प्रयत्न किया है। विचारों को अमर बनाने के लिये उन्होंने साधन अपनाये, तपस्या की। लेकिन यदि हम अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं वह नवयुवक जो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन पर पुराने इतिहास की कुछ छाप डालना चाहते हैं तो हमें इन भौतिक स्मृतियों को अमर बनाना पड़ेगा, ताकि वह इनसे कुछ सीखें, उनके विचारों को लें।

इसके अलावा आप मेरठ को देखें। यह हमारे सौभाग्य की बात है जो बिजनौर से लगा हुआ ही है और जिसे गंगा ही अलग करती है, उसमें शृंगी ऋषि का आश्रम रहा है, लेकिन आज वहां, उस स्थान पर केवल मिट्टी के टीले पड़े हुये हैं। वहां शृंगी ऋषि के गले में सांप डाला गया था, उन्हीं के शाप वश परीक्षत को सांप ने डसा था और मैं यह समझता हूं कि यह इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि जिसको कोई कभी नहीं भुला सकता। लेकिन आज वहां केवल मिट्टी के टीले पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। क्या हम उनको पुनर्जीवित करके अपने पुराने इतिहास को और उन महान् आत्माओं को क्या हम आज के समय में अमर नहीं बना सकते। यह खुशी की बात है कि बिजनौर के इसी पार जहां शुकताल पर शुकदेव जी ने भागवत सुनाई, उस स्थान को और उस स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिये कुछ लोगों ने प्रयत्न किया और वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके साथ-साथ लखनऊ की तरफ जब हम दृष्टि डालते हैं तो बड़ा दुख होता है। यहां के पास ही एक स्थान नैमिषारण्य है जिसको नीमसार के नाम से पुकारते हैं। वह स्थान संभ्रान्त व्यक्तियों की दृष्टि के नीचे ही पड़ा हुआ है जहां पर शौनक ऋषि का आश्रम था और जहां पर उनके आश्रम में १,००० ऋषि विद्याध्ययन करते थे जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा और सबसे महान् आश्रम रहा है वह नैमिषारण्य आज बिलकुल सुनसान पड़ा हुआ है और उसको ठीक करने के लिये और स्मारक के रूप में बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। उसकी इस प्रकार की दशा को देखकर हृदय विदीर्ण होता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हम सब लोग मिल कर इस बात का प्रयत्न करें कि जिस स्थान पर शौनक ऋषि का आश्रम रहा है और जिस स्थान पर शृंगी ऋषि का आश्रम रहा है वहां पर इस प्रकार से स्मारक बनाया जाय कि उनकी स्मृति इस देश के लिये अमर हो जाय और उस स्मृति से इस नवीन भारत को प्रकाश मिलता रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो श्री नारायणदास जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐसे विषय को इस आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित किया और साथ ही श्री रणंजय सिंह जी को भी धन्यवद देता हूं कि उन्होंने भी इसमें दो शब्द जोड़ कर इसकी उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया। मैं तो बहुत थोड़े शब्दों में सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे गोंडा जिले में घाघरा और सरयू के बीच

में एक स्थान है जिसका नाम पचका है, जहां पर बाराहावतार हुये हैं। इसका प्रकरण दुर्गा सप्तशती में भी आया है "आयुः रक्षति वराही ।" यह वह भी स्थान है जहां पर तुलसी-दास जी ने अपने गुरु से प्रथम रामायण की कथा पहले पहल सुनी थी। उन्होंने कहा था कि "तब मैं निज गुरु सुनि कथा सो सुकर खेत, समुझौं नंहि तब बालपन तब अति रह्यो अचेत" इस प्रकार से वाराहावतार वाला पचका स्थान वहां पर गोंडा जिले में है जो अति पवित्र स्थान समझा जाता है। अगर यहां पर उसके स्मारक का इन्तजाम हो जाय तो यह बहुत सुन्दर होगा क्योंकि उस समय की बातें लोगों को याद आयेंगी। इसके बाद पांडवों के कारावास होने पर जो उन्होंने अज्ञातवास किया था उसका स्मारक भी वहां पर मौजूद है। वहां खरगूपुर में ५ पांडवों के ५ मन्दिर बने हुये हैं, जिनको पांच शिवाले कहते हैं। इनमें पृथ्वीनाथ का शिवाला बहुत अच्छा है। पचरन शिवाला है, लोक-नाथ शिवाला है और झारखंडे का शिवाला है। यह उन पांच की वहां पर स्मृति है। श्रीमान् काटजू साहब जब यहां पर मन्त्री थे तो जिस समय वह गोंडा जिले में पधारे थे तो उनके दर्शन करने के लिये वह वहां गये थे। इसी तरह से हमारे यहां गोंडा जिले में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो बहुत पुरातन हैं। वहां पर काली भवानी का भी मन्दिर हं। वहां पर राजा दशरथ का भी वन था जिसको काट कर अब बस्ती बसा दी गयी है और उस मुहल्ले का नाम वनकटवा रखा हुआ है। उस जगह पर पहले वन था। काली भवानी मन्दिर के लिये कहा जाता है कि वह राजा दिलीप के जमाने का है। वहां की कई चीजें यहां म्यूजियम में रखी गयी हैं। अब प्रयत्न किया जा रहा है कि यहां अजायबघर से कुछ चीजें वहां पर ले जाई जायं। इसी तरीके से खैरादेवी का मन्दिर है। वहां पर भी पहले बना था उसके पास कुछ जंगल है। जहां पर गोंडा जिले की हद बहराइच जिले से मिलती है, वहां पर सहेठमहेठ जिसको श्रावस्ती कहते हैं वहां पर बुद्ध भगवान् बहुत समय तक रहे थे। इस तरीके से अगर इन सब के स्मारक को बनाने का प्रयत्न किया जायगा तो बहुत कुछ उन्नति हमारे देश की हो सकती है। बस मुझे इतना ही आपकी सेवा में निवेदन करना था।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश है, इसके पीछे जो भावना है उसकी मैं सराहना करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि सदन को कुछ सचेत कर दिया जाय कि इस प्रस्ताव को यद्यपि पास कर दिया जाय, लेकिन हमारा जो गुजरा हुआ जमाना है उसके पीछे अपनी सारी एनर्जी लगाने से हमको सचेत रहना चाहिये। भारतवर्ष का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर कोई न कोई वीरता का कार्य न हुआ हो या कोई न कोई महत्वपूर्ण घटना न हुई हो। इसलिये इसका वर्णन करना कि हमारे देश में इस जगह यह घटना हुई और उस जगह वह घटना हुई, यह सदन का समय नष्ट करना है। हमको तो केवल यह देखना है कि इस प्रस्ताव के जो शब्द हैं और उनके पीछे जो भावना है उनसे सदन कहां तक सहमत है।

मैंने अभी अपने मित्र का भाषण सुना। मूल प्रस्ताव से जो अधिक महत्व का मुझे शिवकुमार जी का संशोधन जो कि अभी वास्तविक रूप से नहीं पेश हुआ है, मालूम हुआ कि अनुसंधान की आवश्यकता है। चाहे पुनर्निर्माण व पुनर्वासन पर हमारी निगाह न जाय मगर अनुशासन की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ संरक्षण होना चाहिये। पहले इनवेस्टीगेट होना चाहिये और फिर सेफगार्ड करना चाहिये। यहां तक तो मैं सहमत हूं लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया, हमें सचेत रहना चाहिये। क्यों? इसलिये कि जिस समय हम यह शब्द लाते हैं, पुनर्निर्माण और पुनर्वासन तो उनका यही अर्थ हो जाता है कि टूटे-फूटे किले इत्यादि को हम फिर से बनवावें और उन पर हम रुपया खर्च करें। उनको रेनोवेट करें। तो उनके पुनर्निर्माण की और पुनर्वासन की बात से मेरे हृदय में शंका पैदा होती है। इस तरह से हम अपने पास्ट की इज्जत

[श्री नौरंग लाल]

नहीं कर सकते। ये दोनों भ्रांतिक शब्द हैं। संरक्षण अच्छा शब्द है। इसमें सब चीज आ जाती है और किसी प्रकार की शंका की गुंजायश नहीं रहती। लेकिन प्रस्तावक महोदय के दिल में पुनर्निर्माण और पुनर्वासन के वही अर्थ हैं कि उनको फिर से बनवाना या डेवलप करना या उन पर फिर से रुपया खर्च करना। मैं इस भावना से सहमत नहीं हूं। संरक्षण होना चाहिये और साथ ही साथ अनुसंधान भी होना चाहिये। संरक्षण के मानी तो यह हैं कि कहीं पर अगर कोई ऐतिहासिक घटना हुई है, कोई किला है या कुछ और है, तो वह जैसा हमको मिला है वैसा हम उसे सुरक्षित रखें। जैसी भी जो चीजें हमें मिली है उसे वैसा ही रखना संरक्षण होता है। उसमें हमें अपनी तरफ से कोई सजावट या बनावट, सोने चांदी की मिलावट करके, नहीं करनी चाहिए इस प्रकार उसे अधिक खूबसूरत नहीं बनाना चाहिये। भूत को बिल्कुल जैसा प्राप्त हुआ है उसे वैसा ही रखना संरक्षण कहलाता है। जो देश ऐसा नहीं करे वह तरक्की भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम मैन-क्रियेशन उस पास्ट के अन्दर शामिल कर देते हैं तो वह पास्ट पास्ट नहीं रह जाता है। न पास्ट को लेते हैं, न प्रेजेन्ट को लेते हैं तो न पास्ट ही रह जाता है, न प्रेजेन्ट ही रह जाता है और न फ्यूचर ही रह जाता है। वह तो केवल एक मिक्सचर हो जाता है।

मिसाल के तौर पर फ्रांस में नेपोलियन का एक ब्रश पाया गया। वहां भी यह समस्या उठी कि इसको प्रोजर्व करने के लिये हैंडिल लगा दिया जाय। वहां के लोगों ने सोचा कि सोने का हैंडिल लगा दिया जाय। लेकिन लोगों ने कहा कि सोने अथवा चांदी के हैंडिल लगाने से नैपोलियन की यादगार को प्रीजर्व नहीं करते बल्कि सोने और चांदी का हैन्डिल लगाने वाले को प्रीजर्व करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से इतिहास की जो महत्ता है वह खत्म हो जाती है। इसलिये किसी भी ऐतिहासिक वस्तु को प्रीजर्व करने के लिये हमें उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिये। उसको करने से उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इज्जत है वह हम कम कर देते हैं। इसलिये अगर पुनर्वासन और पुनर्निर्माण का अर्थ यह है कि उन स्थानों को फिर से बसाया जाय, उनकी यादगार को सजीव रखने के लिये उस स्थान पर परिवर्तन किया जाय, तब तो मैं इस भावना से सहमत नहीं हो सकता। इससे हम बजाय उस वस्तु को प्रीजर्व करने के खराब करेंगे। मुमकिन है मेरी अकेले की ऐसी आवाज हो और दूसरे लोग मुझसे सहमत न हों, लेकिन मैं इसको अत्यन्त आवश्यक समझता हूं। हमें तो अगर कोई ऐसी वस्तुयें हैं तो उनको सुरक्षित रखना है, उनका परकोटा खींचना है और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह भी एक बात है कि पुनर्वासन और पुनर्निर्माण करके हम कभी भी पास्ट को वापिस नहीं ला सकते। वह तो डेड एन्ड गौन है। कन्नौज एक समय में बड़ा वैभवशाली नगर था; उसके पुनर्निर्माण और पुनर्वासन का अर्थ यह होगा कि उसको फिर से बसाया जाय। यह एक बहुत ही अजीब चीज होगी। एक जमाना था कि जब कन्नौज राठौरों की राजधानी थी, लेकिन अब उनको फिर से बसाने का जमाना नहीं है। आज तो दिल्ली और बंबई के बसाने का जमाना है। समय और इतिहास बतलाता है कि पुराना वक्त और पुरानी चीजें समाप्त होती हैं और नया वक्त और नयी चीजें आती हैं। इसलिये पुरानी चीजों पर इस प्रकार से पैसा बर्बाद करना है। वह तो म्यूजियम की चीजें हैं और म्यूजियम में रखने योग्य हैं और इसी प्रकार से हम उनको प्रीजर्व कर सकते हैं लेकिन अगर हम पुराने किलों को बसाने का प्रयत्न करेंगे तो वह हमारे लिये २ प्रकार से हानिकारक होगा। एक तो हम पास्ट को किल कर देंगे दूसरे हमारा रुपया बर्बाद होगा। हमें यह नहीं दिखाना है कि हम अपने पुरखों की यादगार में इस प्रकार से रुपया खर्च करते हैं, बल्कि हमें दिखाना है कि हम उनके कदमों पर चलते हैं और अपने कार्यों से हम यह साबित कर दें कि हम

वास्तविक रूप से उनके कदमों पर चलते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बहुत सा रुपया पुनर्वासन और पुनर्निर्माण पर खर्च करते हैं तो वह कोई बुद्धिमत्ता की बात न होगी। मैं पास्ट को डिग्रेड करना नहीं चाहता। अपने पूर्वजों की बेइज्जती नहीं चाहता लेकिन इसके द्वारा मैं उनकी इज्जत को और बढ़ाना चाहता हूं।

जहां तक अनुसंधान का संबंध है उसकी अत्यन्त आवश्यकता है। कौन सी घटना किस स्थान पर हुई यह जानने की अत्यन्त आवश्यकता है। और इसको अनुसंधान करने के लिये उसको बचाने के लिये हमें रुपया खर्च करना चाहिये। लेकिन इस पुनर्वासन और पुनर्निर्माण के विषय में मुझे शंका है और इसी शंका को मैंने सदन के सामने अभिव्यक्त किया है। अब यह कहा जा सकता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें बिना पुनर्निर्माण या पुनर्वास किये हुए हम रह ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कालिदास, तुलसीदास आदि कवि, यहां हुए हैं और बड़े-बड़े महान् पुरुष हुए हैं और यहां पर उनकी पैदाइश के स्थान हैं जहां-जहां वह पैदा हुए हैं कहा जा सकता है कि वहां उनके मानुमेंट्स बनाए जाय और उनको पवित्र मानते हुए उनके स्थानों पर मन्दिर बनवाये जायं तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन यह कोई पुनर्निर्माण या पुनर्वासन नहीं हुआ, वह तो एक तरह से यादगार सी बनाना हुआ, जहां तक यादगारों का सम्बन्ध है उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी जैसे कि गांधी जी की है, वह आगे भी बनेंगी पीछे भी बनी हैं, ऐसे स्मारकों के लिए तो हर एक एकमत हो सकता है और उनके लिए अगर रुपया खर्च होता है तो उसका स्वागत है, लेकिन यह कि मरी हुई हड्डियां निकाली जायं, पुराने शहर निकाले जायं और पुराने किले या स्थान जो खत्म हो चुके हैं, जो मर चुके हैं समाप्त हो चुके हैं उनका पुनर्वासन या पुनर्निर्माण किया जाय इससे मैं सहमत नहीं हूं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहले निवेदन किया था उसके अनुसार मैं सदन को सचेत करना चाहता हूं कि इन भावनाओं से मन में प्रेरित होकर वह यह न समझने लगें कि इन सभी स्थानों का पुनर्निर्माण हो तब तो मैं समझता हूं कि देश का निर्माण ही करना नहीं पड़ेगा तब तो यही निर्माण सारी शक्ति और साधन को अपने में लगा लेगा। इसलिये हमारे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है उनकी भावना को सराहते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार कर लें। मैंने इसका घोर विरोध इस कारण से नहीं किया कि इसमें शब्द बड़े इन्नोसेन्ट और बेकार से हैं क्योंकि इसमें शुरू में जितने महत्वपूर्ण शब्द रखे गए हैं उतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव का अन्त नहीं है। जब इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो आगे कदम क्या होगा वह बात कुछ इसमें नहीं है, न इसमें कोई सिफारिश है न इसमें कोई कमेटी ही बनाने का प्रस्ताव है और न यह है कि आखिर क्या किया जाय और इस प्रस्ताव में अधिकतर सब कुछ सरकार पर ही छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट से कहा जाता है कि वह जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके विषय में पुनर्वासन आदि की आवश्यक कार्यवाही करे। जितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव था उतना महत्वपूर्ण नतीजा उसका उन्होंने नहीं निकाला इसलिए वह बड़ा इन्नोसेंट रह गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पास्ट की बेइज्जती का ख्याल मेरे दिल में नहीं है, जो विचार मैंने व्यक्त किए उनके व्यक्त करने का मुझे हक था। मैं समझता हूं सदन उन पर विचार करेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसके सम्बन्ध में कई भाषण हो चुके। मैंने उनको बहुत गौर

[श्री रतनलाल जैन]

से सुना। उनके अन्दर बहुत कुछ तथ्य है। जो बातें कही गयी हैं खासकर माननीय नौरंगलाल जी की यह बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे यहां पुराने किले हैं, ऐतिहासिक टीले हैं, धार्मिक स्थान हैं उनका हम संरक्षण करें। इनके अन्दर भारतवर्ष का इतिहास छुपा पड़ा है। हमारे प्रदेश का भारतवर्ष के अन्दर प्रमुख स्थान है। यही उत्तराखंड कहलाता था। यहीं भारतीय संस्कृति बढ़ी फूली-फली। जब से भारत का इतिहास है, जब तक ऐतिहासिक सूचना जाती है तब से ही यह प्रदेश सदैव सभ्य और संस्कृति से भरपूर रहा है। इसी प्रदेश में भगवान रामचन्द्र हुए, इसी प्रदेश में महाभारत का बड़ा भारी युद्ध हुआ। जितने भी भारतीय दर्शन हैं, उन धर्मों का भी इसी प्रदेश में जन्म हुआ। बौद्ध धर्म भी इसी प्रदेश के पास कपिलवस्तु नगरी थी जो अब लुम्बनी के नाम से प्रसिद्ध है वहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रसार किया। सारनाथ में किया और रहे, श्रावस्थी में रहे। इसी प्रदेश में अयोध्या नगरी है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव इसी प्रदेश में हुए। भारतीय संस्कृति का यहां से उद्गम हुआ। यह प्रदेश भारतीय इतिहास में और साहित्य में बड़ा प्रभाव रखता है। इसी प्रदेश के पास जो दिल्ली है वह भी पहले इसी हिस्से में समझी जाती थी, यहीं से भारत का शासन चलता था। इसलिये हमारे लिये बड़ी आवश्यकता है कि यहां के जो टूटे-फूटे स्थान हैं, पुराने ऐतिहासिक किले हैं, धार्मिक स्थान हैं उनका संरक्षण करें।

यह तो कभी नहीं चाहा जाता कि पुराने टूटे-फूटे जो स्थान हैं उनका इस तरह से पुनर्निर्माण कर दें, जिससे ऐसी शक्ल बदल जाय कि न वे पुराने रहें और न वह नये रहें, बल्कि एक तीसरी सूरत हो जाय। इसलिये यह चाहा जाता है कि ऐसे जितने भी पुराने ऐतिहासिक स्थान हैं उनका संरक्षण किया जाय। मेरा अनुमान है कि प्रत्येक जिले में ऐसे स्थान बहुतायत से हैं अगर उनका संरक्षण किया जाता है तो हमारे सामने एक इतिहास आ जाता है। जो पुराना युग, अंग्रेजी जमाना रहा, या इससे पहले जमाना रहा उसमें इतिहास की कोई परवाह नहीं की गई। बल्कि ऐतिहासिक चीजों को नष्ट किया गया। अभी हमारे बिजनौर जिले के सम्बन्ध में माननीय शिवकुमार जी ने बहुत काफी बातें रखी कि यह ऐतिहासिक काल से पहले बड़ा प्रसिद्ध स्थान रहा है, क्योंकि हस्तिनापुर हमारे यहां से केवल ८, १० मील के फासले पर है। यहीं पर विदुर कुटी है जहां पर उन्होंने महाभारत के सम्बन्ध में भाषण दिये थे, उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी रोशनी डाली....

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुन आरम्भ हुई।)

तो मैं अभी सदन के सामने कह रहा था कि प्रत्येक जिले में ऐतिहासिक स्थान हैं। यह तो रहीं इतिहास से सम्बन्धित बातें। परन्तु जब हम दूसरे युग में आते हैं तो हम देखते हैं उस जिले में दो पुराने किले हैं। एक मोरध्वज के नाम से और दूसरा पारसनाथ के नाम से। अगर वहां अनुसंधान किया जाय तो काफी इतिहास पर रोशनी पड़ेगी। अब जब हम मुसलमानी जमाने में आते हैं तो उस जमाने के भी दो ऐतिहासिक स्थान हैं। एक नजीबाबाद के पास पत्थरगढ़ के नाम से किला है जिसकी चारों दीवारें आज भी मौजूद हैं। उसी के पास एक दूसरा स्थान है जो गिरमपुरी के पास मजारशरीफ है जहां शिया साहबान परस्तिश के लिए जाते हैं। इस तरह से जैसे हमारे जिले में है ऐसे ही मैं समझता हूं और जिलों में भी इसी तरह से ऐतिहासिक स्थान हैं और बहुत से जिलों का तो मुझे मालूम है। अगर इनका संरक्षण किया जायगा तो भारत के इतिहास पर बड़ी भारी रोशनी पड़ेगी। हर एक भारतीय को यह गर्व होगा कि हमारे पुरखा, हमारे बुजुर्ग कैसे थे, यहां पर इस स्थान पर

कैसी कैसी ऐतिहासिक बातें हुई हैं। उनको अपने देश के गौरव में एक आनन्द आयेगा और उनके अन्दर स्वाभिमान और देश के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा । इसलिए इन प्राचीन बातों का संरक्षण आवश्यक है ।

जो प्रस्ताव आया है उसमें पुनर्वासन और पुनर्निर्माण रखा गया है। पुनर्निर्माण और पुनर्वासन यह तो एक बड़ी कठिन चीज है। जो किले, मान लीजिए, जैसे कि पत्थरगढ़ का किला नजीबाबाद के पास है उसके अन्दर का हिस्सा गिर गया है, चारों दीवारें मौजूद हैं, अगर आज अन्दर का हिस्सा बनाया जायगा तो वह न तो पुराना ही रहा न नया ही रहा। इसलिए उसके निर्माण की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता आज यह है कि जैसा आज मौजूद है उसको उसी तरह कायम रखा जाय । इसी तरह से आज आवश्यकता प्रोटेक्शन (protection) की है, संरक्षण की, न कि निर्माण की। हां, यह जरूर आवश्यक है कि साथ-साथ में एक अनुसन्धान भी किया जाय। मैंने इसी तरह का एक संशोधन अभी दिया है और वह माननीय उपाध्यक्ष के पास भी भेज दिया है और साथ में माननीय मंत्री महोदय को भी दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि अगर वह संशोधन मान लिया जायगा यह सदन भी मुझे विश्वास है उसे स्वीकार करेगा और जो माननीय प्रस्तावक महोदय का आशय है वह भी उससे पूरा हो जायगा। हमारी आवश्यकता यही है कि हम जितने भी पुराने स्थान हैं उनका हम संरक्षण करें। जहां अनुसन्धान की आवश्यकता है वहां अनुसन्धान भी किया जाय। यह दो बातें मैं जरूरी समझता हूं और इस संशोधन के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह बतला दूं माननीय सदस्य को कि उन्होंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है अभी कम से कम भाषण के दरमियान में नहीं किया है और उसके लिए अब समय भी नहीं रह गया। बड़ी देर में नोटिस आया है। इसलिये मैं उसे वैधानिक नहीं समझता ।

श्री रतनलाल जैन---अगर वह स्वीकार कर लें तो दूसरी बात है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से पासी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय की ओर हमारा ध्यान दिलाया है जिसे प्रायः हम लोग भूले हुए थे। देश के प्राचीन संस्मरणों को जागृत करने के लिए उसकी जो स्मृतियां बाकी हैं उनको सुरक्षित रखना प्रत्येक देश का और राष्ट्र का कर्तव्य हुआ करता है। हमारे देश में जिसके इतिहास की रेखायें बहुत प्राचीन हैं, जिसके पीछे एक बड़ा भंडार भरा हुआ है। देश की परतंत्रता का यह अभिशाप है कि वह स्थान सारे बिखरे हुए देश में पड़े हुए हैं और उन्हें सुरक्षित रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मैं फिर भी इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं उस एक व्यक्ति को जो यों तो हमारे देश के गुलाम रखने में एक बड़ी मजबूत कड़ी था, यानी मेरा मतलब लार्ड कर्जन से है, लार्ड कर्जन का ध्यान पहली बार इस देश में इस ओर गया कि देश की जो पुरानी इमारतें हैं, जो अविशेष स्मारक हैं उनकी रक्षा की जाय और उनके प्रयत्न से कुछ विदेशी सरकार की ओर से भी इस ओर प्रयत्न किया गया और मुझे खुशी है कि उस प्रयत्न से हमारे देश के कितने ही स्मारकों की रक्षा हुई। पर फिर भी मैं जानता हूं कि आज इस देश में हजारों वर्ष के स्मारक अब भी बिखरे पड़े हैं जो कि हमारी इस संस्कृति की स्मृति के लिए, हमारी इतिहास की स्मृति के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उनकी रक्षा की जाय। खास तौर से इस सदन में, उत्तर प्रदेश के इस सदन में यह विचार आये, यह आवश्यक था।

आप जानते हैं उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना के बीच का यह प्रदेश हमारे इतिहास में एक विशेष स्मृति रखता है। हमारी संस्कृति का इस भूमि में जन्म हुआ, वह यहां फली-फूली,

[श्री देवकीनन्दन विभव]

उसका संरक्षण हुआ और आज भी उसकी स्मृति में, उसके ही बीजों से हमारी संस्कृति आज पनप रही है। उस प्रदेश में कितनी स्मृतियां फैली पड़ी हैं इसका हमें ज्ञान भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं--मेरा तात्पर्य मथुरा और आसपास के प्रदेश से है--जिसे ब्रजभूमि कहा जाता है। ब्रजभूमि का इतिहास यदि आप देखें, कितना प्राचीन इतिहास था। इस सदन में कभी-कभी जनतंत्र की भावना की बात सुनता हूं, गणतंत्रों की चर्चा सुनता हूं, तो आज से कई हजार वर्ष हुए जिस प्रदेश में गणतंत्र राज्यों की स्थापना थी और जिस देश में सफलतापूर्वक गणतंत्र राज्यों का संचालन होता था, उस प्रदेश में उन हजारों वर्ष के इतिहास में, जो कि इस प्रदेश में फैला हुआ है उस ब्रजभूमि में आज भी जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे-ऐसे स्थान खोजने पर और उसके निकालने पर मिलते हैं जिसमें हमारी संस्कृति का २०-२० और २५-२५ हजार वर्ष पूर्व का इतिहास हमारे सामने आता है। परन्तु मैं उस इतिहास को, यानी आगरा मथुरा के इतिहास को दो तीन कालों में विभाजित कर सकता हूं। आगरा जो कि कभी ब्रजभूमि के इतिहास में भी संयुक्त रहा और जिसने आगे चल कर मुगल समय में भी एक विशेष स्थान प्राप्त किया, आपको मालूम है कि देहली को कहा जाता है कि वह मुगल शासन में इस देश की राजधानी थी पर वस्तुतः सारे राज्य का शासन निर्माण आगरे में होता था। मैंने देखा है कि बहुत से अवशेष अब तक, जहां पर मौजूद हैं जैसे उन बुर्जों के निशान जिन पर आगरे से दिल्ली तक नगाड़े रखे जाते थे। और जिस समय बादशाह सलामत आगरा से यानी निवास स्थान से दिल्ली के लिये चलते थे तो वहां का चोबदार पहले नगाड़े पर चोट देता था और दूसरे पर चोट पहुंचती हुई दिल्ली में खबर पहुंच जाती थी प्राचीन तारबर्की से कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब मैं आगरा भूमि को ढूंढ़ता हूं तो हर कदम पर ऐतिहासिक महत्व पाता हूं और प्राचीन युग से लेकर मुगल साम्राज्य के आधुनिक अवशेष पाता हूं।

मुझे आश्चर्य होता है जब मैं हिन्दी साहित्य के उस महारथी जिसके लिये कहते हैं कि "सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास" यानी जिसको हिन्दी काव्य के इतिहास में सारे देश का सूर कहते हैं, उसकी जन्म-भूमि प्राचीन आगरा से थोड़ी दूर पर रुनुकता में है, जहां पर वह अपने काव्य की रचना करते थे। आज भी वह जगह एक छोटे से चौतरे के रूप में अवशेष है। लेकिन उसकी रक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

आपको मालूम है कि ताज के पास ताजगंज में वह नजीर कवि रहता था जिसने कृष्ण के बालपन पर सुन्दर-सुन्दर कविताओं की रचना की है जिनमें आज भी हम देखते हैं कि हिन्दू और मुसलमानों की एकता का सच्चा स्वरूप प्रदर्शित होता है और मैं क्या कहूं बृज साहित्य के वह कवि सत्यनारायण जी की आज भी धानूपुरे में एक छोटी सी कुटिया अवशेष है जहां कि प्राचीन से प्राचीन काल की स्मृति मिलती है, जहां कि मुगल साम्राज्य के अवशेष अपने गौरवपूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। जहां आज भी ताज जैसी स्मृति मौजूद है जिसमें कि अमरीका की युगल दम्पत्ति में से पत्नी अपने पति से कहती है कि यदि तुम मेरे लिये ऐसी स्मृति बना सको तो मैं आज ही मरने के लिये प्रस्तुत हूं।

मुझे याद है कि हमारे मित्र माननीय डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया मेरे साथ फतेहपुर सीकरी देखने गये हुये थे और उन्होंने देखा कि कितना गौरव वहां भरा हुआ था और उस बुलन्द दरवाजे को देखकर जिसका लार्ड मेकाले ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, उसकी ऊंचाई और बुलन्दी को देख कर डाक्टर साहब विभोर हो गये और उसके आंगन प्रांगण को देखते रह गये। जोधा बाई के महल को देखा जिसमें हिन्दू आर्ट का प्रदर्शन किया गया था। तो उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी एक स्थान है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन गौरव की स्मृति है।

तो आज ऐसी अनेक स्मृतियां हमारे इस उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं जिनकी रक्षा करना मैं समझता हूं हमारा पावन कर्तव्य होना चाहिये। इसके लिये एक स्पेशल योजना, एक व्यावहारिक योजना हमारी सरकार को बनानी चाहिये। अभी मैंने पढ़ा था कि मथुरा में कहीं खुदाई हुई और वहां से कुछ ऐसे अवशेष निकले, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका युग २५-३० हजार वर्ष पहले का होगा। तो जो अंग्रेजी इतिहासकार कहते थे कि हिन्दुस्तान की संस्कृति का काल सिर्फ ४-५ हजार वर्ष हो सकता है उसको इस मथुरा की खुदाई ने गलत सिद्ध कर दिया है। यह तो ऐसी सामग्री है जिसकी रक्षा होनी चाहिये, जिसके लिये अनुसन्धान होना चाहिये, जिसकी खुदाई होनी चाहिये। मुझे खुशी हो यदि हमारी प्रदेशीय सरकार इसके लिये कोई योजना बनाये जिससे हमारी स्मृतियों की रक्षा हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दास जी ने जो प्रस्ताव पुरातत्त्व और ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा के लिये रखा है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आप देखें तो हमारे प्रान्त में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारी जगह यह फैला है कि सब जहग कुछ न कुछ पुरातत्व की चीजें मौजूद हैं। अभी हमारे विभव जी ने लार्ड कर्जन और लार्ड मेकाले का हवाला दिया। मैं उनकी इस राय से कतई सहमत नहीं हूं कि लार्ड कर्जन और लार्ड मेकाले ने इसलिये हमारे पुरातत्व का पता लगाया कि भारतीय संस्कृति क्या थी बल्कि उन्होंने उन चीजों के जरिये से ऐसी चीजें पैदा कीं, जिससे बुद्धि विभ्रम हो जाय। लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र है और हमारा यह पहला कर्तव्य है कि अपनी विभिन्न प्रकार की संस्कृति का समन्वय करते हुये उन चीजों की रक्षा का इन्तजाम करें।

मैं जिस कांस्टीटुएंसी से आता हूं--वाराणसी--उसमें सारनाथ है और ऐसी ऐसी और जगहें हैं। श्रीमन्, आप खुद सारनाथ गये होंगे और देखे होंगे कि वहां कई संस्कृतियों का समन्वय है। एक तरफ बुद्धिज्म है तो दूसरी तरफ वहां शैवों का मन्दिर है। आज किसी अखबार में मैंने देखा है कि वहां एक काशी सुधार समिति है। उसकी एक सभा हुई थी जिसके वहां के जिलाधीश सभापति थे। उस समिति ने तय किया है कि जितने हमारे पुराने तीर्थ स्थान वगैरह हैं उनकी किस तरह से रक्षा की जाय। श्रीमन्, वहां एक पंचकोशी सड़क कही जाती है। वह दो किस्म की है। एक तो गंगा के किनारे ८२ मील या ८२ कोस, मुझे ठीक याद नहीं है, जाती है. और दूसरी पंचकोशी जो है जिसके पांच मुकाम हैं और जो आधुनिक काशी है उसकी परिक्रमा करती है और सारनाथ के पास से गुजरती है। अगर इस पंचकोशी के किनारे देखा जाय तो कई ऐसे मन्दिर मिलते हैं जिनकी इमारतें देखने से मालूम होता है कि ये बहुत पुराने हैं मैं तो पुरातत्व का अधिक जानकार नहीं हूं लेकिन जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में जाता हूं। तो कई लोग वहां बतलाते हैं कि ये टीले जो हैं यह कुछ माता सीता की रसोई और कुछ को लोरिक का धमख कहा जाता है। यह २५ हजार या ५० हजार वर्षों का है और आपसे क्या कहूं वहां वरुणा और गंगा के संगम पर जहां कि थियोसोफिकल सोसाइटी है वह किसी राजा का किला कहा जाता है। सुनते हैं कि ब्रिटिश पीरियड या मुगल पीरियड या उससे भी पहले का वह हो सकता है और जो वहां के पुराने-पुराने लोग हैं जो इतिहास से कुछ रुचि रखते हैं अगर उनको बुला कर सचमुच एक कमेटी इसकी बनाई जाय तो हम समझते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का एक बड़ा सुन्दर समन्वय करने में सहायता प्राप्त होगी। आप देखें कि हमारे यहां संस्कृतियों का सम्मिश्रण न होने से नाना प्रकार के झगड़े उठ रहे हैं।

हमारे नारायणदास जी ने जो बात रखी है अगर उसको सदन मान ले और सरकार उसको ठीक प्रकार से कर सके तो मैं समझता हूं कि नाना प्रकार की संस्कृतियों का सम्मिश्रण

[श्री लालबहादुर सिंह]

हो जायगा और देश में एक अच्छी संस्कृति पैदा हो सकती है। उसके बाद आप थोड़ी दूर आगे बढ़िये अयोध्या । यहां पर रामचन्द्र जी का इतिहास देखिये। पौराणिक पंडितों के अनुसार इसका काल बहुत पुराना हजारों लाखों वर्ष का है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार यह कहते हैं कि कोई पांच हजार वर्ष का इतिहास है। तो इस बात का तय करना भी अत्यावश्यक है कि जो हमारे पौराणिक पंडितवृन्द कहते हैं वह सही है या जो आधुनिक इतिहासकार कहते हैं वह सही है। तो श्रीमन्, अगर अयोध्या को देखा जाय जो लोग वहां गये हैं जिन्होंने देखा है वे जानते हैं कि उसका इतिहास कितना पुराना है। अयोध्या भी जिस प्रकार काशी कई बार बनी बिगड़ी, कई बार बनी बिगड़ी। अब उसके बाद अगर आप और आगे चलें तो राजापुर बांदा है जहां रामचन्द्र जी के विषय में कितना महत्वपूर्ण ग्रन्थ रामायण रचने वाले का जन्म हुआ। उसका कितना बड़ा इतिहास है। उसके आगे चित्रकूट जिस स्थान पर बैठकर हमारी सारी सभ्यता, सारी संस्कृति प्रस्फुटित हुई, भरत और राम ने उसी स्थल पर निश्चय किया था कि किस प्रकार एक भाई दूसरे भाई के प्रति जिम्मेदार होता है। आप स्वयं श्रीमन्, एक स्थान और ऐसे स्थान के निवासी हैं जो अत्यन्त पवित्र पुनीत स्थल है। इसी प्रकार और भी कितने हैं। अभी मैं परसों या चौथे दिन भागवत की एक कथा पढ़ रहा था, जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण को स्यमंतक मणि की चोरी लगाई गई। वह पता नहीं कहां-कहां किन किन स्थलों में गये। वे एक पहाड़ के अन्दर गये वहां एक भालू निकला और वहां उनसे खूब लड़ाई हुई। तो इस तरह से इस देश के चप्पे-चप्पे पर ऐतिहासिक स्थान मिलेंगे। मेरे गांव के पास पांच मील की दूरी पर एक शूल टांगकेश्वर का मन्दिर है।

श्री रामसुभग वर्मा—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री लालबहादुर सिंह—तो श्रीमन्, उस मन्दिर में बहुत से साधू रहा करते हैं। लोगों का कहना यह है कि वहां के एक साधू जो हैं उनकी उम्र सौ सवा सौ साल की है। तो इस प्रकार जाने कहां-कहां क्या इतिहास भरा पड़ा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके पीछे बड़ा भारी इतिहास है और अगर उनको सुरक्षित करने का प्रयत्न किया जाय तो बड़ा अच्छा हो। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात जो हमने देखनी चाहिये वह यह है कि उसका एक चार्ट बनवाया जाय। कि दो तीन हजार या ५ हजार वर्ष पहले की कितनी चीजे हैं और पांच हजार और ढाई हजार वर्ष के बीच कितनी है और एक हजार और ढाई हजार वर्ष के बीच की कितनी हैं और अंग्रेजी पीरियड की तो सभी बातें हम जानते हैं। लखनऊ में रेजीडेंसी की तरफ जब मैं निकल जाता हूं तभी सन् ५७ की याद आ जाती है। तो आप को इसमें सबसे पहले यह करना होगा कि आप वहां के पुराने लोगों से मिलिये। उनको इकट्ठा करके उस स्थान के बारे में जो किवदंतियां हैं और जो उसका इतिहास है उसको देखिये कि इन दोनों में कितना समन्वय है। मेरी समझ में तो कभी-कभी यह आता है कि जो इतिहासकारों ने लिखा है वह गलत हो जाता है और यह किवदंतियां सही हो जाती है और अगर इस कार्य को जल्दी से जल्दी नहीं निपटा लिया जायगा तो किवदंतियां कहने वाले वृद्ध लोग हैं वह मर जायंगे और तब फिर हमको उस स्थान के बारे में वह तमाम जानकारी नहीं मिल सकेगी।

हमारे रामनगर के पास बरईपुर नाम का एक स्थान है। वहां के बारे में पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है कि रामचन्द्र जी के जमाने में यहां क्या-क्या हुआ। ऐसी कई जगहें काशी के आस पास हैं और अगर काशी शहर को ही देखा जाय तो काशी करवट है, विश्वनाथ जी का मन्दिर है, अन्नपूर्णा जी का मन्दिर है, मणकर्णिका घाट है, हरिश्चन्द्र घाट है, इस तरह की अनेक जगहें हैं। हरिश्चन्द्र जी के बारे में आप स्वयं ही तय करें कि उनको कितना

समय हुआ होगा। आज तो चार पांच मील आगे तक शहर हो गया है, लेकिन उस जमाने में जैसा कि कथा में आता है कि महाराज हरिश्चंद्र डोम के यहां बिके थे और श्मशान में रहा करते थे उस समय वहां कोई व्यक्ति नहीं जाता था। ऐसी हालत में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जल्द से जल्द खोज कराई जाय और इसके लिये विद्वानों और इतिहासकारों की एक कमेटी बने, मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि यह क्षेत्रीय कमेटी हो। जहां से हमारे डाक्टर सीताराम जी आते हैं कसया से, उसके बारे में मैं, जो साधू आते हैं उनसे अक्सर सुनता हूं। वे बुद्धिस्ट साधू बतलाते हैं कि उसका बड़ा पुराना इतिहास है। अगर ठीक से देखा जाय तो हमारे सारे प्रान्त का एक बहुत बड़ा और हर स्थान का एक अपना इतिहास है। इसको खोजने, देखने की बहुत बड़ी और बहुत सावधानी से आवश्यकता और मैं नारायण दास जी का बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि बिना किसी संशोधन के यह प्रस्ताव पास किया जाय। बस मुझे इतना ही कहना है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं नारायणदास जी के प्रस्ताव तथा उसमें प्रस्तुत किये गये संशोधनों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे लिये यह महान प्रसन्नता की बात है कि आज इस विधान सभा में हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस विषय पर विचार कर सकें कि हमारे प्रदेश में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या जो पवित्र स्थान और पुरानी बस्तियां हैं उनके पुनर्जीवन और पुनर्वासन के लिये विचार विनिमय कर सकें और उनके लिये कोई कदम आगे को उठा सकें। मान्यवर, मैं मित्र लालबहादुर सिंह जी को सुनता रहा और मुझे उनका जो तर्क है, उनकी जो भावना है उससे तो कहीं तक मैं सहमत हूं परन्तु दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि वह जो बातें कह रहे थे वह इस संकल्प में नहीं आती। यदि वे बातें किसी संशोधन के रूप में इसमें आ गई होतीं तो अच्छा होता। ऐतिहासिक स्थानों और इमारतों के लिये समय का निर्धारण करना, कि यह कितनी पुरानी वस्तु है, यह एक ऐसी चीज है कि जिसके लिये सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे और बहुत सी चीजों की खोज में उनको महान आर्थिक दान भी देने पड़ेंगे और उन दोनों के ही आधार पर जिस तरह से हो सकेगा एक्सकैवेशन्स हो सकेंगे। मान्यवर, जो सब से बड़ी चीज इसमें है वह यह है कि सम्पूर्ण भारत में अयोध्या साकेत अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सबकी उस के प्रति श्रद्धा है। यह सौभाग्य की बात है कि मैं फैजाबाद का हूं परन्तु कोई कहीं का भी हो वह भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि उसकी उसके प्रति काफी श्रद्धा है। हमारे जिले फैजाबाद के जिलाधीश की अध्यक्षता में एक सभा बुलायी गयी थी और अयोध्या फैजाबाद के लोग भी उसमें एकत्रित हुये थे। वे लोग साकेत के विकास के लिये हृदय से प्रयत्नशील हैं और उसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। उसकी बहुत सी उपसमितियां बनी हुई हैं और काम बड़ी तेजी से हो रहा है। परन्तु जो कठिनाई है वह यह है कि वहां पर भी सब जगह की तरह से आर्थिक कठिनाई है। किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका संभालना अत्यन्त कठिन है। यदि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तो यह कार्य तेजी से हो सकता है। जनता भी उस तरफ आगे बढ़ रही है और सहयोग कर रही है और यथाशक्ति जो भी सहायता हो सकती है वह प्रदान कर रही है। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब उसमें ऐसी मुसीबत आ गयी है कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति या समुदाय में इतनी शक्ति नहीं रह गयी है कि जो इस कार्य को संभाल सके। उसके लिये सरकार को सोचना जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मान्यवर, काशी हुई या मथुरा हुई या और ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना है बाद में उनका महत्व मालूम होता है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाय तो इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वे ऐसे स्थान हैं जिन का पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन होना नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके लिये मैं नारायण-दास जी को बधाई देता हूं और साथ में रणंजय सिंह जी को भी जो कि इतना महत्वपूर्ण संशोधन लाये हैं जिससे उसकी रूपरेखा बदल जाती है। ऐतिहासिक बहुत सी चीजें खोही जा सकती है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जिनकी महत्ता हो उनको ही ज्यादा माना जा सकता है और इसी नीति पर उनको चलना है। महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने इसलिये रखा है कि जिससे यह देखा जा सके कि महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं और जो हों तो उनको प्रायोरिटी दी जाय और जो ऐसी चीजें हैं उनको बाद में लिया जा सकता है और इससे किसी भी माननीय सदस्य को विरोध नहीं होगा। और सरकार भी इस इच्छा की पूर्ति करने के लिये शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न करेगी।

जहां तक सरकार का प्रश्न है संभवतः वह यह रास्ता सुगम पाये और उनका यह प्रयास हो कि इसके संरक्षण के लिये उसका भार उनके ऊपर सौंप दिया जाय। परन्तु वह संरक्षण उस अवस्था में किया जा सकता है जब कि इस अवस्था में हो और इस तरफ अपना ध्यान दे। जो उसकी रूप रेखा है और भविष्य में भी काम आ सके और जनता लाभ उठा सके वह कदम सरकार को संरक्षण के सम्बन्ध में उठाना चाहिये। जहां तक इन चीजों के पुनर्निर्माण का प्रश्न है वह ऐसी चीजें हैं जिनके लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। यदि इस पर ध्यान दिया गया और कुछ प्रबन्ध किया गया तो इससे हमारी संस्कृति और हमारी उन वस्तुओं की रक्षा होगी जिन पर हमको गौरव रहा है और आज भी गौरव है और भविष्य में भी गौरव रहेगा। भारत में ऐसी चीजें हैं जिनके अन्दर हमेशा पुरातन काल से विशेषता रही है और भविष्य में भी रहेगी। यदि इस कांग्रेस के शासन काल में भी उनका उद्धार नहीं किया गया और इसी अवस्था में उनकी बरबादी होती है। मैं आपके द्वारा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी होगी, एक ऐसा कलंक होगा जिसे धोया न जा सकेगा, परन्तु मैं समझता हूं कि उन कलंकों से यह सरकार भयभीत नहीं है, क्योंकि वह उनकी आदी हो चुकी है और साथ ही साथ उनकी उनसे रुचि भी हो गयी है। मैं मित्र के रूप में उनको यही सलाह देना चाहता हूं जो कि उनके लिये श्रेयस्कर हैं, यद्यपि उसे अपनाना या न अपनाना तो उनका काम है कि उन्हें इसे जल्दी से स्वीकार कर लेना चाहिये। इसके आगे मैं अनुरोध करूंगा कि जौनपुर भी एक इतिहास की महत्वों की जगह है। यह ठीक है कि माननीय राज नारायण जी मंत्री जी के लिये कुछ भी समझें, लेकिन मैं तो उनके लिये श्रद्धा रखता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह जौनपुर की चीजों पर भी ध्यान दें, जिससे उनको अच्छी तरह रखा जाय और भविष्य में लोगों को उन्हें देख कर पुरानी चीजों का ख्याल आ सके। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जरूर अग्रसर होंगे। अब उनके यहां बैठने से मैं समझता हूं कि नारायणदास पासी जी का बोझ हलका हो जायगा। यह निःसन्देह है कि सदन इस पर एकमत है और सरकार को भी इस संकल्प पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसे स्वीकार कर ले ताकि हमें समय मिल सके कि हम अगले संकल्प पर भी विचार कर सकें। यह हो सकता है कि उस पर वादविवाद हो लेकिन विवाद के लिये ही तो हम यहां एकत्रित हैं। मैं भी वह गलती कर रहा हूं, गलती नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री नारायणदास का नाम पुकारा)

श्री नारायणदास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह थी कि मंत्री महोदय इस पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल देते तो.....

श्री उपाध्यक्ष—मेरी कठिनता यह है कि क्लोजर मूव हो चुका है और उसके स्वीकार होने के बाद मैं सिवाय आपके और किसी को अवसर नहीं दे सकता । ऐसी आशा की जाती है कि प्रस्ताव निर्विवाद है और वह स्वीकार करेंगे ।

श्री नारायणदास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर बहुत संजीदगी और अच्छे सुझावों के साथ विचार किया है । श्री रणंजय सिंह जी का प्रस्ताव अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है । मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं यह भी चाहता हूं जिससे सरकार को कोई कठिनाई न हो कि पुनर्निर्माण और पुनर्वासन की जगह पर संरक्षण रख दें, जिससे प्रस्ताव सदन को पूरे तौर पर स्वीकार हो जाय ।

शिक्षामंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, जो प्रस्ताव भवन के सामने प्रस्तुत है वह अपनी जगह पर बड़ा ही महत्व का एक प्रस्ताव है । इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि हमारी जितनी पुरानी चीजें हैं यह हमारे ऐतिहास की जीती जागती चीजें हैं और सरकार पर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व है । इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो ऐसी पुरानी वस्तुयें हैं, जो भारतीय सरकार के अन्तर्गत हैं उनकी रक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है इसके अलावा और जितनी चीजें हैं उनकी रक्षा और उनका रखरखाव प्रान्तीय सरकार द्वारा होता है । इस संबंध में थोड़े ही अर्से के बाद इस भवन में एक बिल भी प्रस्तुत होगा और उसके द्वारा मैं आशा करता हूं कि एक अधिकारी की भी नियुक्ति होगी जिसका कि यह कार्य ही होगा कि वह पुरानी वस्तुओं और इमारतों का रखरखाव करे । जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है प्रस्तावक महोदय का आशय भी उतना ही है । वे यह चाहते हैं कि हमारे इतिहास की जो पुरानी चीजें हैं, जिनमें हमारा ज्ञान, हमारी कलायें, हमारी संस्कृति भरी हुई है और जो उनके प्रतीक की तरह से आज भी हमारे बीच में हैं उनकी रक्षा करें और यह देखें कि वह नष्ट-भ्रष्ट न हो जांय । मैं समझता हूं कि यही उनका आशय है । हालांकि शब्दों में उन्होंने यह रक्खा है कि उनका पुनर्निर्माण किया जाय, उनको फिर से बसाया जाय, मैं समझता हूं कि शायद उनकी यह मंशा नहीं है, क्योंकि यह चीज जरा मुश्किल सी मालूम होती है । अगर कोई किला टूट गया है कहीं गिर गया है और आज एक खेत की तरह से है तो हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, रखरखाव कर सकते हैं, वह यादगार है, हमारा इतिहास है, लेकिन प्रस्तावक का मतलब यह नहीं है कि वह किला फिर से बनाया जाय और न यह किसी तरह से संभव है ।

उदाहरण के लिये कानपुर के १२–१४ मील के फासले पर एक स्थान है जहां खुदाई हो रही है, चीजें भी मिल रही हैं, जिससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि वहां कोई बस्ती रही होगी । अब वहां कुछ नहीं है, बालू ही बालू है, शायद गंगा जी काटते-काटते वहां पहुंच गयी हैं । वहां पर बसने की कोई बात नहीं हो सकती । वहां किस को लेकर जाकर बसाया जायगा । मैं समझता हूं नारायण दास जी का यह आशय नहीं होगा । जहां तक उनकी स्मृति को जीवित रखने का संबंध है उनके रखरखाव का प्रश्न है, हमारे इतिहास की जो चीजें हैं, उनकी रक्षा की आवश्यकता है और उसका प्रयत्न सरकार द्वारा हो रहा है । मैं

[श्री हरगोविन्द सिंह]

समझता हूं कि नारायणदास जी यह समझेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि यह पास किया जाय। लकिन अगर वह चाहें तो उसको पास भी करा सकते हैं पर उस हालत में मैं इतना जरूर चाहूंगा कि यह पुनर्निर्माण और पुनर्वासन, यह जो २ चीजें हैं वह सम्भव नहीं है और शायद यह उनका आशय भी न हो और अगर यह पास भी हुआ तो सरकार को स्वीकार है कि हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह पुनर्वासन आदि सम्भव न होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि प्रस्तावक महोदय इसे वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री नारायणदास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं "पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन" शब्दों के स्थान पर "संरक्षण" शब्द स्वीकार करता हूं। प्रस्ताव को वापस लेने का प्रश्न नहीं है, माननीय मंत्री महोदय ने जो भावना प्रगट की है उससे प्रकट है कि वह ऐसे स्थानों का संरक्षण चाहत हैं इसलिये "पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन" के स्थान पर "संरक्षण" रख दिया जाय और इस प्रस्ताव को उस रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पहले मैं संशोधन सदन के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "के" तथा शब्द "ऐतिहासिक" के मध्य में शब्द "सभी महत्वपूर्ण" रख दिये जायं। और संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "टूटे-फूटे" तथा शब्द "कच्चे" के बीच में शब्द "नष्ट-भ्रष्ट" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—तो अब यह इस प्रकार हो जायगा कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक टूटे-फूटे, नष्ट-भ्रष्ट, कच्चे-पक्के किलों, कोटों, पवित्र स्थानों और पुरानी बस्तियों के संरक्षण की अति आवश्यकता है अतः सदन सरकार से सिफारिश करता है कि इस तरफ वह शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, प्रस्तावक महोदय, ने जो संशोधन स्वीकार किया हैं उसे किसी ने मूव किया है? आप उसे कैसे मान कर रख सकते हैं जब उसको रखने वाला ही कोई नहीं है और इस तरह से उसके स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी के सुझाव पर प्रस्तावक महोदय ने वह उपस्थित किया है गो उसमें बहुत देर हो गई और उन्होंने अनुरोध किया है कि वह इसको वापस लेलें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—वह उनके अनुरोध को नहीं सुन रहे हैं, वह चाहते हैं कि वोटिंग हो, यह कैसे होगा जब वह मूव ही नहीं हुआ।

श्री गेंदासिंह—वर्बल होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—वर्बल कोई होना भी तो चाहिये कहीं से।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो दो बातें हो जायंगी। या तो यह माना जायगा या न माना जाय, ऐसा हो सकता है। जो अमेंडमेंट कि उन्होंने स्वयं उपस्थित किया है इसको सदन मान ले।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मगर यह तो उन्होंने भी उपस्थित नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—(माननीय नारायणदास से) क्या उन्होंने संशोधन मान लिया है या पेश किया है?

श्री नारायणदास—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन स्वयं रखा है उसको माना भी लेकिन...

श्री अवधेश प्रताप सिंह——श्रीमन्, कब रखा है और कब मूव किया। इस पर आप व्यवस्था दें यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष——तो ऐसी स्थिति में मुझे इस प्रस्ताव को ऐसे ही रूप में रख देना चाहिये।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, टूटे-फूटे, नष्ट-भ्रष्ट, कच्चे, पक्के किलों, कोटों, पवित्र स्थानों और पुरानी बस्तियों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन की अति आवश्यकता है। अतः सदन सरकार से सिफारिश करता है कि इस तरफ वह शीघ्रतिशीघ्र कदम उठावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

न्याय पंचायतों को समाप्त करने के संबंध में संकल्प

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का यह निश्चित मत है कि न्याय पंचायतों से गांवों की दशा में सुधार होने की अपेक्षा हानि अधिक हुई है, और अनावश्यक रूप से मुकदमों में वृद्धि हुई है, जिससे गांवों का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है अतः इन्हें समाप्त कर दिया जाय।

मान्यवर, आज से लगभग ५ वर्ष पूर्व पंचायत राज ऐक्ट बना और उसके द्वारा हमारे देहात के इलाकों में गांव सभा, गांव पंचायत और न्याय पंचायतों की स्थापना की गई। पहले जो ऐक्ट था उसके अनुसार न्याय पचायतों के सदस्यों का सीधे-सीधे गांव सभा के सदस्यों द्वारा चुनाव कराया गया था और जो लोग न्याय पंचायत के लिये, जिसको पहले अदालती पंचायत कहते थे, चुने जाते थे वे अपना सरपंच चुनते थे। बाद में वह कानून संशोधित हो गया और उस संशोधित पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा न्याय पंचायत के निर्माण में जो उसके लिये पहले व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब यह हुआ कि जितने गांव पंचायत के सदस्य हों और जितने न्याय पंचायत के सदस्य चुने जाने को हों वह सब पहले पंचायत के रूप में चुन लिये जायं और फिर जिलाधीश प्रत्येक गांव सभा से, दो या तीन जितनी आवश्यकता, जितना नियम बना हो उतने न्याय पंचायत के सदस्य नामिनेट कर दे। जो नामिनेट होंगे वे सरपंच चुनेंगे।

पहली व्यवस्था में यह दोष पाया गया कि जो लोग इस तरह से न्याय पंचायत के लिये चुने जाते थे उनमें जो गांव में पार्टी बन्दी होती थी उसके द्वारा चुने जाने के कारण उन अदालती पंचायतों में भी पार्टी बन्दी हो जाती थी। और यह भी मुनासिब नहीं समझा गया कि इस तरह से चुने हुए लोग न्याय का काम करें जब कि वोट के आधार पर ऐसी पंचायतें बनें। अब उस रूपरेखा में इतना परिवर्तन हो गया कि जो गांव के पंच चुने जायं उनमें से अच्छे और योग्य व्यक्तियों को जिलाधीश नामिनेट कर दे। यह चुनाव पिछले दिसम्बर में हुए। कहीं पहाड़ी इलाकों में किसी और महीने में हुए। आम तौर पर दिसम्बर या जनवरी में हुए। अभी तक कम से कम मैं अपने जिले का जानता हूं कि न्याय पंचायतें बन नहीं पायीं हैं और किन-किन जिलों में बन पायीं, किन-किन जिलों में नहीं बन पायीं यह तो माननीय उपमंत्री जी बता सकेंगे। किन्तु अभी वह नामिनेशन का काम अधिकांश जिलों में समाप्त नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि अधिकांश जिलों में न्याय पंचायतें बन नहीं पायी हैं।

मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की आवश्यकता इसलिए समझी कि इतने पांच वर्षों का अनुभव जो कुछ गांवों में देखा गया वह अच्छा नहीं रहा। कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि इन न्याय पंचायतों के द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो रही है। बहुत

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

मुकदमे फैसल किये गये यह भी शायद कहा जाय सरकार की तरफ से कि इनके फैसले बहुत कम टूटे और न्याय पंचायतों के द्वारा गांव वालों के झगड़ों को निपटाने में सहायता मिल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि वे माननीय सदस्य जो गांवों के रहने वाले हैं और जिन्होंने नजदीक से देखा है गांव वालों के जीवन को और न्याय पंचायतों के कार्य को उनका अनुभव इसके विपरीत है। अस्ल बात तो इसके अन्दर यही सब से बड़ी है कि जो गांवों में वोट के द्वारा लोग चुने जाते हैं वह पार्टी बन्दी के आधार पर चुने जाते हैं। कहीं-कहीं चुनाव सर्वसम्मति से भी हुए हैं। यह मैं मानता हूं लेकिन सर्वसम्मति से चुनाव होने का यह अर्थ नहीं निकलता कि वहां पार्टीबन्दी नहीं है बल्कि कुछ लोग इसलिए भी चुनावों में भाग नहीं लिए जिन्होंने देखा कि एक किसी विशेष दल का बहुमत है, चुनावों में खड़ा होना बेकार है इसलिए वह खामोश रह गए। लेकिन आज के राजनैतिक वातावरण में करीब-करीब हर गांव में पार्टी है और चुनावों ने तो पार्टीबन्दी को बहुत अधिक बल दिया है। तो इसलिए चुनावों में पार्टीबन्दी हो जाया करती है और वह भी गांवों के चुनावों में काफी हद तक देखने में आयी। जो लोग चुने गए हैं गांव पंचायतों में उनमें जो भी चुने गए हैं वह इसी प्रकार से चुने गए हैं। तो ऐसी दशा में उनके हाथ में न्याय का देना यह उसूलन भी नामुनासिब है।

लेकिन मैं तो मान्यवर, एक विशेष बात पर आपके समक्ष यह जोर देना चाहता हूं, जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है कि इन न्याय पंचायतों से मुकदमों में वृद्धि हुई है और गांवों का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है। यानी इससे गांव की हालत काफी खराब हुई है। गांव में छोटे-मोटे झगड़े होते हैं और मुकदमेबाजी का रूप धारण करते हैं, लेकिन अक्सर यह होता है और हो रहा है कि इन न्याय पंचायतों की वजह से जो लोग पंच होते हैं या जो उनके दलाल होते हैं वह छोटे-मोटे झगड़ां को न्याय पंचायतों में दाखिल कर देते हैं। जो मुकदमे न भी खड़े होने वाले हों, वह इन न्याय पंचायतों की वजह से खड़े हो जाते हैं और जब किसी जोर वाले आदमी को किसी गरीब को परेशान करना हुआ तो वह इन पंचायतों का सहारा लेता है और जो कमजोर आदमी है, जो वास्तव में सताया गया है, उसने अगर मुकदमा दायर कर दिया न्याय पंचायत में तो सूरत यह देखने में आती है कि पैसे वाला शक्तिशाली आदमी पहले तो चला जाता है जिले की अदालत में मुकदमे को हटा देने के लिए। पहले उस क्षेत्र से, न्याय क्षेत्र के बाहर मुकदमा हो जाय इस बात की कोशिश करता है, जिसमें कमजोर आदमी, गरीब आदमी को मजबूरन एस० डी० ओ० या मुंसिफ की कोर्ट में जाना पड़ता है उस मुकदमे को न्याय अदालत में कायम रखने के लिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि सब से पहले ट्रांस्फर अप्लीकेशन पहले ही उस व्यक्ति, द्वारा जिसके खिलाफ एक कमजोर आदमी द्वारा दावा दायर किया गया है वह पड़ जाती है। अगर पंचों ने फैसला किया उसके पक्ष में या विपक्ष में तो उसके बाद निगरानी की नौबत आती है। तो फिर दोबारा फिर जाना पड़ता है उन अदालतों में जो जिले में स्थापित हैं। तो बजाय इसके कि मुकदमे कम हों, मुकदमेबाजी की नौबत ज्यादा पड़ती है और जो मुकदमे नहीं कायम होने वाले होते वह न्याय-पंचायतों में कायम हो जाते हैं। कायम होने के बाद एक बार जब मुकदमे वाजी का सिलसिला लगा तो वह ट्रांस्फर अप्लीकेशन रिवीजन के तरीके पर और कभी-कभी हाई कोर्ट तक चली जाती है जो कि बहुत छोटे मामले होते हैं। जैसे छोटे बीज से बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है वैसे ही छोटे से मुकदमे को जिसकी शायद अदालत में जाने की नौबत नहीं आती वह तूल पकड़ कर बड़ी लम्बी अवधि तक चलते रहते हैं।

पंचायतों के बारे में हमारा, इस सदन के माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि जिस समय पंचायत राज ऐक्ट बना, कि पहले जमाने में पंचायतों से लोग अपने झगड़े फैसल करा लिया करते थे, हमने समझा कि उसी तरह से न्याय-पंचायतें बन जायगी और छोटे-मोटे

झगड़े फैसल हो जांयगे, ज्यादा मुकदमेबाजी की नौबत नहीं आयेगी। लेकिन पहले की पंचायतों की जो बात कही जाती है गांव की छोटी-मोटी जो पंचायतें होती थीं उनमें और जो हमारे सरकार के कानून द्वारा पंचायतें बनी हैं उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। मान्यवर पहले जो गांव वाले पंचायत से मुकदमे तय करा लेते थे वह अपने पंच खुद बना लेते थे और उनके पीछे एक मारेल सेक्शन होता था, अब जो न्याय पंचायतें बनी हैं उनके पीछे लीगल सेक्शन है। दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। जब गांव के लोग झगड़ों के निपटाने के लिए अपने पंच खुद बना लेते हैं तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा दूसरे तरह की होती है, उनके निर्णय को स्वतः मानने के लिए उनके अन्दर एक प्रेरणा होती है, वह बाध्य होते हैं। उनके ऊपर कोई बाहरी दबाव काम नहीं करता, लेकिन जो आज की पंचायत है जिसके पीछे लीगल सेक्शन है इसमें वह ईमानदारी वह पवित्रता, वह सच्चाई नहीं है, जो आज की पंचायतें हैं इनके पीछे हम देखते हैं प्रलोभन बहुत है। शक्ति का प्रलोभन लोगों में होता है। लेकिन यह भी शिकायत गांवों में मिलती है कि पंच लोग अपने गांव के लोगों का और अपनी पार्टी वालों का पक्ष लेते हैं और रिश्वत की भी काफी शिकायतें देखने और सुनने में आई हैं। अगर यह कहा जाय कि यह बात जब मानी जायगी जब रिश्वत साबित हो जाय। मुकदमा चलाया जाय तो बड़ा मुश्किल होगा। हजारों रिश्वत के मामले रोज होते रहते हैं, न तो सब पकड़े जाते हैं न सब अदालत में ही आते हैं और न सब साबित ही होते हैं। न्याय पंचायतों में रिश्वत वगैरा की काफी शिकायतें हैं। उनको इस रूप में प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता है लेकिन यह जरूर है कि यह काफी मात्रा में बढ़ गई हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज न्याय पंचायत का सदस्य बनने के लिये गांवों में काफी होड़ लगी हुई है। प्रधान, उपप्रधान को छोड़ दीजिये लेकिन जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से न्याय पंचायत के लिये लोग चुने जाते हैं। इसके लिये मैं समझता हूं जैसा कि मैंने अपने जिले में देखा है, सदस्यों के पास काफी दौड़ धूप लगी रहती है और उनकी यही भावना रहती है कि वह किसी भी प्रकार से न्याय पंचायत के सदस्य चुन लिये जायं। मैं समझता हूं कि उनका न्याय पंचायतों की ओर रुझान और महत्व देना हमारे विकास के कार्यों में बाधक है। यदि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का ध्यान इस ओर होता कि गांवों का विकास हो तब तो बड़ी सुन्दर बात होती यदि उनका ध्यान इस ओर होता कि भूमि की रक्षा कैसे की जाय और जो सम्पत्ति मिलती है उसका विनाश न हो तब तो श्रेयस्कर होता। लेकिन उनका ध्यान तो न्याय पंचायत के सदस्य होने की ओर रहता है, मुकद्दमा फैसल करने, दूसरों के ऊपर शासन करने तथा न्याय अदालत के जरिये हावी होने की भावना अधिक रहती है।

मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतें न होती तो लोगों का ध्यान विकास की ओर होता और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा की ओर होता लेकिन न्याय पंचायतें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। जो महत्व पूर्ण चीज है वह न्याय पंचायतें हैं और न्याय पंचायतों के अधिकार, बाकी जो कुछ उनके लिये सेवा के लिये अधिकार सौंपा गया है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि यदि न्याय पंचायतें समाप्त कर दी जायं तो लोगों की विकास की ओर प्रेरणा होगी और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा की तरफ ध्यान होगा। इनसे कोई लाभ नहीं है। यह जरूर है कि मोह हो सकता है। जैसे कोई पेड़ लगाता है तो उसको अपने हाथ से काटने में झिझक होती है। इस सरकार ने तथा माननीय सदस्यों ने इस कानून को बनाया है, इस पेड़ को लगाया है। लेकिन हम पांच वर्षों के अनुभव के बाद देखते हैं कि इसका फल बजाय मीठा होने के कड़ुवा हुआ हमने इसको आम का पेड़ समझ कर लगाया और वह बबूल की तरह कांटे देने वाला पेड़ निकला। तो ऐसी दशा में उस पेड़ को काट देने में हमें मोह नहीं होना चाहिये।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

यह तो माननीय उपमंत्री महोदय अधिक बतला सकते हैं अगर आंकड़े उनके पास हों, कि जब ये अदालती पंचायतें नहीं बनी थीं तो अदालतों में कितने मुकदमे दायर हुआ करते थे और अब कितने दायर होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि गांव के लोग जिस तरह से पहले अपने मामले जिले की कचेहरियों में लाते थे उसमें कोई कमी नहीं हुई है। जब पंचायत में किसी के मुआफिक फैसला नहीं होने वाला होता है तो मैंने देखा कि तरह-तरह की दफात वकीलों के द्वारा लगायी जाती हैं ताकि जिले की अदालतों में वे मुकदमे दाखिल हो सकें। अब भी जिले की अदालतों में उसी तरह से मुकदमात दाखिल हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। पंचायतों में जो दावे हुये यह तो बढ़ोत्तरी हो गयी। तो इसलिये इन न्याय पंचायतों से लाभ कौन सा हुआ यह मैं नहीं समझ पाता हूं। अगर यह समझा जाय कि इन पंचायतों की वजह से झगड़े खत्म हो गये या झगड़ों के फैसले करने में आसानी हो गयी, तो ये दोनों बातें मैं समझता हूं नहीं हुई हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो झगड़े अदालतों में नहीं भी जाने को होते हैं वे इन न्याय पंचायतों की बदौलत आज जिले की अदालतों में पहुंच रहे हैं और जहां एक मुकदमे से काम चलता था यहां न्याय पंचायतों के जरिये, उसमें कई सेक्शन निकलते हैं और मुकदमेबाजी बढ़ती है। गांव का झगड़ा फैसल तो हम उसी को कह सकते हैं जो गांव के लोग आपस में निपटा लें। वह तो पंचायत से सही माने में निपटाना हुआ। लेकिन न्याय पंचायत में तो बिल्कुल एक अदालती ढंग से चीज हो जाती है और उससे झगड़े शान्त नहीं होते। न्याय पंचायतों का विरोध इतना बढ़ता देखा गया है कि पंचों और सरपंचों के कत्ल की भी बातें अखबारों में देखने में आती हैं। ऐसा वातावरण अगर हमारे गांवों में इन न्याय पंचायतों की बदौलत है तो वह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। आज न्याय पंचायतें पार्टीबन्दी का सहारा हो रही हैं। उनके काम से गांवों में दलबन्दी की भावना पैदा होती है, भ्रष्टाचार और रिश्वत और सिफारिश का बाजार गर्म होता है।

एक तरफ तो आप इसको देखिये और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि पंचायतें मुकदमे फैसल कर देती हैं इसलिये बनी रहें, तो मैं समझता हूं कि अगर तराजू के पलड़े पर तौला जाय तो मुकदमा फैसल कर देती हैं यह पलड़ा कोई वजनी नहीं होता। पलड़ा तो वजनी यही है कि उनकी वजह से गांवों में पार्टीबन्दी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मुकदमों में वृद्धि हुई है। कोई छोटा-मोटा मामला हो गया और फौरन न्याय पंचायत में आ गये। तो यह सारी चीजें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि न्याय पंचायतें बड़ी भारी सेवायें कर रही हैं। मान्यवर, सेवा तो असली है गांवों का विकास। वह सारा काम पड़ा हुआ है। मुकदमों का फैसला करना सेवा नहीं रह गया है बल्कि अधिकार में आ करके और गांव के लोगों पर हावी होकर पार्टीबन्दी करके आदमियों को परेशान करना है। इसलिये बजाय लाभ के ये पंचायतें हानिकर हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि अगर ये खत्म कर दी जायं तो इसमें हानि क्या है? मैं समझता हूं कोई हानि नहीं है। जिस तरह से लोग पहले अदालतों में जाते थे अब भी जायेंगे मैं समझता हूं लाभ के बदले हानि ही हानि है। अगर आंकड़े देकर के यह कहा जाय कि इतने मुकदमे न्याय पंचायतों ने फैसल किये, इतने रेवीजन से नहीं टूटे तो इसलिये यह समझ लिया जाय कि बड़ी भारी सेवा हो गई। यह इस बात को सिद्ध नहीं करता कि बहुत ज्यादा मुकदमें अदालतों में दाखिल हुये तो मैं समझता हूं कि अगर पंचायतें न होतीं तो इतने ज्यादा मुकदमे अदालतों में दाखिल न हुये होते और रेविजन से नहीं टूटे तो यह भी कोई प्रमाण नहीं है कि खामखां वह न्याय पंचायतें कायम रहें ही। मैं आशा करता हूं कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि न्याय पंचायतों को समाप्त करके हम अपने विकास के कामों की तरफ आगे बढ़ें क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है बल्कि हानि ही हानि है।

†श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय द्वारका प्रसाद भौ मौर्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ ध्यान सदन का दिलाया है मुझे अफसोस है कि इस वक्त हाउस में उपस्थिति बहुत कम है । फिर भी मैं समझता हूं कि आज यह प्रस्ताव समाप्त नहीं हो पायेगा इस पर विचार प्रकट करने का लोगों को अवसर मिलेगा और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करके माननीय सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करें। उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी ने जिन बुराइयों की तरफ ध्यान दिलाया उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। पंचायतों का जो स्वरूप पहले था उसके रहते हुये भी पंचायतों में भ्रष्टाचार बढ़ा और उसको ठीक से संचालित करने में असमर्थता पाई गई।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके द्वारा जान सकता हूं कि आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं ?

श्री गेंदा सिंह---मैं जो कुछ कहूंगा उससे स्पष्ट हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पंचायतों ने जो अपने पिछले स्वरूप के रहते हुये भी काम किये उनको भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मैंने घूम घूम कर बहुत विस्तार से इसको जानने की चेष्टा की है। मुझे इस बात को कहने में दुख है कि पंचायतों के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिलीं यह भी सुनने को मिला कि उसमें बुराइयां नहीं हैं यह भी मैं कह सकता हूं कि बहुत सी पंचायतें ऐसी भी हैं जिनमें ईमानदारी से काम हुआ है। और जहां ईमानदारी से काम हुआ उन पंचायतों की और उनमें जो-जो रहे उनकी प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई और पंचायतों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ी। बदकिस्मती हमारी है कि ऐसी पंचायतें बहुत कम देखने में आयी। व्यक्तियों के ऊपर ज्यादा निर्भर करता रहा काम। जो पिछली अदालती पंचायतें थीं उनके स्वरूप की तरफ भी थोड़ा हमारा ध्यान जाना चाहिये। जैसा कि मौर्य जी ने स्वयं बताया कि उसमें स्वतः चुनाव हो जाया करते थे अदालती पंचों के। गांव के लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी। अगर वह गलत आदमी चुनते हैं तो फिर वही भुगतें। कम से कम सरकार के ऊपर जो सारा दोष मढ़ा जा सकता है वह बात नहीं थी। शासन के ऊपर सारा दोष नहीं मढ़ा जा सकता था। स्वयं जनता यह महसूस करती थी कि अगर हमने ऐसे पंचों को चुना तो उसका कुपरिणाम हम भुगतें, भुगतना चाहिये, वह हम भोग रहे हैं।

तो पिछली पंचायतों की तो यह बात थी। अब की मर्तबा अदालती पंचायतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया और न्याय पंचायतों की रचना का जो ढंग रखा गया वह ऐसा है कि यह पंचायतें अगर अच्छा काम करें तो उसका श्रेय न्याय पंच ले सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जिनका फैसला किया है वह उनके नजदीक रहते हैं, जिसके खिलाफ या किसकी तरफ फैसला दिया है उन्होंने वह उनके पास के ही लोग हैं, लेकिन अगर वह कोई बुरा काम करेंगे तो उस समय सारे देश में यह बात कही जा सकती है कि इसका सारा का सारा दोष सरकार के ऊपर है। जो इसकी रचना है, जो कांस्टीट्यूशन है पंचायत के बनाने का उपाध्यक्ष महोदय, उसमें आपको स्मरण होगा कि जिस वक्त पंचायत राज अधिनियम पर यहां विवाद हो रहा था हम लोगों की यह राय थी कि न्याय पंचायतों को जितना भी अधिक से अधिक शासन से दूर रखा जा सके, दूर रखा जाना चाहिये। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। उस वक्त यह तय हुआ कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी उसके लिये बनेगी और वह प्रेस्काइब्ड अथारिटी न्याय पंचों को नामजद करेगी। प्रेस्काइब्ड अथारिटी का प्रेस्काइब्ड ढंग भी होगा। उस वक्त यह तय हुआ और वह आज हमारे सामने है। जो पद्धति उस समय अपनाई गई थी वह यह है कि सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट सब गांव पंचायतों से ५ या कुछ अधिक नाम कलेक्टर के सामने रखेंगे और

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट, उस हल्के के प्रतिनिधि, असेम्बली के और कौन्सिल के प्रतिनिधि अगर उस क्षेत्र में रहते हों तो वह सब बैठ कर उसमें से दो व्यक्तियों को नामजद कर देंगे और वह न्याय पंचायत फार्म करेंगे। वह न्याय पंच होंगे मुझे जहां तक जानकारी है, मैं समझता हूं कि इसके पहले गवर्नमेंट के जो आदेश थे वह यह थे कि असेम्बली के मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट और एस० डी० एम० के सामने सारे नाम होंगे गांव पंचायतों के और उनमें से जिसको वह उचित समझेंगे कुछ पढ़े-लिखे लोग और कुछ उमर के ध्यान को रख कर कलेक्टर के सामने वे नामों को रख देंगे। उनके सामने २० नाम, २१ नाम या २४ नाम हों तो उनमें वह कुछ नामों को कलेक्टर के सामने रख देंगे और कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह फैसला कर दे। कुछ व्यक्ति न्याय पंच में होंगे।

शायद मैं भूल करता हूं जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं इस वक्त, वह यह है कि आज जो तरीका है वह तरीका वही है। मुझे इसमें यह कहना है कि अव्वल आपका शासन जो है वह कैसे निष्पक्ष हो सकता है लेकिन मैं अपने को निष्पक्ष मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं एक रोज निष्पक्ष बन जाऊंगा लेकिन आज हमारे सामने नक्शा यह है कि हम उम्मीदवार कैसे हों? हम असेम्बली की सीट को किस प्रकार से जीतें, हम किस तरह से इस विधान सभा में पहुंच पायें? विधान सभा के सारे सदस्य बाबूलाल मित्तल को छोड़ कर बाकी सब की इच्छा यह है कि इस विधान सभा के सदस्य बने रहें। हो सकता है कि किसी के मन में रिटायर करने की बात हो लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो रिटायर होना चाहते हों। मैं कभी सोचा करता था परन्तु आज नहीं सोचता हूं। अगर मैं रिटायर करूंगा तो फिर सरकार किसके साथ जम कर लड़ेगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो रिटायर करें। जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं वह भी रिटायर करना नहीं चाहते हैं। तो मामला असल में यह है कि इस वक्त अपनी वोट को बचा रहे हैं कि किस तरह से हम चुनाव को जीतें और सारी सीट पर कब्जा करें। फिर भी, न्याय पंचों की नियुक्ति करते समय हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता। इन व्यक्तियों से हमारी सहायता होगी या नहीं यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। कई मर्तबा हमसे कहा गया कि हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता परन्तु मैं उनसे कह चुका हूं कि वह सीट प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनसे इतना जरूर कहूंगा कि जरा वह अपनी छाती पर हाथ रख कर कहें कि आप अगली दफा मिनिस्टर बनना चाहते हैं या नहीं। तो असल बात यह है कि जो न्याय पंचायत का स्वरूप होने जा रहा है वह न्याय पंचायतों का स्वरूप ऐसा बेकार किया जा रहा है कि अगर वह न्याय कर सकें अपनी अगली टर्म में तो यह उनके लिये बड़ाई की बात होगी। इसका यश उनको ही मिलेगा न कि हमको इसका यश मिलेगा। तो असल में मौर्य जी का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव और उनके भाषण को जो मैंने सुना तो उसमें उन्होंने सारी अपनी कठिनाई, सारा सन्देह और सारी बुराई की जड़ करीब-करीब इसी पर आधारित की है कि यह जो न्याय पंचायतों की रचना इस प्रकार से की जा रही है उससे न्याय की आशा नहीं की जा सकती।

यह न्याय पंचायत १६ आने न्याय करेगी इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। न्याय का एक बड़ा भारी सिद्धान्त है कि न्याय को केवल भीतर करते रहें लोगों को यह मालूम न हो कि न्याय हो रहा है इससे काम नहीं चलता। न्याय भीतर होता रहे और बाहर के लोगों को यह मालूम हो और वह यह समझे न्याय हो रहा है तो वह न्याय है इस पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग सन्देह करेंगे और इन न्याय पंचायतों में न्याय होने के बाद भी वह समझेंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।

सबसे बड़ी सिद्धान्त की बात यह है कि आखिर हमारे संविधान में न्याय और शासन को प्रथक कर देने का डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल स्वीकार है। हमारी बदकिस्मती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार पुराने चस्के को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। वह उस लोभ

को संवरण नहीं करती है कि मुकम्मल तौर पर जुडिशरी को अपने हाथ से मुक्त कर दे। जहां हाई कोर्ट के जज मुक्त हैं वहां जुडिशल आफीसर और जितने भी शासनाधिकारी न्याय का काम करने वाले हैं उनको सरकार अपने हाथ से अभी तक तो मुक्त करने के लिये तैयार नहीं है। वह दोष तो था ही, अब यह भी दोष है कि छोटे-छोटे यूनिट में हमने सस्ते न्याय का तरीका अपनाया और उसे भी मंहगा करने का यह प्रयास हुआ। तो इन सब बातों को देखते हुये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह द्वारिका प्रसाद जी के और सारे देश के मस्तिष्क में जो सन्देह काम कर रहा है उसे दूर करने की कृपा करें। अगर वह इसमें असमर्थ हैं तो वह ऐसी चीज न पैदा करें जिससे सारा देश उसमें उलझ जाय और तबाही में पड़ जाय। हमारे ग्रामवासी जी परेशान न हों। मैं पंचायतों का और सस्ते न्याय का समर्थक हूं। गांवों में सही और सस्ता फैसला हो जाय, जल्दी गवाही में सही बातें पहुंच जावे, इसमें पंचायतों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ताकि यह सारा काम पंचायतों से हो सके, इसके लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह पंचायतों की मदद करे। सारे देश में पंचायतों की नामजदगी करनी बाकी है। मौर्य जी की परेशानी को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयत्न होना चाहिये, कि सरकार अपने को जल्दी इस काम से विरत कर ले। जज और दूसरे, २, ३ व्यक्ति जो ऐसे हों जो निष्पक्ष भाव से लोगों को नामजद कर सकें, उनका नामजद करने का बन्दोबस्त कर दिया जाय ताकि इन न्याय पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़े। अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो मौर्य जी को इस प्रस्ताव पर जोर नहीं देना चाहिये और इन न्याय पंचायतों को जिन्दा रहने देना चाहिये।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, श्री मौर्य जी ने अपने प्रस्ताव के द्वारा इस भवन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित किया है, मैं उनसे सहमत हूं। मैंने उनका भाषण भी सुना। जहां तक मौर्य जी का संबंध है मेरी पूरी सहानुभूति उनके विचारों के साथ है जिनमें उन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों के अन्दर बहुत सी कमियां हैं। उन्होंने बतलाया कि जिस ध्येय को लेकर न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है वह पूरा नहीं हुआ और मुकद्दमेबाजी बजाय घटने के बढ़ती चली गयी। गांव का वातावरण बजाय शुद्ध होने के बिगड़ता चला गया। गांवों के अन्दर पार्टीबन्दी शुरू हो गई। उनका यह भी कहना है कि उन पार्टी-बाजियों के साथ-साथ छोटे-मोटे मामलों के ऊपर मुकद्दमे इन न्याय पंचायतों में आने लगे जिसकी वजह से वातावरण बिगड़ता चला गया और मुकद्दमों की संख्या बढ़ती गई। उनका यह भी कहना था कि इस वजह से बहुत सी ट्रांसफर अप्लीकेशन्स मूव होती हैं, रिवीजन्स होते हैं, हाईकोर्ट तक लोगों को जाना पड़ता है जिससे लोगों का खर्चा भी बढ़ गया है। इन सब बातों की दवा उन्होंने यह समझी कि उनको हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाय। मान्यवर, मैं भी इस बात को मानता हूं कि यद्यपि यह सही है कि हमारे प्रदेश या देश में गांव पंचायतें या गांव सभायें कोई नयी चीज नहीं हैं, पहले की पुरानी संस्थायें हैं, लेकिन इस बीच में जब यहां अंग्रेजी राज्य था एक गैप सा हो गया और अब जो गांव सभा और गांव पंचायतें बनीं वह हमारे प्रदेश के लिये एक तरह की नयी चीज रहीं। पहले की कोई पृष्ठ भूमिका हमारे सामने नहीं थी।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह भी सही है कि जब यह कानून बना था तो दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों ने इसका स्वागत किया था और उन्होंने बड़े ध्यान से इस ऐक्सपेरीमेंट को देखा। ५-६ साल काम करने के बाद इस भवन में, इन पंचायतों के संबंध में एक संशोधन पेश हुआ। उस समय भी माननीय सदस्यों ने पंचायतों और न्याय पंचायतों के संबंध में अपने विचार प्रकट किये। मुझे याद पड़ता है कि उस समय भी यह बात इस भवन के सामने थी। जैसा कि माननीय

[श्री नवल किशोर]

मौर्य जी ने कहा, कि पहले जमाने में गांवों के लोग अपने पंचों को चुनते थे तो उनके पीछे मौरल सेंक्शन होती थी लेकिन आज जो चुनाव का तरीका रखा गया है उसके पीछे लीगल सेंक्शन होती है। हमारा जो पहला कानून था उसमें गांवों की जनता अपने पंचों को चुनती थी। ६ साल के बाद गांवों के लोगों ने अपने चुने हुये पंचों के कार्यों को देखा और उनको भी उनसे वही शिकायत थी जो आज मौर्य जी ने उपस्थित की है।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री नवलकिशोर भाषण करने के लिये खड़े हुये।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं एक बात श्रीमन्, साफ कर देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—वह यदि बैठें तो आप कह सकते हैं।

श्री नवल किशोर—आप बाद में उस को कह दें।

तो मैं यह कह रहा था कि हमारा जो पिछला कानून था उस के अनुसार पंचों को वहीं के लोग चुनते थे। अभी माननीय मौर्य जी ने कहा कि उनकी मंशा पिछले कानून से नहीं थी बल्कि उससे भी बहुत पहले सौ दो सौ वर्ष पूर्व से उनका मंशा था लेकिन पिछले कानून में यही था कि वहीं के लोग उनको चुनें लेकिन हमने उसके बाद देखा कि जो शिकायतें उनके बारे में आज हैं वह पहले भी थीं। जहां तक नये तरीके का संबंध है जिसकी ओर श्री गेंदा सिंह जी ने ध्यान दिलाया उसमें कुछ कमियां हैं, कोई भी तरीका हम निकालें लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह पूर्णतः सफल होगा और उस में कोई कमी न होगी। जब पिछलीबार यह देखा गया कि चुने हुए पंचों से ठीक काम नहीं चलता और यह भी बात विभाग में आई कि कहीं भी दुनिया में जुडीशियरी चुनाव के द्वारा नहीं बनाई जाती, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर यह तय किया गया था कि बजाय चुनाव के इन पंचों की नामजदगी की जाया करेगी। अभी तो तमाम जिलों में ऐसे पंचों द्वारा काम आरम्भ नहीं किया गया होगा लिहाजा काम अच्छा है या बुरा यह प्रश्न ही नहीं उठता, लिहाजा उन के विषय में अभी से कोई टीकाटिप्पणी करना उचित नहीं है। वैसे तो हम यह कह सकते हैं कि चुनाव का तरीका गलत है लेकिन इन पंचों का काम कैसा होगा उस के ऊपर कोई बात कहना अभी से प्रिमेच्योर और अनटाइमली है।

यह भी शिकायत की गई है कि गांव सभाओं के सभी मेम्बर चाहते हैं कि वह पंच बनाए जायं और उन की दिलचस्पी इधर नहीं है कि गावों का विकास और सुधार कैसे हो। हो सकता है, हर जगह की अलग-अलग स्थिति होती है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर लोगों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि वह न्याय पंचायतों के पंच बनाये जायं बजाय इस के कि वह भूमि प्रबन्धक कमेटी आदि में रहें तो मैं समझता हूं कि यह उचित ही है कि उनको नामजद किया जाये क्योंकि कनवेंसिंग करने वालों पर वोटर्स का जोर होगा और सिफारिशें ज्यादा चलेंगी। अब जो सेलेक्टिंग कमेटी है जिस में एस० एल० एच०, डी० एम०, प्रेसीडेंट जिला बोर्ड हैं उनके द्वारा नामजदगी होगी तो यह कम संभव होगा। माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि वह एम० एल० ए० हैं वह पक्षपातहीन नहीं हो सकते हैं और निष्पक्ष नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में मेरी तो ओपीनियन बहुत ऊंची है। हमारे यहां जो हाईकार्ट के नामिनेटेड जजेज होते हैं उनसे हम आशा करते हैं कि वह एग्जिक्यूटिव के असर में नहीं आयेंगे और आजादी से काम करेंगे इसलिये मैं समझता हूं कि इन नामिनेटेड पंचों में भी इनडिपेंडेंटली कार्य करने की क्षमता होगी। और जैसा कि मैंने बताया अभी हमको दो, चार साल देखना चाहिये कि यह काम कैसे करते हैं। मेरा यह दावा नहीं है कि जो हमने तरीका

निकाला है यह सबसे अच्छा तरीका है। किन्तु गेंदा सिंह जी ने जो कहा सो मैं समझता हूं शासन की तरफ से कोई नामजदगी की बात नहीं है; एक कमेटी बनी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और एम० एल० ए० यह सब जनता के चुने हुये लोग हैं, उनकी अक्सरियत है और जहां तक मैं समझता हूं अपने यहां की बात जानता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई ज्यादा इंटरफीयरेंस हमारे यहां नहीं किया। जो हमने रखा था उसी को माना। लेकिन हमारी नामजदगी से पंच हमारे शासन का एक अंग बन गये इस बात को मैं नहीं मानता। उन्होंने यह भी कहा कि एम० एल० ए० साहबान के सामने यह बात भी है कि अब चुनाव नजदीक आता जाता है और कौन उनके काम का आदमी है। मान्यवर, यह बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। माननीय गेंदा सिंह एक दल के नहीं विरोधी पार्टी के नेता हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि वह जो बात कहते हैं भवन के अन्दर उसमें भी संतुलन होता है मगर पिछले एक महीने डेढ़ महीने से ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जाता है उनके दिमाग में चुनाव की कोई न कोई तस्वीर बन ही जाती है और परेशानी हो जाती है और गवर्नमेंट के हर काम के अन्दर एक ही बात दिखाई पड़ती है कि हमारे सामने चुनाव का लक्ष्य है, और कोई बात हो ही नहीं सकती है। यह भी संभव था कि पंचायतों का निर्माण इस जनरल चुनाव के दो साल पहले हो सकता था और जिस समय यह चीज कही गई थी उस समय कोई आइडिया इस बात का नहीं था। तो ऐसा कहना उनके लिये मुनासिब नहीं है।

यह बात उनकी सही है कि जनता को इस बात का एहसास होना चाहिये कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है, और जैसा मैंने पहले कहा कमियां हैं, मेरे पास भी बहुत सी शिकायतें हैं। लेकिन हमें दो तीन बातें यह भी सोचनी चाहिये कि हमारे देश में डेमोक्रेसी इनकेंसी में है और जिस तरह से आज हम डेमाक्रेसी को इवाल्व करना चाहते हैं मैं तो यही कहता हूं कि उसकी कोई ट्रेडीशन हमारे देश में अब तक नहीं थी। हमने कुछ वेस्ट से लिया कुछ अपनी संस्कृति, इनको मिला जुला कर एक डेमाक्रेसी की रूपरेखा बनायी है। एक नया ऐक्सपेरीमेंट है, नया अनुभव है। हमको उसमें कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। हो सकता है कमियां हों, कहीं-कहीं हमको दिक्कतें भी हो सकती हैं, मगर उन सब चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। यह भी हमको मानना चाहिये कि हमारे समाज का आज नैतिक स्तर भी जो हम बात करते हैं प्राचीनकाल की, महाभारत की, राम के जमाने की उससे कहीं नीचे गिरा हुआ है। जब यह है तो दो ही चीजें हमारे सामने हैं या तो पहले स्तर ऊंचा करें उसके बाद ऐक्सपेरीमेंट करें या दोनों को साथ-साथ चलायें। मैं समझता हूं इंसान के ऊपर जब जिम्मेदारी डाली जाती है तो उसका नैतिक स्तर अपने आप धीरे-धीरे ऊंचे उठता है। तो मैं समझता हूं यह कोई असाधारण बात नहीं है। जिस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं उसके अन्दर इस ऐक्सपेरीमेंट को हमने किया तो उन कमियों को देखते हुये हमको उन कमियों का मुकाबला करना चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये।

दूसरी बात जहां तक सेवा की बात कही, विकास की बात कही, अच्छी बात है। इसीलिये गांव समाज के दो हिस्से कर दिये गये हैं ऐक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी। न्याय पंचायत का काम होगा गांव के तमाम केसेज को तय करे, गांव सभा का काम होगा भूमि का इन्तजाम करना, और उसके साथ-साथ जो गांव का विकास है वह करें।

मान्यवर, जहां तक कानून का संबंध है, सिस्टम का ताल्लुक है उसकी जो व्यवस्था की गई है वह मैं समझता हूं बहुत अच्छी है। हो सकता है कि जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा बहुत पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से जनता में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी। तो अभी अगर ऐसी पंचायतों का परसेंटेज १० या १५ का है तो आगे ५,६ साल में ३०, ३५ परसेंट हो सकता है। कुछ दिन बाद यह तादाद बढ़ती हुई चली जायगी।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कमियां हैं। लेकिन कमियों की वजह से किसी चीज को खत्म कर दें तो मुझको ऐसा लगता है जैसे कि यह "क्राई इन डिसपेयर" हो मैं तो मौर्य जी

[श्री नवल किशोर]

से कहूंगा कि यदि उनकी मंशा यह है कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय, व्यवस्था में यदि कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो उसको अवश्य किया जाय, तो मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन यदि वह चाहते हैं और तस्वीर के एक पहलू को ही देखा है दूसरा अच्छा पहलू चाहे थोड़ा भी है, उसको बिल्कुल छोड़ दें और उनका यह कहना हो कि उसको खत्म कर दिया जाय तब मैं कतई सहमत नहीं हूं और आशा करता हूं वह दोबारा इस पर विचार करेंगे।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तुत प्रस्ताव है वह सचमुच इतना विवादग्रस्त है कि इसमें एक तो यह है कि यह परीक्षा परीक्षण अवस्था में है, एक परीक्षण अवस्था में चल रहा है कि सचमुच यह न्याय पंचायतें आज के युग के उपयुक्त हैं अथवा नहीं हैं। एक समय था कि पंच परमेश्वर कहलाता था लेकिन मेरा ख्याल है कि उस युग में न तो हिन्दुस्तान में ताले लगते थे और न लोग झूठ बोलते थे। आज जब कि हम इस युग में उन चीजों को लाना चाहते हैं तो जैसे कि इस युग में हम रथ से युद्ध नहीं कर सकते हैं उसी तरह से संभवतः आज की न्याय पंचायतों से हम अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। हम नहीं जानते हैं कि संसार में कहीं भी आज इस तरह की चीज है। खैर, सरकार ने एक थोड़ा सा उसको परोक्ष रूप दिया है निर्वाचित पंचायतों और एलेक्टेड जूडिशियरी का लेकिन उसका परिणाम क्या है। जब यह सदस्य चुने जायेंगे और फिर तब जब उसके सभापति होंगे १२ और १३ मिलकर के, जो तेरह होगा या पन्द्रह होगा वह होगा। यह एक तरह से हर दम के लिये यह एक चीज बन जायगी। इससे एक समय आयेगा जब कि यह अराष्ट्रीय तत्वों को हिन्दुस्तान में पैदा करेंगी। जो न्याय पंचायतें आज हैं, अब तो श्रीमन्, कोई न्याय पंचायतों में नहीं जाता है। आप इससे अन्दाजा लगा लें कि मुकदमें घटे हैं या नहीं, सरकार ने जितने स्टाम्प बेचे हैं अदालतों में वह देख लें कि उतने ही हैं जितने पांच साल पहले थे कि नहीं या उससे कम या ज्यादा हैं। इससे मालूम हो जायगा कि यह जो इजाफा हुआ है यह घलुआ जिसको कहते हैं, वह है और इस तरह से हमको आज इन चीजों की तरफ ध्यान देना है।

सबसे बड़ी दुर्दशा यह है कि इससे लोगों में एक अदालती मनोवृत्ति गांवों में पैदा होती है और इस तरह से आज जब कि उनका ध्यान राष्ट्रीय योजनाओं की तरफ जाना चाहिये अपनी भीतरी चीजों के संबंध में. छोटी-छोटी चीजों के संबंध में जायगा। दुश्मनी है किसी से तो एक मुकदमा खड़ा कर दिया, एक मामूली आदमी को खड़ा कर दिया, अब बहुत जल्दी तो इंसाफ वहां होता ही नहीं है, तो इस तरह से श्रीमन्, इसकी आवश्यकता है कि इस पर विचार किया जाय कि इस युग में सचमुच यह चीज चलेगी अथवा नहीं। हमारा तो अपना अनुभव है मैंने एक दफा दस पंचायतों को देखा। उसमें मैंने केवल एक ईमानदार पाया। दस में से एक! इस तरह से श्रीमन्, अगर ऐसा हो, जैसा कि कहा गया है कि पहले यह सोचा जाता था कि पहले प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी केवल वहां के एम० एल० ए० लोग हों, एम० एल० ए० भी अब डरता है क्योंकि दस आदमी चाहते हैं तो नौ को तो हम नाखुश करेंगे और एक को खुश करेंगे, इस तरह से हम भी उसमें कितने सफल होंगे, यह हम नहीं जानते। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि वहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अब पांच आदमियों को दे दें तो उसमें से जो कमेटी होगी उसमें से दो को चुनेगी। शायद मेरा ख्याल है कि इससे काम तो अच्छा नहीं होगा लेकिन हम लोगों का बोझ कुछ हलका होगा। मेरा ख्याल है अगर थाने को एक यूनिट बना दिया जाय, एक थाना आमतौर से एक लाख या डेढ लाख के ऊपर होता है उसमें से तीन आदमियों को चुन दें और दो का कोरम बना दें तो इतनी मुकद्दमेबाजी भी नहीं होगी। इस तरह से जो तहसीलों में और अन्य स्थानों में बोझ पड़ता है वह शायद कम हो जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज हमारे कम से कम जो जजेज हैं उनके न्याय के बारे में बड़ा गर्व होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके एक-एक फैसले को हाईकोर्ट मंगाता है और उनका कैरेक्टर रोल भी होता है, उसके मुताबिक उनकी इंक्रीज भी होती हैं, इसलिये उनको एक साउन्ड न्याय देना पड़ता है। वह ऐसा न्याय देते हैं कि जिसमें उनका कान पकड़ने की गुंजाइश न रहे। तो इस तरह की व्यवस्था कोई आप करें, कोई हरदम उन न्याय पंचायतों का कान पकड़ने के लिये हो तो कोई चीज आगे चल सकती है। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की और हमने अर्वाचीन और प्राचीन को एक में मिलाने की कोशिश की तो ऋषियों के युग में पंच परमेश्वर कहलाते थे, आज के विचार उस समय नहीं थे। आपको तो आज के विचारों के अनुरूप चलना पड़ेगा। इस तरह से चीजें ला करके हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि इसमें कोई प्रयोग नहीं हुआ है। इससे मेरा तो यह निवेदन है कि इन तमाम दृष्टिकोण को देख करके मैं जानता हूं कि सरकार के सामने यह परीक्षण है। यदि वह सफल मालूम नहीं हुआ तो सरकार का कोई दुराग्रह या आग्रह नहीं होगा कि यह अवश्य ही रहे। बहुत सी चीजें आती हैं और उनमें परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं और यही मनुष्य के उत्कर्ष का या आगे जाने का मार्ग होता है कि अपनी भूलों से सुधार करता रहे। इसी दृष्टि से अगर ५ साल का हमने काम किया और वांचू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जनमत के मुताबिक हमने दूसरी तरह से मनोनीत करने की व्यवस्था की, इसको ५ साल हम देख सकते हैं और अगर हम इस निर्णय पर आये कि हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं तो सरकार अवश्य ही उसको हटा देगी। इस संबंध में इतना ही केवल निवेदन है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि न्याय पंचायतें हमारा स्वर्ण युग लाने में सहायक होंगी। न्याय पंचायतों के ऊपर हमारी पूरी दृष्टि नहीं जाती है। हम देखते हैं कि एक बड़ी निरक्षर जनता, अज्ञान से भरी हुई जनता है, उन्हें जो अधिकार दिया गया है उसको वह पूरा नहीं कर पाती है और उस निराशावाद में हम यह कह रहे हैं कि न्याय पंचायतों को तोड़ दिया जाय। न्याय पंचायतों ने बहुत ही बड़ा काम किया है। वहां जो कारण उपस्थित होते हैं, जो कारण गांव में उत्पन्न होते हैं उनका तो समाधान होना ही है, चाहे उन्हें जिला अदालतों में जाकर और एक बहुत बड़ी रकम देकर, वकीलों को फीस भर करके उस वातावरण में जायें, वहां समाधान करें और चाहे उनका समाधान एक छोटी सी सीमा के अन्तर्गत होना चाहिये। मैं तो कोई ऐसा कारण नहीं देखता कि ग्राम पंचायतें तोड़ दी जायं। मैं तो देखता हूं कि वह तौल पर रखने पर ग्रामों को जो सुविधा जिला अदालतों में मिलती थीं उनसे कहीं अधिक सुविधायें न्याय पंचायतों में मिलती हैं। एक तो वहां ग्रामीणों का शिक्षण होता है, एक आत्मनिर्भरता आती है, वह एक बात सीखते हैं और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इसमें बहुत से प्रचारकों का भी हाथ है। वह समझते हैं कि न्याय पंचायतें निराधार सी सीमा में ऐसे काम किया करती हैं जो नहीं करने चाहियें। हम एक बात भूल जाते हैं कि ग्रामीण स्तर के बाहर ग्रामों में जनता का कोई शिक्षण नहीं है। हम न्याय पंचायतों के बारे में जहां हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है कि न्याय पंचायतों को अपना कार्य कैसे करना चाहिये, एक बार हमने अधिकार उनको दे दिया है और जिस अवस्था के साथ उनके कार्य की नीति रही है वह प्रशंसनीय है। हमारी दृष्टि अपेक्षाकृत उस पर नहीं गयी है जहां पर अदालतें साक्ष्य लेकर अन्धकार में न्याय की व्यवस्था दिया करती थीं। उनसे तो कहीं अधिक अच्छा न्याय वहां होता है। रही व्यभिचार की बात तो वह सामाजिक व्यवस्था का दोष है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति का इतना बड़ा मान है तो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर एक लालसा हुआ करती है और अधिक धन कमाने की और उससे प्रेरित होकर वह अन्याय किया करता है, लेकिन गांव में ऐसा अन्याय करते हुये उसकी आंखें कपती हैं और उसका उसी गांव में बड़ा प्रचार हो जाता है, लेकिन न्याय पंचायतों की और सीमा छीनकर के हम पुनः उसी जगह पर ले जायं और जिला अदालतों में जो कि ३०-३० ४०-४० मील के फासले पर है वहां जाकर न्याय पंचायतों के प्रश्न को हम समाधान कराने की कोशिश करें तो वह एक सुखकारक और कल्याणकारक समाज की स्थापना के लिये

[श्री रामलखन मिश्र]

उचित नहीं होगा। क्योंकि हमें तो वहां चलना है जहां न्याय पंचायतें नहीं रहें, जहां दंड देने वाला या दंड पाने वाला नहीं रहे। हमें तो समाज का ऐसा काल लाना है, एक सत्ययुग लाना है। यह हमारी कोरी कल्पना नहीं है।

भारत के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं "न तु दंडयं न च दंडक" न कोई दंड देने वाला था, न कोई दंड पाने वाला था और "स्वधर्मे रौव रक्षन्ति निजधर्मे च परस्परं।" सतयुग का जो वर्णन है, वहां न कोई दंड देने वाला न पाने वाला था। अपने धर्म से एक दूसरे की रक्षा कर लेते थे। तो हमें उस पथ पर चलना है उसका एक सोपान और श्रेणी है कि हम ग्रामीण स्तर के निकट रहें और हम अवैतनिक रूप से कार्य करने की परिपाटी स्थापित करें। न्याय पंचायतों का रूपान्तर जो था वह वाद के ऊपर स्थापित था और बड़ा अच्छा काम होता था। ईश्वर का भी भय था और दंड विधान का भी भय था। आजकल की सामाजिक अवस्था में जहां तक इनका कार्य चल रहा है वह मंगलकारक ही है। मुझे कोई निराशा नहीं दिखाई देती है जिससे हम कहें कि न्याय पंचायतों को तोड़ दिया जाय। यदि इनको तोड़ दिया जाय तो न्याय पंचायतों के स्थान पर क्या किया जाय। प्रश्न हमारे सामने यह है कि उनके स्थान पर हम क्या करें। गांवों में बहुत से कारण या झगड़े ऐसे उपस्थित हो जाते हैं · कि यदि उनका समाधान गांवों में ही हो जाय तो मंगलकारक है।

न्याय पंचायतों की रचना में भी काफी परिवर्तन हो रहा है। उसको हमें देखना चाहिये। हमारे माननीय सदस्यों ने बतलाया कि एस० डी० ओ० पांच नामों की सिफारिश करेंगे और जिलाधीश भी देखेंगे तो हमें अब देखना यह है कि अब इसकी रचना कैसे होती है और जो इसके नये-नये उद्देश्य दिये गये हैं उससे आशा है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में सुधार होगा। निराशा की कोई बात नहीं है जिससे हम कहें कि न्याय पंचायतों को तोड़ दिया जाय। हां, यह अवश्य है कि कुछ कठिनाइयां है जैसे पेटीशन राइटर की परीक्षा होती है और योग्यता का मापदंड होता है। उस व्यवस्था में जो हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किये हुये हैं, उसमें वह शिक्षा का इतना ऊंचा माप दंड नहीं रखते हैं जिससे थोड़े समय में हम परिणाम देख सकें। लेकिन इसी तरफ हम चल रहे हैं और हमें आशा होनी चाहिये कि यह प्रश्न भी हमारा हल हो जायगा क्योंकि जब शिक्षा की सीमा हमारे ग्रामों में बढ़ेगी तो यह चीज फिर नहीं रहेगी ; यह तो स्पष्ट ही है कि इसकी परिपाटी में कोई दोष नहीं है, इसके विधान में कोई दोष नहीं है। जहां कोई त्रुटि इसके विधान में मालूम होती है (न्याय पंचायतों के विधान में मालूम होती है) तो उसमें संशोधन हो जाता है। आदरणीय सदन में बतलाया जाता है कि इसमें कौन सा परिवर्तन कर दिया जाय जिससे हम अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच सकें। इस कारण से मुझे दिखाई नहीं देता है कि इसको क्यों तोड़ दिया जाय।

मैं दुर्भाग्यवश प्रस्तावक महोदय के प्रस्तावित भाषण को नहीं सुन सका कि उन्होंने क्या कारण बतलाया है कि इनको तोड़ दिया जाय। तो न्याय पंचायतों ने जो निर्णय किये हैं उसके आंकड़े बतलाये गये हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि कई मामलों में हाई कोर्ट तक लड़ने का प्रश्न आ गया था और लोग लड़ते-लड़ते परेशान हो गये थे। लेकिन नई पंचायतों में प्रश्न आने पर इस प्रकार से सुलझा दिया गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने पर्याप्त काम किया है। लेकिन इसमें भी कमियां है और उनके सुधार की योजना बनायी जाय। उनके सदस्यों को शिक्षण देना है और जो आज व्यवस्था है उसको द्रुतगति से आगे लाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह आगे उन्नति के पथ पर बढ़ती चली जायगी। न्याय पंचायतों को भारतीय दंड विधान तथा साक्ष्य विधान की धाराओं के अनुकूल निर्णय करने पड़ते हैं और इनके सदस्य बाल की खाल निकालने वाले प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जहां तक वस्तु स्थिति का सवाल है और घटना के सही परिणाम पर पहुंचने में पर्याप्त प्रयत्न करते हैं और अधिकतर पहुंचते हैं। उनके ऊपर चेक भी रख दिया है कि अगर इनसे कोई त्रुटि हो जाय तो हाकिम परगना उसको सत्य कर देते हैं। फिर इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट में सुरक्षा की व्यवस्था

है और लड़ने वालों के लिये पर्याप्त सुविधा है और वह ऊंची से ऊंची अदालतों में जा सकते हैं। इस कारण से भी मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती है कि इनको तोड़ दिया जाय। इनके औचित्य में मेरा पूर्ण विश्वास है और इनको रहना चाहिये।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैंने यह देखा श्रीमन्, कि जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है इससे असहमत रहते हुये भी लोगों ने इसका विरोध किया और जो सहमत भी रहे वे भी पूर्णतया इसमें सहमत नहीं रह पाये। श्रीमन्, जबकि पंचायत राज ऐक्ट इस प्रदेश का बनाया जा रहा था तो हमने यह सुना था कि इस प्रदेश में राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना के हेतु यह अधिनियम बनेगा। परन्तु आज दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि यदि अब अदालत पंचायतें नहीं रखी जाती हैं तो न्यायविहीन राम राज्य भले ही इस प्रदेश में बन सकता है परन्तु किस अधिकार से और किस दावे से सरकार यह कह सकती है कि रामराज्य स्थापित करने के लिये वह फिर भी इच्छुक है।

मान्यवर, पूर्व वक्ताओं को मैं ध्यानपूर्वक सुनता रहा और माननीय गेंदा सिंह जी का यह कहना कि इस समय जब कि चुनाव इतने समीप हैं तो हम लोग निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं, मैं इसको यह समझता हूं श्रीमन्, कि यह सेल्फ कन्डेमनेशन है। निष्पक्ष हम रह सकते हैं और यदि इसमें किसी को कठिनाई प्रतीत होती थी तो उसके लिये भी दूसरा रास्ता था कि उसमें वह शामिल न हो, उससे दूर रह सके। मैं माननीय नवल किशोर जी को भी सुनता रहा और बस्ती के अपने पंडित जी को भी सुनता रहा। उन्होंने प्राचीन समय की बात भी, की आधुनिक बुद्धि से और साथ ही साथ जो रुपरेखा उन्होंने खींची है उसको समझने में कुछ समय तक तो मैं सफल रहा परन्तु कुछ वक्तृत्व शक्ति ही पर वे अधिक जोर देते रहे और ध्यान उनको उसी ओर आकर्षित रहा। यह कहा जा सकता है कि अदालत पंचायतें जिस तरह से बनायी जा रही हैं, जिस नियम से, जिस रूप से, वह वांछनीय नहीं है। मैं उससे सहमत हो सकता था। प्रजातंत्र में जब हम भरोसा रखते हों तो एक ओर गांव पंचायतों —श्रीमन्, गांव सभाओं के अन्तर्गत जो एग्जीक्यूटिव होती है उसको गांव पंचायत कहते हैं—चुनाव के लिये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली हम अपनायें और जहां अदालत पंचायतों का प्रश्न उठता हो वहां हम न्याय पंचायतों को मनोनीत करें ये दोनों चीजें असंगत हैं। यदि यह कहा जाय कि आज भारतीय नागरिक को प्रतिनिधि चुनने का माद्दा नहीं है तो दुःख के साथ मुझे यह कहना होगा कि कितने ही महापुरुष जो इस जगह आज विराजमान हैं वे उससे अनुचित लाभ उठा कर इस जगह आ सके होंगे और आये होंगे? यह कहना कि हमारा नेशनल करेक्टर अभी उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां से हम अपने को ऐसे रास्ते पर रख सकें जो कि निन्दनीय न हो, तो हो सकता है कि दूसरे देशों के बराबर हमारा विकास न हो पाया हो लेकिन सेल्फ कांफीडेन्स का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं यदि किसी भी व्यक्ति में वह भरोसा न होगा तब इस भारत में वह एक नागरिक का कर्त्तव्य पालन करने में असमर्थ रहेगा।

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह ठीक है कि चुनाव वास्तविकता में किसने किया है तो मैं साधिकार कह सकता हूं कि वह उसी लेखपाल ने किया। इस प्रदेश के लेखपाल को भूलना असम्भव सा है। माल मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। यदि वे होते तो उनके मुखारविन्द पर लालिमा आती और वे कुछ कहते भी। मैं माननीय गेंदा सिंह जी को भी बता देना चाहता हूं कि हमारा कोई प्रश्न ही वहां नहीं उठता था। वही लेखपाल, वही कानूनगो, वही तहसीलदार, वही डिप्टी कलेक्टर विराजमान थे। वही पांच साल और बाहर से नाम आने का न कमेटी का अधिकार था, न जिलाधीश को। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं जाकर देख लें। उसमें लिखा है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

दि पैनल शुड बी आउट आफ दी नेम्स सबमिटेड बाई दि एस० डी० ओ० । मुझे उसकी शब्दावली अब तक याद है लेकिन परिस्थिति यह थी कि कलेक्टर भी विवश थे कमेटी भी विवश थी और इस सारी वास्तविकताओं में कौन था वही लेखपाल था । जी० ओ० क्या था वह कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित रहा । इस सम्मानित सदन के सदस्यों को पता न चल सका कि माननीय मंत्री जी क्या चाहते हैं । माननीय मन्त्री जी चाहे इन शिकायतों को सुनना न चाहते हों लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सिस्टम उन्होंने रखा है उससे तो हम सारे एम० एल० एज० विवश थे वह चाहे कांग्रेस दल के रहे हों या विरोधी दल के रहे हों । तो पांच नाम आये और लेखपाल ने जिसको भेजा उनमें से किसी न किसी को कर दिया जाय तो जब तक एम० एल० एज० को सही तौर से मालूम न हो तब तक तो यही होगा । यह अधिकार तो होना ही चाहिये था कि गाँव सभा में जो योग्य व्यक्ति हों उनके नाम हमारे सामने आवें जो साक्षर है उनमें हम चुन सकें । जो सिस्टम बर्ता गया है मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक सिस्टम के विरुद्ध है कि कुछ लोगों के नाम आवें और आप उनको मनोनीत करें । यदि आपको मनोनीत ही करना है तो गांवों के लोगों को यह सुविधा होनी चाहिये थी कि जितने गांवों में साक्षर हैं उनकी लिस्ट उनके सामने और उस वक्त वे सही तौर से उनको मनोनीत कर सकें । लेकिन हमने क्या किया । यह तो एक तमाशा सा बन गया । कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते । करता है जो कुछ वह लेखपाल । आप अपने लेखपाल को, अपने कानूनगो को, अपने नायब तहसीलदार को एम० एल० एज० से अधिक जिम्मेदार समझते हैं । कांग्रेस के एम० एल० एज० के प्रति भी डिप्लोमेटिक मैनर में राजनीतिक तरीके से उनसे बातें कर ली, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वे अपने को एक समुदाय का समझते हैं, जिसमें लेखपाल जो है वह सबसे छोटी कड़ी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यही नहीं, श्रीमन्, दुख तो यह होता है कि हमारे माल मंत्री महोदय जहां जनतंत्र को मानते हैं, उन्होंने भूमि का सुधार किया, समाज का सुधार किया, प्रदेश का सुधार किया किन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि वह अपने लेखपालों का ही सुधार नहीं कर पाये, जिन पर उनको आज तक भरोसा रहा है और वह नहीं जा सकेगा । श्रीमन्, यह तो सीमा रही । यदि माननीय काटजू साहब इस विवाद को सुनते, यदि वह इस भवन में विराजमान होते तो मैं समझ पाता कि उनके मनोभावों को और उनकी मनोवृत्ति को कितनी ठेस पहुंच सकती है । अदालती पंचायतों का फार्मेशन, उसके पंचों को मनोनीत करना एक गलत बात हो सकती है परन्तु यह करना कि वह प्रथा जो है वह गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं और उसका कारण भी मैं बताऊंगा यदि मुझे अवसर मिला तो ।

बहुत से माननीय सदस्य इस भ्रम में हैं कि न्याय पंचायतों को बहुत से अधिकार हैं । मान्यवर, उनके पास जो अधिकार थे वह माननीय उपमंत्री महोदय की कृपा से शनैः शनैः अपहरण किये जाते रहे और आज उनके पास केवल थोड़े से अधिकार हैं जैसे अगर उन्हें १०७ का भ्रम है तो वह १५ दिन का मुचलका ले लें या कुछ और कर सकें । संपत्ति के बारे में उनको कोई अधिकार नहीं है, वह उनके हाथ से निकल गया । और श्रीमन्, आज तो पंचायती अदालत के पंच या सरपंच को वह भी अधिकार नहीं है कि जो गांव सभा के प्रधान या भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन को हैं । तो यह बहुत असंगत है । यदि माननीय मौर्य जी यह कहते थे न गांव सभा हो और न अदालती पंचायतें हों तो मैं उनकी बात समझ सकता था, लेकिन यह कहना कि अदालती पंचायतें न हों और साथ ही साथ उनकी गांव सभा विद्यमान रहे, उसके सभापति विद्यमान रहें, भूमि प्रबन्धक समिति का चेयरमैन विद्यमान रहे, मेरी समझ में नहीं आता । श्रीमन्, उन लोगों के अधिकार उससे कहीं अधिक हैं । यह दुर्भाग्य है कि जो होना नहीं चाहिये था वह हो गया । आशा तो हम यह करते

थे कि उन के अधिकार कुछ और बढ़ाये जाते, उनके प्रति विश्वास होता, लेकिन श्रीमन्, दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके अधिकारों का अपहरण हो रहा है। शिकायत श्रीमन्, मुझे भी थी कि उनको इतने अधिकार दिये जा रहे हैं कि जिसके वह योग्य नहीं हैं। जब यह बनी थी उस वक्त मेरा यह विचार था कि जो अधिकार उनको आप दे रहे हैं उनको सम्हालना उनके लिये कठिन होगा, लेकिन शनैः शनैः जैसे समय बीतता गया और पंचायत राज के संबंध में जैसे जैसे मंत्री जी घोषणा करते रहे इस भवन में कि हम राम राज्य स्थापित कर रहे हैं और बहुत मानों में हम सफल हो चुके हैं, तो उसको सुनने के बाद आज जब उस पक्ष से यह कहा जाता है कि वह अदालती पंचायतें ठीक काम नहीं कर रही हैं इस आधुनिक युग में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उनसे जैसी आशा कर सकते थे उतनी आशा नहीं रख सकते हैं अब तो यह सुन कर आश्चर्य होता है।

वास्तविकता यह है कि सरकार यह जो प्रजातान्त्रिक प्रणाली की आवाज लगा रही है और जो यह समझती है कि उससे ही भारत् का और प्रदेश का कल्याण हो सकता है उसके विषय में होता क्या है मैं आपके जरिये से बताना चाहता हूं कि उन सदस्यों की तरफ से जो घोषणा की जाती है और सरकार जो घोषणा उन पंचायतों के बारे में करती है और जिस बात का ढिंढोरा सरकार पीटती है वह बातें लुप्त हो जाती हैं। यही नहीं एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि यह शिकायत लोगों की सही ही है किन्तु श्रीमन्, यदि हमारे लोग यह समझते कि वोट किसको देना है और उस अधिकार को हम सुरक्षित रखते और अपने अधिकार का सदुपयोग कर पाते तो यह बहुमत में जो आज कांग्रेस पार्टी दिखाई देती हैं और जिसमें न्यूनता होती दिखाई नहीं देती उत्तर प्रदेश की जनता उनको यहां पर न भेजती। आज हमारे यहां जो इसको एक्स्पलायट किया जा रहा है और इससे जो बहुमत में आज यह पार्टी चली आ रही है अगर कानपुर के मिलमालिक जिन्दा रहे तो इनके फिर आने की पूरी सम्भावना बनी रहेगी।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प इन शब्दों में है कि न्याय पंचायतों से गांवों की दशा में भ्रष्टाचार बढ़ा है और हानि अधिक हुई जब कि न्याय पंचायतों का निर्माण किसी एक जिले में भी अभी तक नहीं हो पाया है और श्री गेंदा सिंह जी ने भी इनके बनाने के प्रकार पर अपनी सम्मति उसके विरोध में प्रकट की है। तो माननीय मौर्य जी का जो भाषण है और जो उनका संकल्प है वह दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं, क्योंकि न्याय पंचायतों का जब अभी तक संगठन नहीं हो पाया है और उनका कार्य अभी आरम्भ ही नहीं हुआ है तो उनसे कोई हानि या लाभ गांवों को अभी हो ही नहीं पाया है। उनका भाषण पंचायत अदालतों के संबंध में है जो कि पहले थी और उनसे जो अनुभव हुआ था उसके आधार पर ही आगे बनने वाली न्याय पंचायतों को बनने से पूर्व ही तोड़ दिया जाए, यह इस सदन के विचार करने की बात है कि जिस रूप में मौर्य जी ने इस संकल्प को यहां पर पेश किया है उस रूप में वह स्वीकार करने के योग्य है या नहीं। क्योंकि न्याय पंचायतों के द्वारा हानि या लाभ का प्रश्न तो अभी उठता ही नहीं। जैसे उनका भाषण था वह तो पंचायत अदालतों के सम्बन्ध में था, जिनके सम्बन्ध में उनके सन् १९४७ से कार्य करने के बाद इसी सदन ने उनसे असन्तुष्ट हो कर पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन किया और उसके बाद न्याय पंचायत बनाने का वर्तमान प्रकार निश्चित किया गया, जिनका कार्य अब आरम्भ होगा। उनके गठित होने के प्रकार के सम्बन्ध में अवश्य विचार किया जा सकता है कि वह आगे के लिये जनता को लाभदायक सिद्ध हो सकता है या नहीं। इसके सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी ने आपत्ति की कि वह प्रजातान्त्रिक तरीके का नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि जो संशोधन पंचायत राज ऐक्ट में न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में किया गया

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

वह इस बात में सहायक होगा कि पंच निष्पक्ष होकर देहातों में अपना कार्य कर सकें। माननीय रामजी सहाय जी ने एक बात कही कि "पंचायती अदालतों के जमाने में ग्रामों में अदालती मनोवृत्ति बढ़ी," किन्तु मैं यह समझता हूं कि जो शिक्षा का प्रचार सूबे में हम सबके चाहने के अनुसार बढ़ रहा है और जो साधन योजना के अन्तर्गत गांवों में लोगों को प्राप्त हुये हैं और बहुत सी सुविधायें जो दिन बदिन बढ़ रही हैं तो उनसे उनको जो शहरी हवा लगी है और उस अधिकार मिलने की सुविधा का वह लोग एक लाभ यह भी उठा रहे हैं और गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। वहां संख्या ऐसे लोगों की बढ़ रही है जो शहरी मनोवृत्ति के होते जा रहे हैं।

पंचायती अदालत को यदि हम निजी रूप में अलग करके सोचें तो मैं समझता हूं कि अन्याय होगा उस योजना या नीति के प्रति। जब तक गांव समाज, गांव सभा तथा पंचायत अदालत या न्याय पंचायत को हम एक साथ रख कर नहीं सोचेंगे तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उस पूरी योजना से लाभ होगा या हानि। जिस तरह से गांवों के निर्माण का कार्य रोजाना हो रहा है और ग्रामीणों में स्वावलम्बन की भावना बढ़ रही है तो न्याय पंचायतों की बात भी आगे बढ़ेगी। तभी गांव वाले समझ सकेंगे कि मुकद्दमों को कम करना चाहिये, जिससे उन्हें लाभ होगा। पंचायत राज ऐक्ट में प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की नियुक्ति स्वीकार की गई तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बनाया गया। अगर उसे वैसा ही रहने दिया जाता तो विरोधी लोग यह कहते कि एक सरकारी अधिकारी को यह बात सौंप दी गई और उसने लेखपाल या तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर से सम्मति लेकर न्याय पंचों की नियुक्ति कर दी।

अब जब एस० डी० एम०, जो कि अपने क्षेत्र में बराबर जाते रहते हैं, ५ नाम डी० एम० के सामने प्रस्तुत करेंगे और वह उस क्षेत्र के एम० एल० ए० या डिस्ट्रिक्ट बार्ड के चेयरमैन की सम्मति से नामजदगी करेंगे तो यह कहना कि वह केवल एक सरकारी अधिकारी की बात होगी, अनुचित होगा। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि लेजिस्लेचर के सामने या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के सामने पूरी लिस्ट आनी चाहिये। मैं नहीं समझ सका कि ५ साल तक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी कोई एम० एल० ए० ऐसे होंगे कि जो उन लोगों के बारे में जानकारी न रखते हों जो गांव सभाओं से चुनकर आये हों। इसमें एक सुविधा यह हुई कि वह बात जो केवल प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के द्वारा नामांकन करने से हो सकती थी वह अब जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई और उसका प्रजातांत्रिक रूप बढ़ा।

अब यह कहना कि इलेक्शन की बात है, इसलिये किया गया, तो जैसा कि मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा, माननीय गेंदा सिंह जी की या उनके कुछ साथियों की तो कुछ ऐसी भावना हो गई है कि सरकार अगर कोई पुल या नदी का बांध या सड़क, कुछ भी बनाये तो वह सब इलेक्शन के लिये है और न्याय पंचायतों का चुनाव इलेक्शन के लिये है स्कूल खोले तो इलेक्शन के लिये। निश्चय ही जो दल काम करता है उसका फल उसे पहुंचता है। और फिर करने कहने वालों की भावना से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्योंकि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्शन में उनको अपनी हानि प्रतीत होती है। इसलिये मैं समझता कि जो तरीका आज न्याय पंचों का बनाने का है वह अच्छा है और उससे पंचों के निष्पक्ष होने में सहायता होगी और अभी तो इससे कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि अभी न्याय पंचायतें बनी ही नहीं हैं।

श्री राजाराम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में पंचायतों का रूप इसलिये बिगड़ता जा रहा है कि उनमें एक तबका ऐसा है जो ख्वामख्वाह उसे निगरानी तक पहुंचाना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अभी तो बच्चा पैदा हो रहा है, चुनाव भी

नहीं हुआ है और बच्चा पैदा होने का सवाल है, उसका गला घोट दिया गया। वास्तव में गांव वाले आशा लिये हुए यह सोच रहे हैं कि उनके यहां पंचायतें बनें। पंचायतें तो कायदे कानून में इतनी जकड़ दी जाती हैं, जिससे उनका काम बिगड़ जाता है। अगर पंच गांव के लोगों के सामने स्थिति को देखें और विचार करके फैसला करें तो बढ़िया फैसला हो सकता है। लेकिन कचहरी के रूप में पंचायतें कर दी गयी हैं इसलिये ठीक से फैसला नहीं होता है। साथ ही साथ गांव में कुछ दलाल ऐसे होते हैं कि अगर पंच लोग सही फैसला भी करते हैं तो उसको अदालत में ले जाकर भिड़ा देते हैं। कुछ लोग गांवों में ऐसे हैं जिनको अगर ग्राम कंटक कहें तो अत्युक्ति न होगी। इन पंचायतों से तो गांव वालों को बड़ी आशायें लगी हुई हैं, लेकिन दूसरी प्रकार की मनोवृत्ति के लोग यह देख रहे हैं कि यदि गांव पंचायतें सफल हो जायंगी तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी।

दूसरी बात यह है कि विरोधीपक्ष के भाइयों को इलेक्शन उसी प्रकार से दिखायी पड़ता रहता है जिस प्रकार से दुःशासन को कृष्ण दिखायी देते रहते थे। गवर्नमेंट अगर अच्छा काम भी करे तो भी वह खराब और खराब काम तो खराब है ही। ग्राम पंचायतों के इसलिये रहने की आवश्यकता है कि जो गांव के गरीब लोग हैं उन पर अन्याय न हो सके। कोई बात हुई वे खट से पंचायतों के सामने पहुंच जाते हैं और बिना वकील मुख्तार का खर्चा किये एक पेशी में ही उनका फैसला हो जाता है। हां, कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो उनसे कहते हैं कि वह फैसला गलत हुआ है और दूसरी अदालत में वह उसको ठीक करा देंगे। इस लिए पंचायतें तो ठीक हैं पर उनका चुनाव ठीक से होना चाहिये। यदि हम बच्चे को दलदल में गोद में लिये बैठे रहे और बच्चे को गोदी में से पानी में न डालें तो वह तैरना नहीं सीख सकता है। अभी तो हम परीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह से अन्य कार्यों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसी प्रकार से पंचायतों में गड़बड़ी है, लेकिन वह ठीक हो सकती है। चीलर के डर से कहीं कथरी फेंकी जाती है। अभी तो हमारी न्याय पंचायतें परीक्षण के तौर पर चल रही हैं। अभी तो उनका जन्म ही हुआ है। कृपया हमारे भाई मौर्य जी उनका गला न मरोड़ें।

श्री अध्यक्ष—(श्री नागेश्वर द्विवेदी को पुकारने के बाद) मैंने आपका नाम पुकार दिया है, लेकिन आप अगले दिन जारी रखेंगे।

अब हम उठते हैं और ३० तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२७ जुलाई, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के निम्नलिखित संग्रहालयों के विकास के लिए नीचे दिये हुए अनुदानों का प्रविधान किया गया है :—

आवर्त्तक अनुदान

संग्रहालयों के नाम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—राजकीय संग्रहालय, लखनऊ	२९,०८३	३१,४६३	४२,३८३	४४,२८०	४६,०१०	१,९३,२१९
२—पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा	९,५१५	१०,२५४	१२,२७९	१२,८५१	१३,३३२	५८,२३१
३—इटावा, देवरिया, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर के शैक्षिक संग्रहालयों के विकास के लिए बराबर २ अनुदान दिया जायगा	२९,५५६	३०,७२६	३१,१३४	३१,५४२	३२,१७०	१,५५,१२८

अनावर्त्तक अनुदान

१—राजकीय संग्रहालय, लखनऊ	८०,४४३	१,३०,०००	१,३०,०००	१,२०,०००	१,१०,०००	५,७०,४४३
२—पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा	१५,०००	२५,०००	२६,०००	२७,०००	१७,०००	१,१०,०००
३—म्यूनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद	१६,०००	१६,०००	१६,०००	१६,०००	१६,०००	८०,०००
४—भारत कला भवन, बनारस	१६,०००	१६,०००	१६,०००	१६,०००	१६,०००	८०,०००
५—हिन्दी कला भवन, कालपी	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	२५,०००
६—गुरुकुल संग्रहालय, हरिद्वार	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	२५,०००
भवन निर्माण के लिए—						
१—राजकीय, संग्रहालय, लखनऊ	३,००,०००	३,००,०००	३,००,०००	—	—	९,००,०००
२—पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	—	४,००,०००

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३२ एल० ए०—१९५६—७९६ ।